खण्ड-281, अंक-9
शुक्रवार, 11 वैशाख, शक संवत् 1892
(1 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..८३७–८४१
१ मई को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी) ..	८४१
प्रश्नोत्तर	..८४१–८७४
१ मई को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में आपत्ति	८७४
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	..८७५–८७७
उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	..८७७–८७८
सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (वापस लिया गया)	८७८
मुख्य मंत्री के विरुद्ध गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..८७८–८८१
श्री अनन्तराम जायसवाल के विरुद्ध श्री अध्यक्ष के प्रति 'उकसाने' शब्द का प्रयोग करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८८१–८८८
विधान परिषद् सदस्यों द्वारा विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के विरुद्ध हस्ताक्षर करवाने के संबंध में जानकारी	८८८
श्री महीलाल के बारे में कहे गये असंसदीय शब्दों को वापस लेने की मांग	..८८८–८९३
श्री राज्यपाल से विधान परिषद् में ४ सदस्यों को मनोनीत न करने की प्रार्थना	८९३
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (पुर:स्थापित किया गया)	८९४
उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	..८९४–९११
उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुन: अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित) ..	..९११–९१८
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय––जारी)	..९१८–९२४
कार्य स्थगन प्रस्ताव, नियम ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं ..	९२५
राजकीय सैनिक स्कूल के १२ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छटनी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	..९२५–९३१
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय–– जारी)	..९३१–९३४
विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के सम्बन्ध में जानकारी	..९३४–९३५
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय—जारी) ..	९३५
नत्थियां	..९३६–९६१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अनन्तराम जायसवाल, श्री
अवनार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द बृह्मशाह, राजा
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री, (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
कशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपाल दत्त, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभान् गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह,श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिबेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री

बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बल्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति , श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री

राम प्यारे, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल श्री
रामलाल, भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल श्री
शिववक्ष सिंह, राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शोनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री

सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबरंहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्मसिंह, श्री

१ मई को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आज पहली मई के दिन भी जो सोशलिस्ट संघर्ष का दिन है इस सदन की कार्यवाही हो रही है। आज का दिन विश्व के लिये ऐसा दिन है जिस दिन समाजवाद के लिये उसको मनाया जाना चाहिये उसके बजाय कि हम इस दिन को समाजवाद के स्थापना दिवस के रूप में मनाये हम यहां पर सदन की बैठक कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में यहां पर पहली मई को सदन की कार्यवाही हो रही है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेगी।

(प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तराखंड विश्वविद्यालय संबंधी समिति की सिफारिशें

**१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)

क्या सरकार द्वारा उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है? यदि हां, तो उसकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये स्थान सम्बन्धी सिफारिश क्या है?

राज्य शिक्षा मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

जी हां ।

उक्त रिपोर्ट की समस्त सिफारिशें शासन के विचाराधीन हैं तथा उनका प्रकट करना अभी जनहित में न होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि विश्वविद्यालय की स्थापना हो या न हो इसको बतलाने में कौन-सा जनहित का प्रश्न है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी :—

विश्वविद्यालय की स्थापना का सवाल तो यहां पर है नहीं और यहां पर तो रिपोर्ट की बात थी । उसके उत्तर में मैंने कहा कि उसको जनहित में बताना ठीक नहीं है । स्थापना के लिये स्थान के बारे में जो सिफारिश है उसको जनहित में बतलाना उपयुक्त नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि कब तक उन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अभी कुछ ही दिन हुए जबकि उनकी सिफारिशें मिली हैं और उसके हर पहलू पर विचार किया जा रहा है । विचार करने के बाद ही शासन किसी निर्णय पर पहुंच सकेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समिति में कौन-कौन से लोग हैं और क्या उत्तराखण्ड का कोई भी व्यक्ति इस समिति में है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

शासन ने अक्टूबर, १९६९ में उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के लिये एक समिति की नियुक्ति की थी । इस समिति के अध्यक्ष डा० ए० सी० चटर्जी, और सदस्य डा० पी० एन० शर्मा, डा० आर० वी० सिंह, डा० ईश्वरी प्रसाद तथा श्री जी० के० अग्रवाल और अधिकारी थे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या उस समिति में कोई उत्तराखण्ड का भी सदस्य था ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने सदस्यों की सूची बता दी ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

गत वर्ष जो उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के लिये एक लाख रुपयों की रकम ग्रान्ट से स्वीकृत की गई थी, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि यह इस समय भी चालू है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

इसकी अभी मुझे सूचना नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि इस समिति ने जिन स्थानों की विवेचना की है उनमे श्रीनगर को सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह जवाब दे चुके हैं कि नाम बताना उचित नहीं होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह कोई ला ऐण्ड आर्डर का प्रश्न तो है नहीं, विश्वविद्यालय का प्रश्न है। इसीलिए मैंने प्वाइंटेडली पूछा है।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री बताना उचित समझें तो बता दें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने तो पहले ही कहा कि जनहित में न होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस क्षेत्र के अन्दर पारस्परिक वैमनस्य न बढ़े, उस क्षेत्र के विधायकों को बुलाकर उनसे परामर्श करके अन्तिम निर्णय क्या शिक्षा मंत्री जी लेना पसन्द करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

विचार करते वक्त अगर आवश्यकता होगी तो विधायकों से भी परामर्श कर लिया जायगा।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों को आयोग की परीक्षा से मुक्त करने की सिफारिश

**२—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह अवर वर्ग सहायकों की सेवाओं को आयोग की परीक्षा से मुक्त करने पर विचार कर रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह) (अनुपस्थित)—

जी नहीं।

जुडीशियल अफसरों और मुन्सिफों को एक ही कैडर में रखने का सुझाव

**३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार जुडीशियल आफिसरों (फौजदारी) के कैडर को मुंसिफ कैडर में मिलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह उपमन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि प्रदेश के जुडीशियल आफीसर्स ने इस बात का रिप्रेजेन्टेशन किया है कि उनकी और मुंसिफो की योग्यताएं वही हैं, उसी परीक्षा में दोनों लोग चुने जाते है, तो उनके बीच में कोई डिस्क्रीमीनेशन न हो, इस प्रकार की मांग आयी है उनकी ओर से ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मांग की सूचना इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों की एक ही योग्यताएं और परीक्षाएं होती हैं, एक ही प्रकार का काम होता है, फिर भी दोनों के अन्दर भेद है, मुख्य मन्त्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

यह तो सुझाव है, सवाल तो है नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने कहा कि विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

देख लेंगे इस मामले को।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि दोनों की नियुक्ति एक ही समान होती है और काम भी करीब-करीब एक ही ढंग का है, तो जुडीशियल आफीसर्स को मुन्सिफ कैडर में मिलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मरजर से ज्येष्ठता सम्बन्धी बहुत-सी कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी इसलिए नहीं मिलाया जा रहा है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वही पूछ रहा हूं कि मुख्य कठिनाई क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने जैसा कि निवेदन किया ज्येष्ठता (सीनियारिटी) सम्बन्धी बहुत सी कठिनाइयां होंगी।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ की तेल मिल

**४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ द्वारा स्थापित तेल मिल बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो इसके बन्द होने से अब तक कितनी हानि हुई ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह तेल मिल क्या अभी हाल ही में चालू हुई है और यह कई मास तक बन्द रही ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

हाल में नहीं, यह १९६७-६८ में चालू हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जितने दिन यह तेल मिल बन्द रही उस समय में उससे सरकार को कितनी हानि हुई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

केवल पहले साल। जिस साल यह चालू हुई थी उसी साल हानि हुई है लेकिन दूसरे साल कुछ मुनाफा हुआ है और इस साल की बैलेन्सशीट ही अभी नहीं बनी है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या मन्त्री जी वह कारण बतायेंगे कि जिन के कारण यह तेल मिल बन्द हुई थी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मैंने तो कहा कि यह बन्द हुई ही नहीं।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बतायेगी कि इस सहकारी मिल को चलाने हेतु राज्य सरकार ने कितना धन अनुदान, हिस्से और ऋण के रूप में दिया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इसके लिये तो सूचना चाहिये।

बेसन को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

**५--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार अनाज पर सेल्स टैक्स की छूट को ध्यान में रखते हुये बेसन पर से टैक्स हटाने का विचार कर रही है ?

विक्रीकर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)--

जी नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मन्त्री जी बतायगे कि खाद्यान्न पर से बिक्री-कर हटाने का क्या आधार है ?

श्री बलवीरसिंह--

अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्नों पर तो बिक्री-कर लागू है, हटा कहां है। मैं जरा उत्तर शुद्ध कर दूं, इन पर बिक्री-कर के बजाय परचेज टैक्स लगा दिया गया है और उसका कानून आप जानना चाहते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, खाद्यान्नों पर बिक्री-कर नहीं है और बेसन भी चने से बनता है इसलिये खाद्यान्न पर बिक्री-कर न लगने के आधार पर बेसन पर क्यों लगाया जाता है ?

श्री बलवीर सिंह--

बेसन क्लासिफाइड लिस्ट में नहीं है, वह खाद्यान्न में नहीं आता, दाल में भी वह नहीं आता, यह अनक्लासिफाइड है इसलिए उस पर अनक्लासिफाइड होने के अनुसार ही टैक्स लगता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अभी मंत्री जी ने बताया कि बेसन क्लासिफाइड नहीं है, वह तो सरकार ही फिक्स करती है लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बेसन भी खाद्यान्न ही है, वह चना ही पिसा हुआ है, क्या सरकार बेसन को भी बिक्री-कर से मुक्त करने पर विचार करेगी अन्य खाद्यान्नों की तरह ?

श्री बलवीर सिंह--

सन् १९६४ में जब रिवीजन का एक फैसला हुआ था उसमें था कि यह अनक्लासिफाइड है, इसलिये अब सरकार इस पर विचार करने को तैयार नहीं है।

वेतन आयोग

**६—श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री राम गोपाल संड—

क्या राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों तथा नगरपालिका एवं जिला परिषजद् के कर्मचारियों के लिये गठित वेतन आयोग को पुनर्गठित करने जा रही है? यदि हां, तो उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी-केन्द्रीय सरकार जिससे सीधे इस सरकार का सम्बन्ध है इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को आज की महंगाई के अनुरूप किया है और इसके लिये एक आयोग का गठन किया है जिससे कि उनके कर्मचारियों को वेतन व मंहगाई भत्ता समयानुकूल जीवन के खर्चे के अनुसार मिल सके, तो क्या यह सरकार भी उसी प्रकार का कोई आयोग अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन व मंहगाई भत्ते आदि पर विचार करने के लिये बनाने को तैयार है ?

श्री नारायत्त दत्त तिवारी—

जी नहीं।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, गत २० मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि राज्य सरकार ने जो अपने कर्मचारियों के लिये तृतीय वेतन आयोग का गठन किया है उसके कौन कौन सदस्य होंगे तो उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार कर रही है। तो यदि सरकार ने इस पर विचार कर लिया है तो क्या वह अपने कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई अन्तरिम राहत देने पर विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिस प्रश्न का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उन्होंने कहा था उस वक्त कि सरकार विचार कर रही है कि आयोग रहेगा या नहीं, सरकार के द्वारा उस पर विचार किया गया और ४ अप्रैल का यह निर्णय लिया गया कि आयोग कार्य नहीं करेगा और इस सम्बन्ध में जितने प्रश्न अभी तक आये उन पर न कोई विचार हुआ और न कोई आवश्यकता ही प्रतीत हुई।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मन्त्री जी को विदित होगा कि केन्द्रीय सरकार ने नीति के अनुसार तृतीय वेतन आयोग का गठन किया है और आयोग से अन्तरिम सहायता भी देने के लिये कहा है तो वे कौन से कारण हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस आयोग को, जो माननीय गुप्ता जी की सरकार द्वारा गठित किया गया था, भंग कर दिया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केन्द्रीय सरकार १० वर्ष बाद आयोग बैठाती है। यहां पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण १९६४-६५ में और १९६५-६६ में हुआ और जो पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट थी उस पर सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया। उसके बाद भी जो त्रुटियां रह गयी थीं, उनको दूर करने के लिए एक एनौमली कमेटी बैठायी जिसने विस्तृत रूप से

उन प्रश्नों पर विचार किया। पे रेशनेलाइजेशन कमेटी २०० स्केल्स से घटा कर ७१ तक ले आयी। तो ऐसी स्थिति में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि इतनी जल्दी इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करूंगा। माननीय तिवारी जी के उधर जाने से विचारों में परिवर्तन हो गया है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस आयोग का उन्होंने जिक्र किया, शर्मा आयोग का, क्या उसकी रिपोर्ट सरकार ने ज्यों की त्यों मान ली और क्या सरकार उन्हें लागू करने का आश्वासन देगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी नहीं।

श्री कृष्णा नन्द राय---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो आयोग गठित किया था, उसमें महापालिका और जिला बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन का भी प्रश्न था और जहां तक नगर महापालिका और जिला बोर्ड के कर्मचारियों का प्रश्न है उनके लिए आज तक कोई आयोग या कमेटी का गठन नहीं हुआ है। तो क्या सरकार इन निकायों के कर्मचारियों के वेतन को पुनरीक्षित करने के लिए किसी आयोग को गठित करने का कष्ट करेगी ?

श्री चरणसिंह---

नगर पालिका और जिला परिषदों के कर्मचारियों की तनख्वाहों की जिम्मेदारी उन्हीं निकायों पर है। सरकार पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। १९६६ में सरकार ने उनको सुझाव दिया था कि नियम बदलें। कुछ को अपग्रेड भी कर दिया था। इस वजह से उन की तनख्वाहें काफी बढ़ गयी हैं। अगर सरकार किसी आयोग का गठन कर दे और इन निकायों की ओर से यह कह दिया जाय कि वे तो इसे नहीं दे सकते हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। इस कारण से सरकार उनकी इस मांग को, जो १०-१२ साल से रही है, मानने के लिए मजबूर है।

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड का घी स्टाक

**७---श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि मार्च, १९७० में कानपुर कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन में २०-२२ हजार किलो घी पड़ा हुआ था, और वह बाजार में नहीं बेचा गया ? यदि हां, तो क्यों और उस घी का क्या हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड में मार्च १, १९७० को तथा अप्रैल १, १९७० को क्रमशः २१,७४१.८ किलो तथा २३,९९०.५ किलो घी स्टाक में था। वह बाजार में बिक रहा है।

श्री रूपकिशोर, कृषि निरीक्षक, जिला आगरा की जमानत का रुपया

**८---श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली) तथा श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रूप किशोर, कृषि निरीक्षक, सत्मादपुर, जिला आगरा, जिन्होंने लगभग ९-१० वर्ष पूर्व अवकाश ग्रहण किया था, ने दिनांक १ मार्च, १९६५ को अपनी जमानत की रकम को लौटाने के लिये शासन को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिववक्ष सिंह राठौर)--

जी हां।

**९--श्री शेरसिंह दानू तथा श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रूप किशोर की मृत्यु के पश्चात् भी उनकी जमानत की रकम तथा अन्य भुगतान लगातार अनुस्मारकों क बावजूद अभी तक क्यों नहीं किये गये ? और यह भी बतायेंगे कि उक्त भुगतान कब तक कर दिये जावेंगे ?

श्री शिववक्ष सिंह राठौर--

स्वर्गीय श्री रूप किशोर की कुल जमानत रु० १,०१३.५२ पैसे थी जब कि उनके विरुद्ध रु० १,०७०.४६ पैसे सरकारी बकाया था। इस बकाया में से रु० ५०० उक्त जमानत की धनराशि से समायोजित किये जा चुके हैं। शेष जमानत की धनराशि रु० ५१३.५२ पैसे को समायोजित करन की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक उनके अन्य भुगतान अर्थात् यात्रा भत्ता एवं अवशेष वेतन का सम्बन्ध है, प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग द्वारा उन्हें कोई बकाया देय नहीं है।

श्री शेरसिंह दानू--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थी पर जो बकाया दिखाया गया है वह किस प्रकार का बकाया है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

मान्यवर, यह बकाया दो प्रकार का है। एक बकाया है जिसका आधार है सर्वे रिपोर्ट लासेज। जब बीज गोदामों पर ये रहे हैं वहां पर जो बाद को सर्वे किये गये तो इनके अवधि काल में वह कमी पाई गई। दूसरी बकाया है क्रेडिट सेल की। उन बीज गोदामों में जो उन्होंने उधार बचा वह इनके नाम से दर्ज है।

श्री शेरसिंह दानू--

क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस बकाया के सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई सूचना या नोटिस दिया गया ?

श्री शिवराज सिंह--

यह बात सही है कि रिटायरमेन्ट के वक्त जब लास्ट पे सर्टिफिकेट ईश्यू किया जाता है उसमें इसका कोई अंकन नहीं था। यह विभाग की तरफ से त्रुटि रही है। जब कर्मचारी की ओर से जो जमानत उस की जमा थी उस की वापसी का प्रश्न उपस्थित किया गया तब हिसाब-किताब देखा गया और इतनी धनराशि उनक समय की उनके ऊपर बकाया पाई गई।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

१ मार्च, १९६५ को उनकी एप्लीकेशन आई जमानत वापसी के बारे में। पांच वर्ष हो गये। अब तक उसका फैसला नहीं हुआ। जैसा कि पता चला है उनकी मृत्यु भी हो गई है, तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसका फैसला होने में कितने वर्ष और लगेंगे ?

श्री शिवराज सिंह--

अब तो यह प्रश्न तय हो गया है। उनकी ओर विभाग के ५७ रु० ९४ पैसे बकाया रहते हैं। देरी का ब्योरा और कारण यह है कि उनकी ओर इस सम्बन्ध में पहला प्रार्थना-पत्र १-३-१९६५ को विभाग को प्राप्त हुआ था। उनसे कुछ सूचना मांगी गई। उस सूचना को देने में सात महीने लगे। तत्पश्चात् श्रीमन्, यह बात हुई है कि २१-१-१९७० तक निदेशालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई और चार साल तीन महीने तक इनका केस डायरे-

क्टोरेट में बगैर किसी कार्यवाही के पड़ा रहा। इतनी देर वहां अवश्य हुई। इसका कारण यह था कि एक क्लर्क जो इस केस से सम्बन्धित था वह लापता हो गया। दूसरे, एक एकाउन्ट्स आफिसर रिटायर हो गये जिससे निदेशालय में देरी हो गयी।

श्री इन्द्रमणी--

प्रश्न मेरा यह है कि मृत्यु के बाद उन पर बकाया दिखाया गया है जिस पर कोर्ट वगैरह ने फैसला नहीं किया है। जब प्रार्थना-पत्र पेश हुआ कि हमारा पैसा वापिस दो तो क्या आप जांच फिर करायेंगे कि यह सही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सही फैसला नहीं हुआ है। तो क्या मन्त्री जी इसमें जांच करायेंगे या मत्री जी निश्चय पर पहुच गये हैं?

श्री शिवराज सिंह--

दुर्भाग्य यह रहा कि इनकी मृत्यु जल्दी हो गई और इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट्स ह वे निश्चित रूप से ये हैं कि इन पर बकाया है।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, बकाया के सम्बन्ध में उनको उसी समय बताना चाहिये था जो बताया नहीं गया। यह भी तसलीम किया गया है कि चार साल तक उन की दरख्वास्त पड़ी रही बिना किसी कारण के तो यह तय है कि सरकारी कर्मचारियों की सुस्ती से यह हुआ। तो क्या सरकार इसका पता लगा करके उन दोषी कर्मचारियों को सजा देने की कृपा करेगी ?

श्री शिवराज सिंह--

मैं निवेदन कर चुका हूं, इसमें दो कर्मचारी दोषी हैं। एक क्लर्क और दूसरा एकाउन्ट अफसर। क्लर्क तो इस समय लापता है और एकाउन्ट अफसर रिटायर हो चुके हैं २ वर्ष पूर्व। इसलिये सरकार असमर्थ है दोषी कर्मचारियों को सजा देने में।

प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगें

**१०--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को विदित है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों ने जनवरी, १९७० में अपना अनशन तत्कालीन सरकार के आश्वासन पर समाप्त कर दिया था? यदि हां, तो वर्तमान सरकार ने इन अध्यापकों की १५० रु० न्यूनतम वेतन, अन्तरिम सहायता तथा लाभदायी योजना क लागू होने आदि मांगों के विषय में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जनवरी, १९७० में किसी अनशन की सूचना सरकार को नहीं है। प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से विधान भवन के सामने २४ घंटे का क्रमिक अनशन ९-२-७० से २५-२-७० तक चलाया गया। सरकार ने अनशन तोड़न क लिये कोई आश्वासन नहीं दिया किन्तु सरकार का रुख शिक्षकों की कठिनाइयों की ओर सहानुभूति का है और इस दृष्टिकोण से इनकी समस्याओं पर विचार किया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय शिक्षा मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। जो सहानुभूति सरकार की शिक्षकों के प्रति है तो क्या उनको अबतक अन्तरिम सहायता देने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

पिछली बार जब ५ जनवरी, १९६९ को अध्यापकों की हड़ताल खत्म हुई थी, तो उसके बाद तदर्थ वृद्धि की गई थी । प्रधानाध्यापकों को १५ रुपये की, सहायक अध्यापकों को १५ रुपये की और अप्रशिक्षित अध्यापकों को १० रुपये की । इस प्रकार से अब अप्रशिक्षित अध्यापक १०० रुपया पाता है, प्रधानाध्यापक १३० और सहायक अध्यापक १२५ पाते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री को विदित है कि उस समय प्राथमिक शिक्षक संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री पटवारी लखनऊ आये थे और वह शिक्षा मंत्री व मुख्य मंत्री से मिले थे और उन्होंने उनको आश्वासन दिया था और कहा था कि २४ घंटे का जो आप लोग सामूहिक अनशन कर रहे हैं, उसे समाप्त कर दिया जाये और आपकी मांगों पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

ऐसा कोई आश्वासन, जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया था ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब अनशन यहां चल रहा था तो सरकार के सम्मुख उसकी जानकारी में उनकी कौन-कौन सी मांगें आई और उनमें से कौन-कौन सी मांगें मंजूर करने पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

उनकी प्रमुख मांगें हैं कि उन्हें १५० रुपये का वेतन दिया जाये और महंगाई भत्ता दिया जाये और आवास भत्ता भी दिया जाय । कोठारी आयोग से संबंधित ये उनकी मांगें हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मेरे पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । मैंने पहले यह कहा था कि कौन-कौन सी मांगे हैं, फिर कहा था कि कौन-कौन सी मांगे सरकार की नोटिस में हैं जिन पर वह विचार कर रही है, तो इसका उत्तर नहीं मिला है और मैं यह भी जानन चाहता हूं कि क्या कोठारी आयोग, जिसको सरकार ने मुकर्रर किया था, की सिफारिशें सरकार मानने का आश्वासन देगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

इस समय तो कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार कब तक अपना विचार पूर्ण कर लेगी और कब तक शिक्षकों को राहत दी जा सकेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने तो बताया इस समय ऐसा कोई निर्णय नहीं है और यों तो समय-समय पर उनकी मांगों को लकर विचार किया ही जाता है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उस समय प्राथमिक शिक्षकों से किसी प्रकार का कोई समझौता हुआ था जो लिखित था या किस प्रकार का था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब जनवरी मास में यह घटना हुयी यानी आन्दोलन और भूख हड़ताल चल रही थी, उस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी गवर्नमेंट में नहीं थी, माननीय मुख्य मंत्री जी से प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मिले थे। यह पचासों हजारों अध्यापकों का प्रश्न है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री वित्त मंत्री जी को बैठा कर डांट रहे हैं,क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष से उन से कोई बात हुयी थी जनवरी या फरवरी के महीने में जब उनका आन्दोलन चल रहा था और गवर्नमेंट की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था और प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों पर गवर्नमेंट विचार करके कोई फैसला करेगी ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरी उनसे जरूर मुलाकात हुई थी । मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था वह चाहते थे कि अच्छा प्रशासन हो जाय जिला परिषदों का विशेषकर उससे उनको संतोष हो जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मुख्य मंत्री को यह सूचना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त अध्यापक इस बात के लिये तैयार हैं कि यदि उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता तो वे आन्दोलन करेंगे और प्रदेश के अन्दर एक ऐसी व्यवस्था पैदा हो जायगी, वे आन्दोलन के कगार पर हैं, इसकी उनको सूचना है ?

श्री चरण सिंह---

मैं अपने अध्यापकों की बुद्धिमानी पर बहुत विश्वास करता हूं बशर्ते कि नित्यानन्द जी अपने पर संयम रखें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षकवृन्द का जो वेतन बकाया था उस वेतन को मांगना भी उनकी मांग थी और यह मांग थी कि समय पर वेतन नहीं मिलता, क्या इस संबंध में कुछ कदम उठाये गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

सरकार हमेशा चाहती है कि शिक्षकों को समय पर वेतन दिया जाय । जब भी ऐसे प्रश्न उपस्थित होंगे इस पर विशेष रूप से विचार किया जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि मध्यावधि चुनाव के ठीक पहले जनवरी में राज्यपाल की तरफ से और माननीय चन्द्रभानु गुप्त की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी डेढ़ सौ रुपये मासिक वेतन और भत्ते की मांग पूरी कर दी जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मेरी जानकारी में कोई आश्वासन की बात नहीं है ।

पी० ए० सी० को दिल्ली बुलाना

**११---श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया) तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ६ अप्रैल, सन् १९७० ई० को उत्तर प्रदेश के पी० ए० सी० के जवान नई दिल्ली में उपस्थित थे ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी और सरकार का वहां भेजने का उद्देश्य क्या था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जी हां । ६ अप्रैल, १९७० को उत्तर प्रदेश पी०ए०सी० के जवान नई दिल्ली में उपस्थित थे। इन जवानों की संख्या २८७ थी तथा भारत सरकार की मांग पर संबंधित फोर्स दिल्ली भेजी गयी थी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जवान दिल्ली कब भेजे गये, कब वापस आये और किस-किस रैंक के थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

१३ मार्च को भारत सरकार ने माँग की थी, १४ मार्च को यह कम्पनी दिल्ली भेजी गयी वह अभी तक वापस नहीं आयी है। भारत सरकार जब कह देगी कि अब आवश्यकता नही है तो बुला लिया जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

किस रैंक के थे ?

श्री अध्यक्ष---

आप एकदम बोल उठते हैं । जब मैं आपका नाम लूं तब बोलें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

प्रश्न में ही था कि किस-किस रैंक के थे । इस लिए मैंने याद दिला दिया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

रेंज की सूचना नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

शम्भूनाथ जी रेंज नहीं, रैंक पूछ रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

सहायक सेनानायक १, कम्पनी कमांडर ३, प्लाटून कमान्डर ९, हेड कांस्टेबिल ५७, कांस्टेबिल २३०, हेड कांस्टेबिल एम०टी० १, कांस्टेबिल एम० टी० १५, अनचर २८, कुल ३४४।

श्री कृष्णानन्द राय---

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से जो पी० ए० सी० प्लेटून मांगा था उसमें क्या यह जिक्र किया था कि दिल्ली में विरोधी दलों की ओर से पार्लियामेन्ट के सामने डिमांस्ट्रेशन होने जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए प्लेटून भेज दिया जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

किस कारण से इस पी० ए० सी० बटालियन की भारत सरकार को आवश्यकता थी?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

भारत सरकार की रिजर्व फोर्स दूसरी जगह लगी हुई थी । दिल्ली प्रशासन के प्रबन्ध के लिए उनको फोर्स की आवश्यकता थी जिसक लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फोर्स भारत सरकार को दी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

दिल्ली प्रशासन का प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में नहीं है, उसका प्रबन्ध अलग से होता है तो किस आधार पर प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार को पी० ए० सी० का प्लेटून भेजा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जैसा पहले निवेदन कर चुका हूं सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दूसरी जगह भेजी जा चुकी थी। इसलिये दिल्ली प्रशासन के लिये पुलिस फोर्स की जरूरत थी जिसके लिये यह पी० ए० सी० भेजी गयी थी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

लेकिन सवाल यह है कि यह किस काम के लिए भेजी गयी थी ?

श्री चरण सिंह---

मैं जवाब दिये देता हूं। भारत सरकार को किस चीज के लिए पुलिस की जरूरत है यह सवाल इर्रिलेवेन्ट है। उनके कहने पर आसाम में पुलिस भेजी गयी। काश्मीर में भी कुछ पी० ए० सी० है। राजस्थान या किसी अन्य जगह पर जरूरत होती है तो भी हम भेजते हैं। हमारे लिये यह प्रश्न नहीं उठता कि उनसे पूछें कि किस चीज के लिए उनको फोर्स की जरूरत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या यह सही है कि ६ अप्रैल से संसद के सामने होने वाले प्रदर्शन के सिलसिले में यह पुलिस भेजी गयी थी ?

श्री चरण सिंह--

यह हमको नहीं मालूम। उन्होंने हमको १३ मार्च को कहा था ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

पी० ए० सी० के ये जो नौजवान भेजे गये थे, ६ तारीख को जो यह घटना हुई थी उसमें यह शरीक थे ?

श्री चरण सिंह---

यह नहीं मालूम वह शामिल थे या नहीं थे और कहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस पी०ए०सी० के प्लाटून का खर्चा कौन बरदाश्त करेगा ?

श्री चरण सिंह---

भारत सरकार खर्चा देती है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार यह जांच करायेगी कि उत्तर प्रदेश की पी०ए०सी०, एस० एस० पी० के विधायकों को पीटने में दोषी है ?

श्री चरण सिंह---

जी नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि दिल्ली में जो

पुलिस भेजी गई है वह मेरठ डिवीजन से भेजी गई है और इस हिदायत के साथ भेजी गई है कि वह वहां जाकर लाठी चार्ज करे ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, पुलिस कहां से भेजी गई, यह मुझको नहीं मालूम है। यह मेरठ से भेजी गई है या बाराबंकी से भेजी गई है, यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

दिल्ली में एस०एस०पी० के प्रदर्शन के समय बाराबंकी का जो आदमी मारा गया है, क्या वह उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गई पी०ए०सी० से मारा गया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जी०एम० हिन्दू इण्टर कालेज, सिकन्दराराऊ के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*१—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जी०एम०हिन्दू इंटर कालेज, सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ के अध्यापक गत ६ महीने से वेतन न मिलने के कारण ८ फरवरी, सन् १९७० से हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों को वेतन दिलाने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। परन्तु यह हड़ताल ११-२-१९७० को समाप्त हो गयी। संस्था का अनुपालन अनुदान निलम्बित कर दिया गया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगदीश गांधी—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के अध्यापकों को गत ६ मास से वेतन न मिलने के कारण उनकी हड़ताल खत्म करने का आश्वासन वहां के स्थानीय अधिकारियों ने दिया था कि उनका वेतन तुरन्त ही दिला दिया जायेगा और वे हड़ताल समाप्त कर दें ? अध्यापकों ने हड़ताल समाप्त कर दी किन्तु फिर भी उन्हें अभीतक वेतन नहीं दिलाया गया। तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार उन अध्यापकों को शीघ्र वेतन दिलाने का प्रयास कर रही है और उनको वेतन कब तक मिल जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसा हुआ था कि अधिकारियों ने बीच में पड़ कर अध्यापकों की हड़ताल समाप्त करने का आश्वासन दिया था कि उनका वतन समय पर दिया जायेगा और उसकी कोशिश की गई। जो समझौता हुआ था उसक अनुसार जो विद्यालय क प्रबन्धक हैं व फीस का रुपया और जो अनुदान उनको दिया जाता है उसका रुपया दोनों को मिला कर उन लोगों का वेतन दे दिया जायेगा। प्रबन्धक महोदय ने बाद में एक चेक काट कर दिया लेकिन वह भी गलत था और इस प्रकार मालूम हुआ कि ४,००० रु० की धनराशि बैंक में जमा नहीं थी। तो ऐसा जान पड़ता है कि इसमें अनियमिततायें हैं। अतः अन्य कार्यवाही की जा रही है कि उनको समय पर वेतन मिल जाय।

श्री जगदीश गांधी---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय के मैनेजर की पिछले दो सालों से शासन के पास शिकायतें आ रही हैं कि उन्होंने कालेज के रिकार्ड्स को चोरी कराया और करीब एक लाख रुपये का दुरुयोग हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

आप सूचना दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री जगदीश गांधी---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विद्यालय के अध्यक्ष को हटाकर उसके बदले किसी दूसरे की नियुक्ति करने पर शासन विचार कर रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

हां, इस विद्यालय में असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है अतः रिसीवर नियुक्त करने पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या इन सारी अनियमितताओं को देखते हुए माननीया मंत्री जी इस विद्यालय का स्पेशल आडिट कराने का प्रयत्न करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

स्पेशल आडिट तो हो चुका है उसी में तो काफी अनियमिततायें पायी गयी हैं । इसीलिय शासन यह विचार कर रहा है कि उसको प्रशासक की देख-रेख में कर दिया जाय ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

मैं तो एक पालिसी का सवाल पूछ रहा था कि और जगह भी जहां अनियमिततायें बरती जा रही हैं, वहां पर रिसीवर मुकर्रर किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

यह आम सवाल है, इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री जगदीश गांधी---

इस विद्यालय की अध्यक्षा ने धारा ४ के अनुसार सरकार से मैनेजर को हटाने की मांग की है तो क्या मंत्री जी उसकी स्वीकृति देकर मैनेजर को हटाने में अध्यक्षा की सहायता करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

इस विद्यालय में जो अनियमिततायें हैं उन पर विचार करते हुए ही सरकार वहां रिसीवर मुकर्रर करने की सोच रही है ताकि वहां पर सुचारुरूप से काम हो सके। इस बात पर भी विचार किया जायगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

आपने मेरे सवाल को अस्वीकार कर के मेरे साथ पक्षपात किया है ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके इस शब्द को वापस लें ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है । जगदम्बा प्रसाद जी ने उस शब्द को वापस नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके उसको वापस ले लें ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

वह आपके प्रति नहीं है । उसका अर्थ तो समझ लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

वह आपने मेरे लिए कहा । आपने सवाल को व्यापक बना दिया । मामला एक जगह का था । व्यापक सवाल को मैं किस प्रकार से स्वीकार कर सकता हूं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मैं जनरल पालिसी की बात पूछ रहा था । अगर आप कहते हैं तो मुझे खेद है, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरा प्रश्न व्यापक जरूर है किन्तु आपकी आज्ञा से और यदि माननीय मन्त्री जी उसका उत्तर देना चाहें, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १,४०० माध्यमिक विद्यालय हैं और उनमें दुर्दशा यह है कि वहां समय से वेतन नहीं मिलता । उसके सम्बन्ध में एक योजना बनी थी, कदाचित् वह समाप्त हो गयी । क्या सरकार के सामने कोई नयी योजना है कि उन लोगों को समय से वेतन मिल जाया करे ? क्या उस की कोई रूपरेखा मन्त्री जी दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मूल प्रश्न केवल एक ही जगह का था ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने उस के लिए शुरू में ही कह दिया कि आप की आज्ञा से और मन्त्री जी यदि उत्तर देना चाहें तो दे दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामगोपाल संड—

क्या इस विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति समय से वेतन मिल जाया करेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है और जो फीस वसूल की जाती है, उसी से उनको वेतन मिलता है, उसी से दिया जायगा ।

श्री जगदीश गांधी—

माननीया शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि वह रिसीवर कब तक अप्वाइन्ट कर देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जितनी जल्दी हो सकता है, किया जायगा ।

यशोदालाल मिश्र माध्यमिक विद्यालय, बड़ागांव के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*२—श्री रामबचन यादव, श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि यशोदालाल मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़ा गांव, जिला आजमगढ़ के अध्यापकों को ५ से १० मास तक का वेतन नहीं मिला है जिसको प्राप्त करने की मांग लेकर उनके प्रतिनिधि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो उनको वेतन दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, वेतन न मिलने के कारण अध्यापकों ने २५-२-१९७० से भूख हड़ताल की थी जो दिनांक ८-३-१९७० को समाप्त हो गयी। विभाग द्वारा संस्था का अनुदान निलम्बित करके वेतन-वितरण का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को दे दिया गया है।

श्री राम बचन यादव—

क्या सरकार इन अध्यापकों को जिनका दस महीने का वेतन बकाया है उन्हें दिलाने की कोई व्यवस्था कर रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

विद्यालय का अनुदान निलम्बित हो जाने के बाद विद्यालय निरीक्षक के द्वारा उनको वेतन दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामबचन यादव—

जो बकाया है उसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

विद्यालय की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। पिछले वर्ष इस के अनुदान में भी कुछ कटौती हुई थी क्योंकि इसका परीक्षाफल अच्छा नहीं हुआ था। छात्रों की संख्या भी वहां कम हो गयी है। धनाभाव के कारण ही शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। जैसे ही हालत सुधरती जायगी कोशिश यह की जायगी कि जल्दी से जल्दी उन्हें वेतन मिल जाय।

श्री रामबचन यादव—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि १९६९—७० में जो अनुदान मिला था उसका दुरुपयोग किया गया है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कुछ ऐसी बात अवश्य है इसी लिए तो उनके अनुदान को निलम्बित किया गया था।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगी कि इस विद्यालय की जो अवनति हो रही है इसका कारण उन प्रबन्धक महोदय की अनियमिततायें हैं जिसके फलस्वरूप सरकारी अनुदान का दुरुपयोग एवं छात्रों की कमी हो रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री इन अध्यापकों के वेतन को अनुदान के द्वारा दिलाने की शीघ्रातिशीघ्र कोशिश करेंगे जिससे इस मंहगाई के समय में उनका भरण पोषण हो सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह कोशिश तो की ही जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

प्रतापगढ़ जिले के माध्यमिक विद्यालयों में भ्रष्टाचार

*१—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद की माध्यमिक शिक्षक संघ की इकाई शाखा इन्टरमीडियेट कालेज, पट्टी द्वारा एक स्मृति-पत्र कतिपय माध्यमिक विद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध माननीय शिक्षा मन्त्री को दिनांक २३ मई, १९६७, मुख्य मंत्री को दिनांक २२ जुलाई, १९६७ एवं वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी एवं मुख्य मन्त्री जी को दिनांक १८मार्च, १९६९ को दिया गया था ? यदि हां, तो स्मृति-पत्र का सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुये थे। इन पत्रों में प्रतापगढ़ जनपद के १२ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन दान में लेने, उनको निर्धारित वेतन-क्रम न देने, उनकी पदोन्नति न करने, उनके स्थानान्तरण करने, विद्यालयों में विभागीय नियमों का उल्लंघन करने तथा छात्रों से अवैध शुल्क लेने आदि मुख्य आरोप थे ।

अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच की गयी तथा बहुत सी अनियमिततायें अब दूर हो गयी हैं। शेष के विषय में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामदेव—

क्या माननीया शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि जो आरोप शिक्षकों ने स्मृति-पत्र के माध्यम से लगाये थे और जिन आरोपों की चर्चा भी उत्तर में है उनमें से कितने आरोप सही पाये गये और कितने गलत पाये गये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

काफी लम्बे चौड़े आरोप हैं और उनकी पूरी जांच की गयी है। इसके बारे में अगर मैं पूरा विवरण देने लगूं तो समय काफी लगेगा। माननीय सदस्य अगर चाहें तो डिटेल में उन्हें बाद में बता सकती हूं क्योंकि करीब करीब १७–१८ आरोप थे जिन की जांच की गयी है ।

श्री रामदेव—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आरोपों की जांच किन महानुभावों के माध्यम से करायी गयी ? क्या उनकी जांच की आख्या यहां मौजूद है और यदि है, तो क्या शिक्षा मन्त्री उसको पढ़ने की कृपा करेंगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नौनिहाल सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पृष्ठ २०८ पर यह लिखा हुआ है कि किसी स्थानीय संस्था के चुने हुये अध्यक्ष के ऊपर छींटाकशी करने अथवा उसे बदनाम करने वाले अनुपूरक प्रश्न नहीं किये जा सकते, लेकिन यहां पर बारबार नाम पूछा जा रहा है। इस पर मैं व्यवस्था चाहूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

शिक्षा मन्त्री जी ने यह कहा है कि वह गम्भीर और लम्बे-चौड़े आरोप हैं। श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मन्त्री जी कुछ मुख्य आरोप सदन को बतलाने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कहा यह जाता है कि लगभग १२ ऐसे विद्यालय हैं जो एक जगह चल रहे हैं जिन के प्रबन्धक नाम के लिए अलग-अलग हैं, लेकिन उन को एक ही व्यक्ति चला रहा है। यह तो हम ने प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया है। मुख्य आरोपों को तो बता ही दिया है। ज्यादा डिटेल में इस समय बताना मैं समझती हूं ठीक नहीं होगा।

श्री राम गोपाल सण्ड—

जो महानुभाव १२ विद्यालयों को चला रहे हैं उनका नाम क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं ? क्या वह विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य उनका नाम जानते ही हैं, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह विधान सभा के सदस्य हैं या विधान परिषद् के सदस्य हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वह विधान परिषद् के सदस्य हैं।

श्री रामदेव—

क्या माननीया मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि उन १२ उच्चतर विद्यालयों के नाम क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

विद्यालयों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) इन्टर कालेज, रानीगंज,
(२) इन्टर कालेज, पट्टी,
(३) इन्टर कालेज, कुंडा,
(४) इन्टर कालेज, ढिगवस,
(५) इन्टर कालेज, लक्ष्मणपुर,
(६) गांधी इन्टर कालेज, सांगीपुर,
(७) तिलक इन्टर कालेज, प्रतापगढ़,
(८) उ० मा० वि०, गड़वारा,

(९) उ० मा० वि०, रामगंज,
(१०) उ० मा० वि०, संग्रामगढ़,
(११) उ० मा० वि०, साहबगंज,
(१२) उ० मा० वि०, कोड्डोर ।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि अभी माननीया शिक्षा मन्त्री ने यह बताया कि वह विधान परिषद् के सदस्य हैं । यह सदन जानना चाहता है कि उनका नाम क्या है । मैं समझता हूं कि उनका नाम बताने में आपत्ति नहीं होनी चाहिय ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया है । प्रश्न पूछा गया था कि क्या वह इस सदन के सदस्य हैं । उन्होंने बता दिया कि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं ।

श्री रामदेव—

अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पूछा गया था । उनका नाम नहीं बताया गया है । मैं चाहूंगा कि उनका नाम बताया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या वह इस सदन के सदस्य हैं और अगर हैं तो उनका नाम क्या है ? वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं । विधान परिषद् के सदस्य हैं, इसलिए नाम बताने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामदेव—

वह श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय हैं, यदि हैं तो माननीया मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न समाप्त हुये ।

एक सदस्य—

वह सम्मानित सदस्य यहां मन्त्री रह चुके हैं ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में असमानता

*२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सम्मिलित प्राइमरी कक्षाओं के पढ़ाने वाले अध्यापकों तथा जिला परिषद् के प्राइमरी स्कूलों के बी० टी० सी० ट्रेंड अध्यापकों की महंगाई और वेतन भत्ते की दर क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न मान्यता प्राप्त प्राइमरी कक्षाओं की अध्यापिकाओं के वेतन-क्रम व मंहगाई भत्ते एवं जिला परिषदों के प्राइमरी स्कूलों के प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-क्रम व मंहगाई भत्ते की दरें संलग्न तालिका में अंकित हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९३६ पर)

*३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह सत्य है कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधिकांश प्रबन्धकों द्वारा अपने विद्यालय के प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों के लिए निर्धारित महंगाई-भत्ता नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों तथा नियमानुकूल निर्धारित पूरा महंगाई-भत्ता दिलाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

नोट :—तारांकित प्रश्न १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री श्रीपति मिश्र—

इस बिन्दु पर सम्पूर्ण सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

आर० बी० एम० इंटर कालेज, तिलहर के अध्यापक श्री एस०बी० सिंह की मुअत्तली

*४—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह पता है कि आर० बी० एम० इण्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर, के वाइस प्रिंसिपल श्री एस० बी० सिंह ७ महीने से निलम्बित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, प्रबन्ध समिति ने उनके विरुद्ध आरोप लगाये हैं।

मुरादाबाद जिले के दीक्षा विद्यालयों में नामांकन

*५—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुरादाबाद जिले के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में शिक्षा वर्ष १९६९–७० के लिए बी० टी० सी० ट्रेनिंग हेतु सरकार द्वारा नामांकित किये जाने वाले विद्यार्थियों के कितने स्थान दिनांक ३० सितम्बर, १९६९ तक रिक्त रहे और उनके उस समय तक रिक्त रहने का क्या कारण था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मुरादाबाद जिले में तीन राजकीय दीक्षा विद्यालय हैं। एक विद्यालय में केवल जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रवेश दिया जाता है। इस में नामांकन नहीं होता। शेष दो विद्यालयों में पांच अभ्यर्थी प्रति विद्यालय के आधार पर दस नामांकन होते थे। ग्यारह नामांकित अभ्यर्थियों ने राजकीय दीक्षा विद्यालय, मुरादाबाद में प्रवेश लिया। अतः नामांकित किये जाने वाले विद्यार्थियों का कोई स्थान रिक्त नहीं रहा।

सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन का वेतन

*६—श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कुछ सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन ऐसे हैं जो जूनियर होते हुये भी या एक बैच के होते हुए या बिना लाइवस्टाक सुपरवाइजर प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये ही उच्च वेतनक्रम १६०—२८० में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक में कितने और क्यों ?

पशुपालन मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३७ पर)

मेरठ जिले की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*७—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में कितनी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थायें हैं जिन्होंने २ या २ से अधिक महीनों का वेतन अपने अध्यापकों

व अध्यापिकाओं को वितरित नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार उन विद्यालयों में वेतन वितरित कराने का क्या उपाय कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस प्रकार के माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या मेरठ जिले में १५-३-१९७० को ८१ थी ।

समय-समय पर विद्यालय की प्रबन्ध समितियों को वेतन वितरण के आदेश दिये गये हैं ।

हरनारायण इंटर कालेज, गंजडुंडवारा के विरुद्ध कार्यवाही

*८—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरनारायण इन्टर कालेज, गंज डुण्डवारा, जिला एटा, की प्रबन्ध समिति के सदस्य श्री नाथूराम गुप्ता तथा उनके पिता लाला हर नारायण सदस्य के रूप में सन् १९५८ से सन् १९६९ तक कार्य करते रहे और सन् १९६१ में श्री नाथूराम गुप्ता लिपिक के पद पर अवैतनिक रूप में नियुक्त किये गये और तबसे अब तक उस कालेज के विभिन्न वैतनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो शिक्षा संहिता तथा सरकारी आदेशों के विपरीत कार्य करने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । इस सम्बन्ध में संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिये जा रहे हैं ।

सुभाष महाविद्यालय, ताड़ी बड़ागांव के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुभाष महाविद्यालय, ताड़ी बड़ा गांव, जिला बलिया, के कितने अध्यापकों के वेतन का भुगतान माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितम्बर और दिसम्बर, सन् १९६८ का दिनांक १६ फरवरी, १९७० तक नहीं हुआ है तथा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अभीष्ट सूचना निम्न प्रकार है :—

अप्रैल, १९६८	..	..	७ अध्यापक ।
मई, १९६८	.	..	१० अध्यापक ।
जून, १९६८	.	..	९ अध्यापक ।
जुलाई, १९६८	..	..	९ अध्यापक ।
सितम्बर, १९६८	..	..	९ अध्यापक ।
दिसम्बर, १९६८	..	..	१२ अध्यापक ।

वेतन भुगतान न होने का कारण विद्यालय का धनाभाव है ।

[१ मई, १९७० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रतापगढ़ तिलक इंटर कालेज के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*१—श्री रामदेव —

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि प्रतापगढ़ तिलक इण्टर कालेज के अध्यापकों को गत पांच महीनों से वतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शिक्षा मंत्री शीघ्र वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

धनाभाव के कारण गत चार मास का वेतन अवशेष है। विद्यालय का अनुदान निलम्बित है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुदान तथा शुल्क आय की धनराशि से यथा सम्भव वेतन का वितरण किया जाता है।

*२—श्री कृष्णस्वरूप—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा के खिलाफ शिकायत

*३—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा, के आचरण तथा व्यवहार के विरुद्ध गोंडा जिले के लगभग २० उप जिला विद्यालय निरीक्षकों का कोई लिखित शिकायती-पत्र वर्ष १९६७–६८ में अथवा १९६८–६९ में सरकार को मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*४—श्री जगदीश गांधी—

[दि० २८ अप्रैल, १९७० को प्र० सं० २९ के अन्तर्गत उत्तरित।]

राधाकृष्ण पूर्व माध्यमिक विद्यालय, फाफामऊ की कृषि भूमि तथा अध्यापकों का कथित अवशेष वेतन

*५—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि राधाकृष्ण पूर्व माध्यमिक विद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद, के अध्यापकों की तनख्वाह सन् १९६६ से अक्तूबर, १९६९ तक बकाया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्रबन्धक की आख्यानुसार उल्लिखित अवधि का अध्यापकों का वेतन बकाया नहीं है।

*६—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त विद्यालय के पास १५ एकड़ जमीन कृषि के लिये जिलाधीश, इलाहाबाद, ने दिया है ? यदि हां, तो पिछले ४ वर्षों में खेती से कुल कितनी आय स्कूल को प्राप्त हुई है और वह धन कहां जमा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

चार वर्षों में रु० ३०४·६९ पैसे की आय हुई है। प्रबन्धक ने सूचना दी है कि इस धन से काष्ठोपकरण क्रय किया गया है।

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की परीक्षाओं की मान्यता

*८—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण स्नातकों को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी० ए० प्रथम वर्ष में तथा उत्तमा (साहित्य रत्न) परीक्षा उत्तीर्ण स्नातकों को एम० ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश ले कर आगे अध्ययन करने की मान्यता हेतु अनेक आवेदन-पत्र सरकार के पास भेजे हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक कोई निर्णय किस कारण नहीं लिया जा सका है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। चूंकि विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु शैक्षिक मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विश्वविद्यालयों को ही विचार करना होता है, अतः शासन ने विश्वविद्यालयों को लिखा है।

*९—श्री रामगोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मत्स्य विभाग के टेंडर फार्म

*१०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री, मत्स्य विभाग कृपया बतायेंगे कि क्या वर्ष १९६८–६९ में मत्स्य विभाग के अलग-अलग जलाशयों से मछली निकालने व खरीदने के टेंडर फार्म विभाग द्वारा ठेकेदारों को अलग-अलग दर पर बेचे गये थे? यदि हां, तो किस जलाशय के किस दर से?

डाक्टर सीताराम—

जो हां। दरें संलग्न सूची (अ) में दी हुयी हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३८–९४१ पर)

*११—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री, मत्स्य विभाग, कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या इस वर्ष उपर्युक्त टेंडर फार्मों के रेट में परिवर्तन किया गया है और क्या इस परिवर्तन के कारण पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष इस मद से होने वाली सरकारी आय घट गई है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, अर्थात् वर्ष १९६९–७० में दरों में परिवर्तन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कम आय हुयी।

*१२–१३— श्री इन्द्रलाल—

[वन मंत्री की प्रार्थना पर ५वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*१४—श्री मंजूर अहमद—

[वन मंत्री की प्रार्थना पर ५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, इलाहाबाद को विज्ञान की मान्यता

*१५—श्री जगदीश गांधी तथा श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष इलाहाबाद नगर के ऐसे इन्टरमीडिएट कालेज को इन्टर विज्ञान की मान्यता दी गई है जिसके इन्टर कला की परीक्षा में केवल दस विद्यार्थी बैठे थे और केवल दो ही उत्तीर्ण हुये? यदि हां, तो क्या मान्यता शिक्षा निदेशक महोदय ने दी है या मान्यता समिति ने?

श्री श्रीपति मिश्र—

इलाहाबाद नगर के डी० ए० वी० इन्टर कालेज, जिसको १९६९ में इन्टर विज्ञान की मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई उसका इन्टर साहित्यिक का परीक्षाफल निम्नवत् था :—

वर्ष	पंजीकृत	उत्तीर्ण
१९६८	८	२
१९६९	१८	१५

*१६—श्री जगदीश गांधी तथा श्री होतीलाल अग्रवाल—

क्या उक्त विद्यालय में अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रतिमाह वेतन का भुगतान कर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो कितने माह का वेतन अधिकतम अवधि तक १९६८-६९ में चढ़ा रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं, १९६८-६९ में वेतन अधिकतम दो माह की अवधि तक चढ़ा रहा।

के० बी० डिग्री कालेज, मथुरा में गबन की जांच

*१७—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि के० बी० डिग्री व इण्टर कालेज, माछरा, जिला मेरठ, द्वारा करीब ३ लाख रुपये के गबन किये जाने की शिकायत की जांच पुलिस कर रही थी ? यदि हां, तो उक्त विषय पर २० जनवरी, १९७० तक क्या कार्यवाही की गई और पुलिस जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

केवल के० बी० डिग्री कालेज के विषय में एक गबन की शिकायत पर पुलिस की जांच अभी जारी है।

इन्टर कालेज से सम्बन्धित कोई गबन की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन के वेतन में असमानता

*१८—श्री रामकरन गोरखपुर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण प्राप्त एवं एक ही प्रकार के कार्य करने वाले सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन के वेतन-क्रमों में अन्तर है ? यदि हां, तो कितने, किस वेतन-क्रम में हैं और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

११९ सहायक विकास अधिकारी १६०-२८० रु० के वेतनक्रम में तथा ३९ वेतन-क्रम १२०-२२०रु० में कार्यरत हैं। जो सहायक विकास अधिकारी, पशु पालन चयन समिति द्वारा योग्यता व कार्यक्षमता के आधार पर चुन लिये गये हैं उन्हें १६०-२८० का वेतनक्रम प्राप्य है।

*१९—श्री रामकरन गोरखपुर—

सन् १९६२ के प्रथम सत्र के १५वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री काशीनाथ बहादुर पाल विधायक के प्रश्न संख्या १८२ क उत्तर में सरकार ने जो कहा था उसके बारे में सरकार क्या कर चुकी है और क्या कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---

१९६२ में जो उत्तर दिया गया था उसमें सहायक विकास अधिकारी के तीन वर्ष पूरे हो जाने के बाद वेतन-क्रम १२०-२५० देने हेतु विचार करने का आश्वासन दिया गया था। इस समय ३९ सहायक विकास अधिकारियों को १२०-२२० का वेतन-क्रम तथा ११९ अधिकारियों को चयन समिति द्वारा चुन लिये जाने पर १६०-२८० का वेतन-क्रम दिया जा रहा है।

हरदोई जिले के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन

*२०---श्री हिम्मत सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ जनवरी, १९७० तक हरदोई जिले के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन स्थायीकरण सम्बन्धी कितने मामले राज्य सरकार के विचाराधीन थे ? तथा उस पर कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जावेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जूनियर हाई स्कूल, अजगैन, की मान्यता वापस लेना

*२१---श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, अजगैन, जिला उन्नाव के कृषि फार्म पर नर्सरी पक्का कुआं, बैलों और भूमि सुधार के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री शिक्षा कोष से हजारों रुपया व्यय होने के उपरान्त उक्त विद्यालय से पुनर्व्यवस्था योजना के अब हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जूनियर हाई स्कूल, अजगैन, जिला उन्नाव, एक अस्थाई मान्यता प्राप्त संस्था थी। इस विद्यालय को अस्थाई मान्यता वर्ष ६६-६७ से विद्यालय में विद्यमान गंभीर अनियमितताओं के कारण नहीं हो गई। फलस्वरूप पुनर्वव्यवस्था योजना को भी वहाँ से हटा लेना पड़ा।

*२२---श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या सरकार इस योजना को पुनः चालू करने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

उपयुक्त विद्यालय में पुनर्व्यवस्था योजना पुनः चालू करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि विद्यालय को अब विभागीय मान्यता प्राप्त नहीं है।

हरिजन विधायकों का प्रतिवेदन

*२३---श्री गंगा प्रसाद, श्री ज्वाला प्रसाद, श्री माता प्रसाद, श्री राम निहोर, श्री कन्हैया लाल तथा श्री शिवलाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मुख्य मंत्री को ३६ कांग्रेसी हरिजन विधायकों ने दिनांक ११ अगस्त, १९६९ को हरिजन समस्या पर एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई, उसकी पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)---

जी हां।

उक्त प्रत्यावेदन में जो मांगें हैं वह शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित हैं। हरिजन सहायक विभाग से संबंधित मांगों परकृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

शेष मांगों के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है।

अम्बेदकर छात्रावास, मझौला में श्री वृजनन्दन द्वारा चाय पीने से इनकार की शिकायत

*२४—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री, हरिजन तथा समाज कल्याण बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें हाल में सूचना मिली है कि उपनिदेशक, हरिजन तथा समाज कल्यण विभाग श्री बृजनन्दन जी का जिला मुरादाबाद में अम्बेदकर छात्रावास, मझोला में इनके सम्मान में छात्रों द्वारा चाय का जो आयोजन किया था उसको उन्होंने छुआछत के आधार पर पीने से इनकार किया ? यदि हां, तो क्या उनको छुआछूत के अधिनियम के अन्तर्गत दंड देने की व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

इस प्रकार का समाचार कुछ दैनिक पत्रों में छपा था, परन्तु जांच करने पर वह गलत पाया गया। वस्तुतः उक्त अधिकारी ने छुआछूत के आधार पर चाय पीने से इनकार नहीं किया था।

प्रश्न नहीं उठता।

उप शिक्षा संचालक, आगरा मंडल, आगरा, का अवैध निर्देश

*२५—श्री कल्यान सिंह, श्री अनीसुर्रहमान, (जिला अलीगढ़), श्री महेन्द्र सिंह, श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा), श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)
श्री हिम्मत सिंह, श्री नेतराम सिंह, (जिला एटा), श्री सियाराम (जिला एटा), श्री मोहन लाल कपूर, श्री प्रेम नारायण, अहेरवार एडवोकेट, (जिला झांसी), श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी), श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या शिक्षा मंत्री जी को जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा, को सम्बोधित एवं आगरा मंडल के अन्य जिला विद्यालय निरीक्षकों को अग्रसारित-उपशिक्षा संचालक द्वितीय मंडल, आगरा के डी० ओ० अर्धशासकीय पत्रांक एफ/१२२८/२९।११-१० (५६), दिनांक ८ अगस्त, १९६७ के निर्देशों से उत्पन्न असाधारण स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये प्रश्नकर्ता विधायकों का दिनांक १ अगस्त, १९६९ को कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है, ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उक्त पत्र के निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है और उप शिक्षा संचालक से स्पष्टीकरण मांगा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

विषय शासन के विचाराधीन है।

*२६—श्री कल्यान सिंह, श्री अनीसुर्रहमान, श्री महेन्द्र सिंह, श्री सतीशचन्द्र, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री हिम्मत सिंह, श्री नेतराम सिंह, श्री सियाराम, श्री मोहन लाल कपूर, श्री प्रेम नारायन, अहेरवार श्री एडवोकेट मलिखान सिंह, श्री चेतराम गंगवार तथा श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या सरकार उप शिक्षा संचालक द्वितीय मंडल, आगरा के उपरोक्त पत्र को तथा तत्सम्बन्धी दिनांक १ अगस्त. १९६९ के उक्त ज्ञापन को सदन के पटल पर रखन की कृपा करेगी ?

---

*छापी नहीं गयी।

क्या सरकार उपरोक्त पत्र के परिच्छेद ३ में उल्लिखित व इसी सम्बन्ध में प्रसारित अर्ध-शासकीय पत्रांक डी० आई०/पी० एल०/जी० (१), ५३०८७६। XLIV ,दिनांकित १९ अक्तूबर, १९६४ को भी सदन की पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक १-८-१९६९ के ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। दिनांक १९-१०-१९६४ तथा दिनांक ८-८-१९६७ के पत्र सदन की मेज पर रखना लोक हित में नहीं होगा ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९४२-९४४ पर)

जमीयतुल उलमाए हिन्द का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संबंध में कथित प्रस्ताव

*२७--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जमीयतुल उलमाए हिन्द की कार्यकरिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की मांग पर अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा १ नवम्बर १९६९ को एक राजाज्ञा प्रसारित कर के प्रदेश की समस्त शिक्षा संस्थाओं को यह आदेश दिया गया है कि वह अपने विद्यालयों की भूमि तथा इमारत, आदि का प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, आदि में न लावें ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं।

*२८--२९--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[वन मन्त्री की प्रार्थना पर ५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

*३०--३१--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[वन मंत्री की प्रार्थना पर ५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

इंटरनेशनल कालेज, पिंडरा की प्रबन्धक समिति

*३२--श्री दुर्जन (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर नेशनल कालेज, पिंडरा, वाराणसी में मैनेजिंग कमेटी का चुनाव कब से नहीं हुआ और क्या पुरानी मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव दिनांक २५ जनवरी, १९६८ को हुआ था। विद्यालय की प्रशासन योजनानुसार समिति का कार्यकाल चुने जाने की तिथि से तीन वर्ष का होता है। इस प्रकार कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बलदेव आर्य कन्या पाठशाला एवं दयानन्द गर्ल्स डिग्री कालेज, मुरादाबाद के अध्यापकों का वेतन

*३३--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बलदेव आर्य कन्या पाठशाला मुरादाबाद एवं दयानन्द गर्ल्स डिग्री कालिज, मुरादाबाद के अध्यापकों व प्राध्यापिकों को गत नौ मास से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दोनों संस्थाओं के अध्यापकों और प्राध्यापिकों का माह फरवरी, १९७० तक के वेतन का भुगतान हो चुका है। कारण का प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद्, अलीगढ़ के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*३४— श्री कल्यान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायंगे कि जिला परिषद्, अलीगढ़ द्वारा संचालित समस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल्स में अध्यापकों का वेतन कितने माह से वितरित नहीं किया गया, इतनी लम्बी अवधि तक वेतन वितरण न होने का कारण क्या है, तथा सम्पूर्ण अवशिष्ट वेतन कब तक वितरित कर दिया जायगा?

श्री श्रीपति मिश्र —

फरवरी, १९७० तक का वेतन दे दिया गया है।

शेष बातों का प्रश्न नहीं उठता है।

महाराजगंज इंटर कालेज के शिक्षकों को वेतन न मिलना

*३५—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत महराजगंज इण्टर कालेज के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन लगभग ११ माह से लेकर २० माह तक का २८ फरवरी, १९७० तक नहीं दिया गया है? क्या सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष शिक्षक 'आमरण अनशन' भी कर रहे हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

पांच से नौ माह तक का वेतन २८-२-१९७० को अवशेष था। इसके भुगतान के लिये २६-२-१९७० को दो कर्मचारियों ने अनशन प्रारम्भ किया था जो २७-२-१९७० को ही समाप्त भी हो गया।

*३६—श्री लालसा —

यदि यह सत्य है तो क्या सरकार शिक्षकों को वेतन दिलाने के लिये अविलम्ब कोई उचित कार्यवाही करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

हाकिम परगना सगड़ी विद्यालय के रिसीवर हैं और यथा संभव वेतन भुगतान की ओर ध्यान दे रहे हैं।

बाराबंकी जिले में विद्यालयों को अनुदान विलम्ब से मिलना तथा उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त सेक्शन

*३७—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी) —

क्या सरकार के कुछ ऐसे आदेश हैं जिसके अन्तर्गत सरकारी सहायता (गवर्नमेंट ग्रांट) प्राप्त विद्यालयों को उन की सहायता (एड) ३१ मार्च से पहले न दी जाय? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि बाराबंकी जिले के सहायता प्राप्त विद्यालयों को १९६९-७० की सहायता (एड) २८ फरवरी, १९७० तक नहीं दी गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

ऐसे कोई आदेश नहीं हैं। बाराबंकी जिले के कुछ विद्यालयों के आयव्ययक गत वर्ष विलम्ब से प्राप्त हुये थ। अतः उन्हें अनुदान २८-२-१९७० के पश्चात् स्वीकृत किया गया।

अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पूर्व वर्ष के आधार पर संस्थाओं को तीन त्रैमासिकों का अनुदान दिया जाता है और वर्तमान वर्ष का पूरा अनुपालन अनुदान आय-व्ययक आगणन के बाद विभाग द्वारा घोषित होता है।

*३८—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

क्या सरकार को जानकारी है कि बाराबंकी जिले में केवल एक ही बालिका सेकेंडरी स्कूल है, जिसके कारण प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लड़कियों का दाखिला नहीं हो पाता ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान हायर सेकेन्डरी विद्यालय में और वर्ग (सेक्शन) खोल दिये जायें या दूसरे स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, बाराबंकी जिले में केवल एक ही उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय है जो राजकीय विद्यालय है। इस विद्यालय में वर्ष १९७०-७१ से अतिरिक्त सेक्शन खोलने का प्रस्ताव निदेशालय द्वारा मांगा गया है। इस पर अन्य विद्यालयों के साथ ही नियमानुसार विचार किया जायगा ।

*३९-४०—श्री जगदीश प्रसाद तथा श्री परमाई लाल—

[वन मन्त्री की प्रार्थना पर ५वें शुक्रवार के लिए स्थगित हुआ ।]

गांधी इंटर कालेज सिकन्दरपुर, बलिया का अनुदान बन्द होना

*४१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या शिक्षा मन्त्री १६ जून, १९६७ को भूतपूर्व विधायक श्री शिवलाल यादव के ता० प्रश्न सं० ४३ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेंगे कि उक्त विद्यालय को इस घोषणा के बाद भी कितनी-कितनी धनराशि का कब-कब अनुदान दिया गया और विद्यालय को प्रशासक के अधिकार से मुक्त कर देने का आदेश किन परिस्थितियों मे दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल में डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव

*४२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री दिनांक २७ फरवरी, १९७० को सदन में प्रस्तुत प्रश्न संख्या ४४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पौड़ी (गढ़वाल) में राजकीय डिग्री कालेज आगामी जुलाई, १९७० से खोल दिया जायगा ? यदि हां, तो इस दिशा में आवश्यक कदम, उठाये जा रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गढ़वाल में अतिरिक्त डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

माध्यमिक शिक्षक संघ, बुलन्दशहर की मांगें

*४३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६९ में उन्हें माध्यमिक शिक्षक संघ, बुलन्दशहर की इकाई की ओर से कोई पत्र शिक्षकों की कुछ मांगों तथा कठिनाइयों के बारे में मिला है ? यदि हां, तो वे मांगे क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माध्यमिक शिक्षा संघ, बुलन्दशहर की इकाई की ओर से शिक्षकों की मांगों तथा कठिनाइयों के विषय में कोई पत्र जुलाई, १९६९ में नहीं प्राप्त हुआ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

प्रयाग विश्वविद्यालय में भष्टाचार की शिकायतें

*४४—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा नागरिकों ने प्रयाग विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के सम्बन्ध में एक स्मृति-पत्र चांसलर को करीब ४ माह हुआ दिया है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और क्या भ्रष्टाचार एवं धांधली की जांच एवं निराकरण हेतु सरकार कोई आयोग गठित करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। मुख्य शिकायतें विश्वविद्यालय में हुई तथाकथित कुछ नियुक्तियों तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में थीं। इस स्मृतिपत्र पर विचार किया गया और यह पाया गया कि शिकायतें अप्रमाणित हैं तथा ईर्ष्या भाव से की गयी हैं। अतः कोई जांच आयोग गठित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४५—श्री पारसनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*४६-४७—श्री रामलगन दुबे—

[वन मंत्री की प्रार्थना पर ५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

टेहरी गढ़वाल तथा रामपुर के अध्यापकों का अवशेष वेतन

*४८—श्री इन्द्रमणी—

शिक्षा मंत्री को मालूम है कि टेहरी-गढ़वाल तथा रामपुर के अध्यापकों के अवशेष वेतन भत्ते देने के विषय में सरकार ने गत वर्ष जो आदेश दिये थे उन आदेशों का पालन हो गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४९—श्री इन्द्रमणी—

[५वें गुरुवार के लिये प्र० सं० ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बी० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये नामांकन

*५०—श्री श्यामसूरत उपाध्याय तथा श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष १९७०-७१ में भी सरकार बी० टी० सी० के प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों को मनोनीत करेगी? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री श्रीपति मिश्र—

विषय विचाराधीन है।

त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत अध्यापकों को क्षतिपूर्ति अनुदान

*५१—श्री दलसिंगार तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की जूनियर कक्षाओं में त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत अध्यापन कार्य कर रहे चार-चार, पांच-पांच वर्ष पुराने अध्यापकों का क्षतिपूर्ति

अनुदान केवल ६० रु० प्रतिमाह की दर से ही अब क्यों दिया जा रहा है जब कि उन्हें प्रति वर्ष ३ रु० वृद्धि तथा २० रु० प्रति माह एडहाक मंहगाई भी मिलता रहा है ?

*५२—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त वेतन एवं एडहाक मंहगाई में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*५३—५४—श्री इम्तियाज हुसैन—

[५वें बुधवार के प्र० सं० ८६ ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नौतनवा इंटर कालेज में गबन की जांच

*५५—श्री राम लगन दुबे—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जिला मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर के आदेश पर जांच करने वाले अधिकारी श्री ए० के० रस्तोगी, यस डी० एम०, तहसील फरेंदा ने गोरखपुर जनपद के इन्टर कालेज, नौतनवां, में सरकार द्वारा दी जाने वाली हरिजन वर्ग के विद्यार्थियों की सहायता धनराशि को गबन की स्थिति को सही पाया था ? यदि हां, तो जांच किस तिथि को की गयी थी और १५ मार्च, १९७० तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले में पुलिस द्वारा जांच हो रही है। विस्तृत जानकारी की जा रही है।

जूनियर हाई स्कूल, कुनसेरवा के विरुद्ध जांच

*५६—श्री रामलगन दुबे—

क्या यह भी सही है कि गोरखपुर जनपद के जूनियर हाई स्कूल, कुनसेरवा, के प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग और गबन किया गया है तथा इस सिलसिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के पास एक ही अवधि के हिसाब-किताब के दो रजिस्टर भी जांच तथा कार्यवाही के लिए उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही १५ मार्च, १९७० तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध जरूरी कार्यवाही की जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

लेखे के निरीक्षण करने पर अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिस में शासकीय धन का दुरुपयोग भी प्रतीत हुआ।

जी हां, हिसाब किताब के दो रजिस्टर पाये गये।

संस्था का अनुदान १३-१-७० को निलम्बित कर दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच जारी है।

अरिमर्दनसिंह इंटर कालेज, तालबेहट के विरुद्ध जांच

*५७—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि तालबेहट (झासी) अरिमर्दन सिंह इन्टर कालेज क अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आदि में सी० आई० डी० द्वारा जांच चल रही थी ? यदि हां, तो क्या जांच क पश्चात् उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। इस विषय में सी० आई० डी० द्वारा जांच की गयी। एक व्यक्ति का चालान किया गया।

*५८—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त स्कूल से सम्बन्धित गबन कांड में कुछ गिरफ्तारियां हुयीं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त मुकदमें को सरकार अभियुक्तियों के विरुद्ध न्यायालय से वापस ले चुकी है या लेने जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उक्त मुकदमें को सरकार द्वारा न्यायालय से वापिस नहीं लिया गया है।

राजकीय पालीटेक्निकों में अस्थायी राजपत्रित पद

*५९—श्री रामवचन यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पालीटेकनिक में कितने राजपत्रित पद तीन वर्ष के अधिक समय से अस्थायी रूप में ही चलते आ रहे हैं। पद अभी तक स्थायी क्यों नहीं किये गये ? क्या सरकार इन पदों को यथाशीघ्र स्थायी करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

कारागार मन्त्री (श्री बिशनलाल)—

उत्तर प्रदेश के राजकीय पालीटेकनिकों में कुल १६७ राजपत्रित पद तीन वर्ष से अधिक समय से अस्थायी रूप से चलत आ रहे हैं। इनका स्थायीकरण अभी तक मुख्यतः इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि इन्जीनियर्स की बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाने से बहुधंधी संस्थानों में प्रवेश संख्या बराबर घटती रहने के कारण यह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कितने राजपत्रित पदों को वास्तव में अब आवश्यकता रहेगी। गत दो तीन वर्षों की प्रवेश सं या को देखकर अब कुछ स्थिति स्पष्ट हो पायी है और अत्यन्त आवश्यक पदों के स्थायीकरण के मामले में आव यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

हरिजनों को कृषि ऋण योजनान्तर्गत छूट देने की प्रार्थना

*६०—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि ऋण के सम्बन्ध में पंम्पिग सेट एवं कूप निर्माण, आदि पर हरिजनों को दी जाती रही एक चौथाई छूट, ३१ मई, १९६९ को समाप्त कर दी गयी ? क्या सरकार यह भी कृपया बतायगी कि हरिजनों की आर्थिक दशा को ध्यान में रख कर हरिजनों को विकास के लिए कृषि, आदि ऋण में ५० प्रतिशत की छूट देने जा रही है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

केवल अनुसूचित जातियों को कृषि ऋण देने की कोई योजना न तो थी और न इस समय है। किन्तु सामुदायिक विकास विभाग की लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को पम्पिग सेट, कूप निर्माण आदि के लिए ऋण देने की योजना है जिससे हरिजन भी लाभान्वित होते हैं। उक्त विभाग ने १-४-६९ से पम्पिग सेट अथवा कूप निर्माण पर मिलने वाली एक चौथाई छूट समाप्त कर दी है जिस कारण यह सुविधा अनुसूचित जातियों को भी उपलब्ध नहीं रही।

हरिजनों को उक्त ऋण योजना अथवा किसी अन्य कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत ५० प्रतिशत छूट देने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

*६१—श्री शेर सिंह दानू—

[वन मन्त्री की प्रार्थना पर ५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

१–२ —श्री जगंबहादुर यादव—

[५ वें सोमवार के प्र० सं० ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

३–४—श्री शिवनन्दन नौटियाल—

[वन मन्त्री की प्रार्थना पर ५ वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

किसान आदर्श राष्ट्रीय इंटर कालेज, प्रतापगंज गोविन्द वल्लभ पंत महाविद्यालय प्रतापगंज के शिक्षकों का वेतन न मिलना

५—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान आदर्श राष्ट्रीय इन्टर कालेज, प्रतापगंज व गोविन्द बल्लभ पन्त महाविद्यालय, प्रतापगंज, पो० गुलजारगंज, जौनपुर में अध्यापकों को कई माह से बिना वेतन दिये, काम लिया जा रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

किसान आदर्श इन्टर कालेज सहायता प्राप्त है और इसमें जनवरी, १९७० से धनाभाव के कारण वेतन अवशेष है। गोविन्द बल्लभ पन्त महाविद्यालय शासन से सहायता प्राप्त नहीं है। वहां जुलाई, १९६९ से वेतन बाकी है।

टेहरी-गढ़वाल में जूनियर माध्यमिक विद्यालयों का उच्चीकरण

६—श्री इन्द्रमणी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने जू० मा० विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में उच्चीकरण होगा !

श्री श्रीपति मिश्र—

इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्रीनगर राजकीय कन्या इंटर कालेज का भवन

श्री शेर सिंह दानू—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, पौडी-गढ़वाल में श्री नगर राजकीय कन्या इन्टर कालेज के भवन निर्माण करने का निश्चय कर लिया गया है ? यदि हां, तो उस भवन की कब तक तथा किस स्थान पर निर्मित करने की योजना है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रयत्न किया जायगा कि यह भवन जल्द से जल्द बन जाय। जिस किराये के भवन में इस समय कालेज है उस के पास ही एक भूमि है। इस पर नयी इमारत बनाने पर विचार किया जा रहा है।

१ मई को सदन की बैठक करने के संबंध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज पहली मई है, यह किसानों और मजदूरों के त्यौहारों का दिन है। आज सदन की बैठक नही होनी चाहिए थी, कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। यह किसानों और मजदूरों का अन्तराष्ट्रीय पर्व है। अगर आप कार्यवाही स्थगित नहीं करते हैं तो मैं अपनी पार्टी की ओर से सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सजीवन लाल सदन त्याग कर चले गये।)

प्रश्नो के संबंध में आपत्ति

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अल्प सूचित प्रश्न हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ११ प्रश्न दिये हुये हैं और इन में से ५ प्रश्न एक व्यक्ति विशेष के हैं । इसका मतलब यह है कि ४६ परसेंट कोटा एक व्यक्ति को इस हाउस के अन्दर प्रश्नों के लिए अलाट किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके अलाट करने का पैमाना क्या है ? जो हम लोगों के प्रश्न आते हैं उनको पीछे डल दिया जाता है इस प्रकार से हम लोगों के अधिकारो का हनन होता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

जो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न होते हैं उनको स्वीकार करने के बाद मंत्री को भेज देते हैं । उसमें संख्या का प्रश्न नहीं होता है । जब वह उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं तब वह प्रश्न आता है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पहले लिये जातें हैं और तारांकित प्रश्न बाद को लिये जाते हैं । तारांकित प्रश्नों के बारे में आवश्यक है कि उनकी संख्या निश्चित हो और कम से कम दो प्रश्न उसमें से जरूर होंगे, लेकिन अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिए संख्या निश्चित नहीं है।

एक सदस्य—

कितने सदस्यों के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आये हैं ? उनमें से कितने सदस्यों के रेजेक्ट हुये हैं और कितनें के रेजेक्ट नहीं हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कल श्री उपाध्यक्ष से कहा था कि वह इसकी इन्क्वायरी करें। जिन माननीय सदस्य का प्रश्न पहले आता है उसको पहले लेते हैं और जिनका प्रश्न बाद को आता है उस को बाद में लेते हैं ।

कहीं दफ्तर वाले तो गड़बड़ नहीं करते हैं इसकी भी जांच कर लेंगे ।

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

मैं अध्यक्ष महोदय, यह मान कर चलता हूं कि दफ्तर वाले गड़बड़ नहीं करते होंगे । आप ने यह फरमाया कि अल्पसूचित तारांकित सवाल जितने आ जाते हैं उन को शासन मान लेता है तो आप उन को पहले रख देते हैं । यह बात ठीक है कि उन को पहले रखना चाहिये । यह फर्ज कर लीजिये कि एक सदस्य ने १० सवाल भेजे आज और कल उस ने १५ भेज दिये और परसों को २० भेज दिये । शासन के पास उनका जवाब देने की सामग्री तैयार है और उन को समय मांगने की जरूरत नहीं है । अल्पसूचित सवालों का जवाब हम उन को देने के लिए तैयार हैं । अब सोचने की बात यह रह जाती है कि क्या आप इतने अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को बराबर प्रायरिटी देते रहेंगे कि जितने का गवर्नमेंट जवाब देने के लिए तैयार है । इस में दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा यदि इतने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न उठाये जा सकते हैं । यदि हर प्रश्न को अल्पसूचित प्रश्न करेंगे और हर प्रश्न को प्रायरिटी देंगे तो दूसरे लोगों के साथ अन्याय होने की सम्भावना हो सकती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस सारे प्रश्न को ही जांच के लिए भेज दें तो अच्छा है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न ६-४-७० को दिया था जो बिलकुल साफ है लेकिन हम को जो उत्तर मिला उस में बताया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । अगर आप नियमावली को देखने का कष्ट करें तो नियम ३८ के मुताबिक यह है कि "किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिस के लिए वह सूचीबद्ध किया गया हो । यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मन्त्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिससे ।

[श्री इन्द्रमणी]

परिस्थितियों को देखते हुये उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगें। मेरा मतलब यह है कि हमारे अधिकारों की रक्षा का सवाल है। यह प्रश्न बिल्कुल साफ है।

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह की शिकायत यदि मेरे दफ्तर में आकर करें तो मैं इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री इन्द्रमणी—

मैं आप से मिल लूगा, लेकिन मुझे शिकायत इस लिए है कि जब सरकार हर प्रश्न को टाल देती है तो यह सदन किस लिए है। यह सदन इस लिए ही है कि हम यहां पर वहस करें और सरकार की गलती जनता के सामने आ जाय। अगर हम सरकार को चेक नहीं करेंगे कि कहां पर उसने गलती की है तो सदन अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे दफ्तर में आकर बतायेंगे तो मालूम कर लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी शिकायत है कि एक हजार से अधिक सवाल मैंने भेजे हैं और केवल कुछ ही सवाल लगे हैं। मुझे भी वह प्रक्रिया बतला दी जाय। मेरे पास इतना बंडल सवालों का जमा हो गया है जो रेजेक्ट होकर मेरे पास आये हैं। कोई मेम्बर यदि सवाल बहुत पहले रख देता है तो एक दिन वह आ सकते हैं। तो यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उन सब को समान अधिकार प्राप्त है। यदि किसी को गलतफहमी के कारण यह भ्रम हो जाय कि किसी एक व्यक्ति के ज्यादा प्रश्न आ गये और किसी व्यक्ति के कम आये तो जिस के अधिक सवाल लग गये उसके प्रति गलत भावना पैदा हो सकती है। इन प्रश्नों को जो छांटने की प्रतिया है यह किस तरह से होता है इस को भी देखने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही वह विचारणीय बात है। उन्होंने यह कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय आप किस आधार पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को स्वीकार कर लेते हैं। आया वह स्वीकार करने के योग्य हैं या नहीं ?

क्या आप इसको माननीय मुख्य मंत्री जी की सलाह से स्वीकार करेंगे या आप स्वयं अपने विवेक से स्वीकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो यह नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि यदि मैं स्वीकार करता हूं और १०,-१५ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न रख दिये जाते हैं तो ऐसी हातल में तारांकित प्रश्न नीचे पड़ जायेंगे। उन्होंने तो यह सुझाव दिया है। मैं इस प्रश्न को डिस्कस कर लूंगा और इस बारे में कोई रास्ता निकालूंगा।

श्री कृष्णा नन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी का जिस ओर संकेत है मैं अनुरोध करूंगा कि आप उस पर पुनर्विचार कर लें। अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के बारे में नियमावली में व्यवस्था दी गई है और यह इसलिये है कि बहुत से ऐसे महत्व-पूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में विधान सभा के सदस्य यह समझते हैं कि उनको तुरन्त ही आना चाहिये। बहुत सी घटनायें ऐसी घटित हो जाती हैं जिनकी सूचना पहले नहीं दी जा सकती। इसीलिये यह अधिकार दिया गया है और इसके लिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि मुख्य मंत्री जी के ऐडमिनिस्ट्रेशन को इसमें कठिनाई पड़ती है इस कारण अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन की की कठिनाई को छिपाने के लिये उन्होंने यह संकेत किया है। आप इस पर फिर से विचार करें। उनकी नियत ठीक नहीं है। सदस्यों को जो अधिकार है उनको छिपाने के लिये ऐसा अनुरोध किया गया है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उनका यह अनुरोध रिजेक्ट कर दें अन्यथा नियमावली के जो नियम अधिकार दिये गये हैं उनकी बहुत बड़ी हत्या हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा कि यदि हम स्वीकार कर लें तो एक रोज में २५ प्रश्न रख दिये जांय। इससे दूसरे प्रश्न रुक जायेंगे। इस कारण एक दिन में बहुत ज्यादा इस प्रकार के प्रश्न न आ जांय। मैंने आपसे यही कहा है कि उस पर विचार कर लूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है वह सम्मानित सदस्यों के हक में है। मैं चाहता तो यही था कि इस अवसर पर खामोश ही रहूं लेकिन जो सही बात है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हू। नियम २७ की तरफ आप देखें : प्रश्नों का वर्गीकरण अल्पसूचित प्रश्न २—तारांकित प्रश्न तथा ३—अतारांकित प्रश्न। अल्पसूचित प्रश्न का तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है जो अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय से सम्बन्धित हो। इनका विभेद दो तारांकित लगा कर किया जायगा। दिये हुये उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न उसके बारे में अध्यक्ष की अनुज्ञा से कियां जा सकेगा। नियम २६ में है कि उसके विषय में मुख्य प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना अथवा कार्यवाही का सुझाव देना होगा। ऐसी अवस्था में आप उसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों को दो तारांक लगा कर किया जायगा। आप नियम ३३ को देखें जिसमें दिया है कि मौखिक उत्तर के लिये किसी दिन एक दिन की प्रश्न सूची में एक ही सदस्य के तारांक लगाकर विभेद किये गये दो से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे। दो से अधिक प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिये जायेंगे। इसका इन्टर प्रिटेशन इस प्रकार से किया गया कि वह तारांकित प्रश्नों पर ही लागू होता है। हमारा प्रश्न यह है कि दो तारांक लगाकर दूसरे प्रश्नों से उसका विभेद किया जाता है। इस पर आप विचार कर लें। इसके साथ ही साथ मैं एक शिकायत के रूप में भी व्यवस्था उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारा नियम ३२ यह है कि प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बन्धित सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। उत्तर सम्बद्ध मंत्री द्वारा पढ़ कर सुनाया जाएगा।

मान्यवर, जितने प्रश्न हम लोग करते हैं उनका उत्तर कभी भी हमको एक दिन पहले नहीं मिला। हमेशा यह रहा कि जैसे आज प्रश्न है तो सबेरे ७–८ बजे या ८–९ बजे के बीच में मिलता है। ऐसा होने के कारण उसका सप्लीमेन्टरी ढंग से सोच कर नहीं बनाया जा सकता और नतीजा होता है कि ऐट रैन्डम सवाल करने पड़ते हैं।

आज नत्थी "घ" में न० १० और ११ के प्रश्न मेरे नाम से हैं। हमेशा उत्तर सुबह मिल जाते थे लेकिन आज वह भी नहीं हुआ। आज उत्तर नहीं मिले। इस चीज की तरफ यदि आप ध्यान दे दें तो सदस्यों को आसानी हो जाय और जो शिकायतें माननीय सदस्य इधर दो दिन से उठा रहे हैं उसका भी मौका नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) का तृतीय प्रतिवेदन

***श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) का यह तृतीय प्रतिवेदन, जो तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६२–६४) के बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित तृतीय प्रतिवेदन मेंकी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं श्रीमन्, प्राक्कलन समिति (१९६२–६४) में बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित अपने तृती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीराम सिंह]

प्रतिवेदन में कुल २८ सिफारिशें की गयी थीं। इनमें से ६ सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लेना अथवा उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अंतिम कार्यवाही करना, अभी शेष है। शेष २२ सिफारिशों में से १७ सिफारिशों को शासन ने स्वीकार कर लिया है और ५ सिफारिशें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में शासन से प्राप्त अननुकूल उत्तरों को समिति ने स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि समिति की जिन ६ संस्तुतियों का अभी कार्यान्वयन नहीं हुआ है सरकार उनके सम्बन्ध में भी शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने विशेषाधिकार की अवहेलना के तीन प्रश्न हैं। एक श्री जगदीशगांधी जी ने दिया था जो नेशनल हैराल्ड में कुछ खबर छपी थी उसके सम्बन्ध में। वह उन्होंने वापस ले लिया। उसमें यह था कि कौन रहता है और कौन नहीं रहता है, यह बताना कठिन बात है, लेकिन कुछ लोगों ने नाम छाप दिए। उसमें जो नाम थे उसमें जगदीश गांधी जी का भी नाम था और एक श्रीमती जी का भी नाम था। तो उन्होंने उसे वापस ले लिया।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरे, एक प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया था। उसमें मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया था उसको वह कहते हैं कि गलत है और जो सूचना मुख्य मंत्री जी को मिली वह गलत बताते हैं। उन्होंने कहा था कि हरदोई जिले में कोई चन्दा नहीं उगाहा गया है .....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, एक प्रार्थना करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

मैं बोल रहा हू, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप कृपया बैठें।

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रार्थना करने का कौन सा मौका मिलेगा, श्रीमन्? आप बैठेंगे ही नहीं तो किस समय मौका मिलेगा?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि उन्होंने इस को चेलेन्ज किया है, तो मैं ने उस पर लिख दिया है कि मुख्य मंत्री जी इस की फिर से जांच करायें और जो उत्तर चैलेन्ज किया है वह भी मैंने उन के पास भेज दिया है। अगर यह चीज सही पाई गई तब तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता लेकिन अगर किसी अफसर ने गलत कार्य किया है, उत्तर गलत भेजा है तो उस पर वह कार्यवाही करेंगे। अगर सही नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप को वे सूचना दे दें कि क्या बात सही है? क्योंकि चैलेन्ज किया है इसलिये मैंने यह उन के पास भेज दिया है..।

*श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रोसीडिंग आप देखें तो हमेशा सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी विशेषाधिकार का प्रश्न आता है और मार्गदर्शन में वह आता है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के सम्मुख विशेषाधिकार का प्रश्न चेयर से पढ़कर सुनाया जाता रहा है और सदस्य उस प्रश्न को उठाते हैं उन को थोड़ा सा अवसर दिया जाता है, आप उचित समझते हैं तो थोड़ा अवसर देते हैं और यहां तक भी होता रहा है कि २–३ मिनट के लिये यदि और भी कोई माननीय सदस्य उस में बोलना चाहते हैं तो उन को भी अवसर दिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषाधिकार का प्रश्न श्री अग्रवाल ने उठाया है। एक प्रश्न उन्होंने पूछा था और उस का माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सत्य से परे है और बहुत से फैक्ट्स भी उन्होंने साबित करने के लिये दिये थे। यह प्रश्न प्राग्दर्शन में आता था लेकिन आप शुरू में ही जब खड़े हो जाते हैं, मैं किसी प्रकार की चेयर की आलोचना नहीं करता केवल आप से नम्र प्रार्थना ही करता हूं कि आप पहले ही सारे प्रश्न पर निर्णय दे देते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है, हम तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं और न आपके निर्णय के विरुद्ध कोई शब्द ही कह सकते हैं क्योंकि ऐसा ही तो आप को अधिकार है कि आप इंगित कर दें और वह भी एक मास के निलम्बन का प्रस्ताव फौरन ले आयें तो हम तो इस तरह से मर जायेंगे। इसलिये विशेषाधिकार के प्रश्न पर अगर वह महत्वपूर्ण है तो सदन के सदस्यों का एक बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है कि उन को उन पर थोड़ा सुन लिया जाय। लेकिन इस तरह से हमारे उस अधिकार का हनन हो जाता है। यहां विशेषाधिकार का प्रश्न मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध आया है और आप ने निर्णय कर दिया और किसी को सुनने का भी आपने कोई अवसर नहीं दिया, इस तरह से जो अधिकार सदन के सदस्यों को मिला हुआ था उस का भी हनन हो जाता है।

एक प्रार्थना मैं आप से करूंगा कि इस नियमावली के अन्तर्गत आपने मुख्य मंत्री जी से कह दिया कि वह जांच करायें। इसमें जांच का क्या सवाल है? वह शासन के मुख्य मंत्री हैं और उनसे आशा की जाती है कि वह सही उत्तर सदन में देंगे। अगर उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो इसमें जांच का सवाल नहीं है। अगर गलत उत्तर माननीय सदस्य द्वारा साबित कर दिया जाता है और वास्तव में उन्होंने अगर सदन के सदस्यों को अपने उत्तर से गुमराह किया है तो आपको इस मामले की सीधे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करना चाहिये और उन पर मुकदमा चलाना चाहिये। अगर उनको इस तरह की आप छूट देंगे तो कोई मर्यादा नहीं रहेगी। इसलिये सदन की मर्यादा के लिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को आप विशेषाधिकार समिति में भेज दें और इस पर हल्के रूप से निर्णय न करें वर्ना.....

श्री अध्यक्ष—

बस, हो गया, अब आप बैठें। सदन को जो सूचना शासन की ओर से दी जाती है उसका उत्तरदायित्व शासन पर होगा। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा गलत सूचना दी जाय और वह सिद्ध हो जाय तो मंत्री सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उस की सूचना वह सदन को भी देंगे। ऐसा निर्णय मैं पहले दे चुका हूं। सवाल यह है कि शासन जो सूचना बाहर से या नीचे से मंगाता है उसके संबंध में उन की इतनी ही जिम्मेदारी है कि उन के पास जो सूचना आती है वह उसे सही तौर से उपस्थित कर दें। लेकिन उसके बाद अगर कोई सदस्य उसकी सत्यता को चेलेन्ज करते हैं तो उन को जांच करना चाहिये। उन को पहले से तो उसका सही या गलत होना मालूम नहीं था, चेलेन्ज करने से ही तो उनको मालूम हुआ। पहले जो प्रश्न का उत्तर आता है वह तो पहली बार प्रश्न के हिसाब से ही मंगा कर दिया जाता है कि क्या ऐसी बात है, तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि ऐसी बात नहीं है। कोई चन्दा वसूल नहीं किया गया है। अगर आप उस उत्तर का चैलेन्ज करते हैं तो उनकी उन्हें जांच करनी चाहिए और यदि उसके उपरान्त यह पाया जाय कि उत्तर गलत दिया है तो उन्हें दोषी अधिकारी को दंड देना चाहिये। कोई मत्री अगर उत्तर दिया है तो उन्हें कोई चैलेन्ज करता है तो प्राग्-दर्शन में देखता हूं कि यह सूचना किसने दी। यदि उनके नीचे से सूचना आयी है तो उन्हें उसकी फिर में जांच करके दोषी अधिकारी को दंड देना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि यों ही विशेषधिकार की अवहेलना की जिम्मेदारी मंत्री जी पर डाल दी जाय। माननीय मंत्री सूचना बाहर से मंगाते हैं। अगर वह झूठ निकलती है तो उस पर उन्हें जांच करानी चाहिये।

[श्री अध्यक्ष]

प्राग्दर्शन में विशेषधिकार का प्रश्न नहीं आता है लेकिन चूंकि माननीय सदस्य कहते हैं कि यह उत्तर गलत है तो माननीय मंत्री जी जांच करायें और फिर सदन को उत्तर दें।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, सदन की परम्परा रही है कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न होता है, वह सदन के सम्मुख पढ़ कर सुनाया जाता है। अतः इसे भी पढ़ कर सुना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न है वह इस प्रकार है :—

"दिनांक ३० मार्च, १९७० (इसमें शब्द "मार्च" गलत टाइप किया गया है। मैं मान लेता हूं कि यह अप्रैल है) की प्रश्नावली नत्थी "ग" का प्रश्न संख्या ७४ इस प्रकार है "क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के जिलाधिकारियों ने दिनांक १-२-६९ से ३१-५-६९ तक तथा १-७-६९ से ३१-१-७० ई० तक आर्म्स के लाइसेन्स देने में कितना-कितना चन्दा उगाहा है?"

श्रीमान्, माननीय मुख्य मंत्री चौ० चरण सिंह जी ने जो उत्तर दिया वह निम्न प्रकार है :

"आर्म्स लाइसेन्स के देने में हरदोई जिले में कोई चन्दा उगाहा नहीं गया है।"

माननीय मुख्य मंत्री चौ० चरण सिंह जी ने उपरोक्त प्रश्न का गलत एवं सत्य से परे उत्तर दिया है और अपने अधिकारियों को गलत तरीके से बचाने की कोशिश की है। वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी जिलाधिकारी को चन्दा उगाहने का अधिकार इस प्रकार नहीं है क्योंकि उनका यह कार्य सरकारी अधिकारी आचार संहिता के विरुद्ध है।

इसके बाद १-२-६९ से ३१-५-६९ ई० तक श्री जगदीश चन्द पंत, भूतपूर्व जिलाधिकारी, हरदोई, ने आर्म्स के लाइसेन्स देने में चन्दा उगाह कर १५,००० रुपया कस्तूरबा लाइब्रेरी, हरदोई को दिया है। इस सम्बन्ध में जांच करने की आवश्यकता है कि कस्तूरबा लाइब्रेरी हरदोई के पास उपरोक्त महीनों में १५,००० रुपया चन्दा किस माध्यम से आया तो बात स्वयं ही स्पष्ट हो जायेगी।

मौजूदा जिलाधिकारी, हरदोई, श्री सुरेन्द्र मोहन जी, ने आर्म्स के लाइसेन्सों पर १-७-६९ से ३१-१-७० तक खुले आम एकनाली कारतूसी बन्दूक पर १५० रुपया, दूनाली कारतूसी बन्दूक पर ३०० रुपया, राइफल के लाइसेन्स पर ५०० रुपया तथा रिवाल्वर अथवा पिस्टल के लाइसेन्स पर १००० रुपया चन्दा बिना किसी एक्सेप्शन के उगाहा है।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रश्न यह था कि कोई चन्दा उगाहा गया अथवा नहीं? वहां से उत्तर आया कि नहीं। तो जो वहां से उत्तर आया वही यहां पर दे दिया गया। यदि कोई मंत्री जानबूझ कर गलत उत्तर देता है तो विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है अन्यथा नहीं। जब उत्तर दिया जाता और आप उसे चैलेन्ज करते हैं तब इनका कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उसके बारे में जांच करें और सदन को अवगत करायें।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे पुनर्विचार के लिये बातें कहना चाहता हूं। आपने यह निर्णय दिया है कि मुख्य मंत्री इस बात की जांच करा लें। यह बात भलीभांति विदित है कि आजकल जितनी अधिकारियों की नियुक्ति और पोस्टिंग हुई हैं वे विशेष राजनैतिक भावनाओं से हुई हैं। मुख्य मंत्री अपन अधिकारियों के बारे में क्या जांच करायेंगे। दूसरी बात यह है कि नौकरशाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जायेगी। वह जिलाधीश

सही उत्तर दें। वह गलत उत्तर देंगे और मुख्य मंत्री जांच कराने की बात खत्म करा देंगे। मेरा निवेदन यह था कि जांच करानी है तो अध्यक्ष महोदय, आप जांच करा लें अपनी मशीनरी से।

श्री अध्यक्ष--

यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, उगाही चालू है। वे अपने जिलाधिकारियों को आदेश दें कि उगाही बन्द करा दी जाय।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*श्री अनन्तराम जायसवाल(जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठा है उसके सम्बन्ध में एक मिनट में कहना चहता हूं शायद उससे मामला आसान हो जाय। ये जो प्रश्न किये जाते हैं उसमें हमारे लिये भी लाजिमी है कि सूचना और जानकारी सही होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो उत्तर आयें वे उत्तर आफिसर नहीं देते हैं, वह तो मंत्रिपरिषद् की जिम्मेदारी है कि वे सही उत्तर दें जिस तरह का प्रश्न उठाया गया था अगर उसके बारे में किसी मंत्री के पास सूचना आयें कि यह गलत थी, तो मंत्री जी सदस्य को पहले बुलाकर मालूम कर लेते कि सूचना क्या है। तो जिस तरह से यह असावधानी बरतते हैं, प्रश्नों के मामलें में गफलत करते हैं उसका नतीजा यह होता है कि सम्बन्धित अधिकारी बराबर बचते रहें हैं। मुख्य मंत्री या किसी मंत्री को विधान सभा में उत्तर देने के पहले यह चेक करा लेना चाहिये कि मामला है क्या। अधिकारी जिन्होंने जवाब दिया है वह जिम्मेदार नहीं हैं, यहां पर तो मंत्री जिम्मेदार हैं जिन्होंने जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप बहस कर रहे हैं। आपने सुझाव दिया। मैं उस सुझाव का स्पष्टीकरण दे देता हूं। जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है उसको भी कहना चाहिये कि हमारी सूचना यह है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि कितनी वसूली की। उन्होंने पूछा। वह टिप्पणी क्यों नहीं भेज देते ? वे शिकायत क्यों नहीं भेज देते ? एक मंत्री के लियें वह ज्यादा अच्छा होगा। आपका सुझाव मेरे संशोधन के साथ अच्छा होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल के विरुद्ध श्री अध्यक्ष के प्रति 'उकसाने' शब्द का प्रयोग करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार का प्रश्न महीलाल जी ने उपस्थित किया, वह यह है कि माननीय अनन्तराम जायसवाल के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है क्योंकि उन्होंने माननीय बांकेलाल, 'सदस्य विधान सभा, को इंगित करनें के सन्दर्भ में आपके विरुद्ध असंसदीय शब्द 'उकसाने' का प्रयोग किया जिससे माननीय अध्यक्ष जी की अवमानना हुई है। यह घटना सदन के समक्ष दिनांक २९-४-७० को लगभग ४ बजकर ४५ मिनट के करीब हुई। तो मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

हूं कि वे बैठे हुए हैं। ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं है। बात यह है कि मुझसे पहले रोज बात हो रही थी इसी मामले में। मैंने उनको सलाह दे दी। उसके बाद अवश्य मैंने कहा कि सलाह देता हूं कि कुछ लोगों को कन्ट्रोल करना चाहिये। उसमें मैंने बांकेलाल जी का नाम लिया। मेरे ऊपर यह आक्षेप था कि मुख्य मंत्री के भाषण के सम्बन्ध में कई बार टोका था। तो उन्होंने उस चीज की स्वीकार भी किया था और इस उद्देश्य से किया था कि वह आपके हित में है। मैं अगर अपने कमरे में किसी को कोई नसीहत देता हूं तो उसका मतलब यह नहीं निकालना चाहिये कि मेरे दिल में यह था। आप मुझसे सलाह लेना चाहते थे, उस संदर्भ में मैंने आपसे कहा कि आप अपने आदमियों को रोकते नहीं हैं। आपके नियंत्रण में अगर आपके लोग रहें तो यह समस्यायें उठ कर खड़ी न होने पायें। मैं नसीहत की तरह, उपदेश की तरह अपना छोटा भाई समझ कर कुछ कहता हूं तो उससे यह नतीजा नहीं निकालना चाहिये कि मेरा कुछ इरादा था किसी प्रकार की कार्यवाही किसी के खिलाफ करने का। तो यह प्रस्ताव यहीं खत्म किया जा सकता है यदि आप अपने उस शब्द को वापस ले लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन सुन लें। मैं समझता हूं कि इस सदन के सारे सम्मानित सदस्य यह चाहेंगे कि यहां पर व्यवस्था रहे। उसके लिये मैं कई बार आप से भी और औरों से भी निवेदन कर चुका हूं कि जब तक मर्यादित व्यक्तित्व के सिद्धान्त को चाहे आप हों, चाहे मंत्री हों या माननीय सदस्य हों, स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अव्यवस्था होकर ही रहेगी। इस मर्यादित व्यक्तित्व से मेरा मतलब यह है कि इस सभा के सदस्यों एवं मंत्रियों तथा आपके अधिकारों का एक घेरा है और जब उसका अतिक्रमण कोई करता है तो वह दोषी होता है। मिनिस्टर यदि करता है तो वह भी उतना ही दोषी होता है जितना कि हम। इस सिद्धान्त को खाली अगर हम स्वीकार कर लें और उस पर कोई अमल न करें तो उससे कोई नतीजा नहीं होता है। मैं यहां देखता हूं कि यहां पर मंत्रि परिषद के सदस्य इस तरह से दम्भ में भरे रहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि उससे सभा में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जिस दिन की, श्रीमन्, यह घटना है, उस दिन माननीय नित्यानन्द स्वामी का एक प्रस्ताव था जिस पर आपने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य यदि हो सके तो आज दे दें नहीं तो कल दे दें।

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य विषय पर ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं या विषय से बाहर भी? माननीय जायसवाल जी जो कह रहे हैं यह विषयान्तर हो रहा है, उनको कृपा कर आप रोकिये, वे केवल उसी सीमा तक रहें जो आपने कहा है। विषय है कि आपने उस शब्द का प्रयोग किया या नहीं? और आप उसे वापस लेते हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुझे श्रीमन्, माननीय महीलाल जी पर बड़ा तरस आता है। आप (मुख्य मंत्री से) इनको जल्दी से जल्दी मंत्री बना दें ताकि कम से कम हमारा पिंड तो छूट जाय। लेकिन, श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ध्यान ही नहीं देते। बड़ा तरस आता है.... (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मित्र ने फिर माननीय महीलाल जी की नीयत पर हमला कर दिया। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, आपका फरमाना यह है कि उन्होंने इसलिये उठा दिया उसको कि उनको जल्दी से जल्दी मंत्री बना दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री अध्यक्ष—

यह अनपार्लियामेन्टरी है ।

श्री चरणसिंह—

आप इस को वापस करवायें ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री अनन्तराम जायसवाल से) आप इसको २-३ बार कह चुके हैं । इसे वापस लें ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस सभा का यह नियम है मान्यवर, कि आपके माध्यम से ही कोई बात कहेगा । यहां पर यह मंत्रि-परिषद् के सदस्य, माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी, खड़े होते हैं, यह आपकी अवज्ञा हो रही है, सदन की भी हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको यह वापस लेना चाहिये । आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिये । आपने महीलाल जी की शान के खिलाफ जो कुछ कहा है, उसे वापस ले लीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं उनकी शान बढ़ा रहा हूं घटा नहीं रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने उनकी नीयत पर हमला किया है । आपका मोटिव ठीक नहीं था । आप इसको वापस लीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जो जायसवाल जी ने कहा है, वह विनोद में कहा है, नीयत पर हमला नहीं किया है । उसको आपको पार्लियामेंट्री भाषा में ही समझना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह विनोद नहीं था । यह बार-बार इस प्रकार का आक्षेप कर चुके हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, आपको यह भी नोट करना चाहिये, जब कभी मैं बोलने खड़ा होता हूं तो कुछ इने-गिने लोग बीच में खड़े हो जाते हैं और टोकने लगते हैं और मुख्य मंत्री जी की तरह मैं भी यदि चिढ़ने लगूं तो यह सदन एक दिन भी न चलने पावे ।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आपने कहा यह शब्द, यह भाषा अनपार्लियामेंट्री है और यह भी आपने कहा कि इसे वापस लिया जाए, तो मैं यह जानना चहता हूं कि उन्होंने उसे वापस लिया या नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं वापस लिया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह वह (मु० मंत्री) आंख मुझे दिखाते हैं, कृपा करके वह न किया करें। इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

श्री अध्यक्ष—

आपने एक तो मुझे कह दिया कि आप उकसाते हैं। मेरे ऊपर आपने एक इल्जाम लगा दिया...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं केवल आपका ध्यान खींचना चाहता था कि आपने नियमों का पालन नहीं किया और एक इल्लीगल आपने काम किया। मैं तो केवल नियमों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। यह तो मैं कर ही सकता हूं।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

श्रीमन्, यह अध्यक्ष की आज्ञा को इल्लीगल कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि आंख दिखाते हैं, तो क्या यह आपकी आज्ञा को इल्लीगल कह सकते हैं?

(व्यवधान)

श्रीमन्, एक व्यवस्था और आपकी चाहता हूं, वह यह है कि आप माननीय जायसवाल जी को एक घन्टे का समय दे दिया करें ताकि उनके मन में जो आए कह लिया करें, जिससे कि उनकी असलियत माननीय सदस्यों के सामने प्रकाश में आ जाए।

श्री मदनमोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे भी आप मौका दें। मैं आप से कहना चाहता हूं कि माननीय जायसवाल जी जब बोलते हैं, बोलते तो अच्छा हैं, लेकिन ऐसी टोन में बोलते हैं जो ठीक नहीं होती है। कटाक्ष करते हैं और नीयत पर हमला भी करते हैं। यह ऐसी टोन में बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय के ऊपर भी आक्षेप करते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, वीरेन्द्र वर्मा जी बराबर हमसे सीधे बात कर रहे हैं। मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि मैं यहां उनसे आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं। बाहर वह मिलेंगे तो वह मेरे बड़े भाई हैं उनसे बात होगी, लेकिन यहां आपके माध्यम से ही उन्हें करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि आपने उस रोज 'उकसाने' का शब्द इस्तेमाल किया। आप यह जानते हैं कि किस सदर्भ का यह जिक्र है। जब मैं अपने कमरे में बात कर रहा था, तो उस वक्त मैंने आप से जिक्र किया था कि आपको उनको कन्ट्रोल करना चाहिये और जिसमें आप से सलाह करना चाहता था, लेकिन यह सब बातें आपने कीं, इस तरह आपने मेरे साथ ज्यादती की थी जो मैंने आपकी पार्टी के हित में सलाह दी, उसको छोड़कर आपने हमारे ऊपर ही एक आक्षेप लगा दिया कि आपने उकसाया। वह तो बोल रहे थे। बराबर मैंने इजाजत दी बोलने की। वह खुद कानून को तोड़ रहे थे, इसको मैं रोकना चाहता था। आपसे मुझ से टेलीफोन पर बातचीत

हुई । मैंने कहा कि आप को रोकना चाहिये था । उसके ऊपर आपने आक्षेप मेरे ऊपर लगा दिया कि इस नीयत से मैंने किया, मेरे दिल में पहले से प्रेजुडिस पड़ा हुआ था । ऐसी बात नहीं थी । आपका कर्त्तव्य है, जब यह चीज स्पष्ट है, कम से कम उसको वापस ले लें जो आपने मेरे बारे में कहा । उसी के बारे में टोका । अध्यक्ष को कहना कि उकसाते हैं, यह मुनासिब नहीं है । इंगित करने का मतलब यह है कि कोई न कोई जिसको इंगित किया गया है उसके ऊपर कोई प्रस्ताव ले आयेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माननीय वर, मैंने यह नहीं कहा ।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

म माननीय सदस्य.....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

मैं दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं । आपने आदेश दिया कि शब्दों को वापस लें । उन्होंने शब्दों को वापस नहीं लिया । सदन के सामने सदन की अवमानना की है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य, बाराबंकी से जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, और मेरा विश्वास है कि सब की तरह वह पार्लियामेंटरी पद्धति की रक्षा करना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह आपके निर्देश के बाद अपने कथन को वापस ले लेंगे । इससे वह सदन की मर्यादा और परम्परा को और पार्लियामेंटरी पद्धति के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक बलवान बनाऐंगे । मुझे ऐसी पूरी आशा है । मैं कोई नियमों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता । वह नियमों के पंडित हैं । लेकिन कभी-कभी दुराव हो जाता है इसलिये दिखलाना चाहूंगा । नियम २८९ है । इसमें माननीय सदस्य, बाराबंकी देखेंगे, बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम जो हैं, उसमें दिया हुआ है कि "प्रत्येक भाषण का विषय चर्चाधीन विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिये" और इसके उपभाग (२) के (ग) में दिया हुआ है कि " किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लांछन नहीं लगायेंगे । यह पालनीय नियम है । इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का, चाहे वह किसी पक्ष का हो, का यह अधिकार है कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है । व्यवस्था का प्रश्न उठाना उसका मौलिक अधिकार है जिसका प्रयोग सदन के सभी माननीय सदस्य करते हैं, हो सकता है व्यवस्था का प्रश्न वह न हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है । अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर किसी भी माननीय सदस्य पर लांछन लगने लगे तो हमारी जो मर्यादा है, जो बुनियादी अधिकार हैं उन पर कुठाराघात होता है । इस दृष्टिकोण से मैं आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव आया है वापस लेने का वह स्वीकार करेंगे और मर्यादाओं के अनुसार कार्य करेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय तिवारी जी ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । आपका भी निर्णय हुआ कि असंसदीय शब्दों को वापस करना चाहिये । उसी के उत्तर के सिलसिले में माननीय जायसवाल जी ने संकेत किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े क्रोध में, बड़े आवेश में कुछ बातों को कहा करते हैं । मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब असंसदीय शब्द का प्रयोग करें तो आप हुक्म देते हैं कि असंसदीय शब्दों को वापस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

किया जाय, जब असंसदीय मुद्रा का प्रयोग किया जाय माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा, तो उस सम्बन्ध में आपकी क्या आज्ञा होगी ? यह बड़ा आवश्यक हैं। माननीय मुख्य मंत्री गुस्से और क्रोध में कुछ कहते हैं तो हम लोग असंतुलित हो जाते हैं और उसमें एक आध शब्द मुंह से निकल जाता है। कभी-कभी आप पर भी उनकी मुद्राओं का प्रभाव पड़ जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से असंसदीय शब्दों को आप वापस कराने के लिए कहते हैं वैसे ही असंसदीय मुद्रा को भी वापस करा लिया करें ।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, आपने यह फर्माया इस सदन के सामने कि आपने हमारे नेता से अपने कमरे में कुछ कहा। ठीक है, आप कक्ष में बुला भी सकते हैं लेकिन जब हाउस में एक बात साफ कर दी तो उससे स्थिति बदल जाती है। पहले आपने फर्माया कि काबू में रखो। हम पार्लियामेंटरी पद्धति अपने नेताओं से सीखते हैं। विरोधी दल के नेता के रूप में डाक्टर लोहिया ने पं० जवाहर लाल नेहरू की तानाशाही को खत्म करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये, उससे हमने सबक सीखा है। दैनिक जीवन में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके इस्तेमाल करने पर उनको पार्लियामेंटरी माना जाय या न माना जाय यह आप जानें और किसी के मन में मंत्री बनने की इच्छा है और वह सुबह शाम जूते उठा कर मंत्री बने तो उससे हम को कोई मतलब नहीं। .लेकिन आपने उनको अपने कक्ष में बुलाकर कहा कि काबू में रखो तो क्या आप समझते हैं कि वह हमको काबू में रखने की कोशिश नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष--

यह गलत ज्ञात है। मैंने कक्ष में नहीं बुलाया। वह खुद आये थे और मुझ से सलाह लेने के लिए आये थे और उन्होंने कहा कि इसका क्या होगा ? यह ठीक है कि मैंने सलाह दी और बताया कि यह रास्ता है और इससे सदन का काम ज्यादा अच्छा चलेगा। गर्मागर्मी न पैदा हो जाय इसलिये मैंने कहा कि कंट्रोल में रखिये वर्ना काम नहीं हो सकेगा। दूसरे मामले में जिसके लिये वह सलाह लेने आये थे मैं उसको इस वक्त नहीं बतलाना चाहता, आपको कमरे में समझा दूंगा यह उद्देश्य था मेरा। अब अगर आप जानते हैं कि उद्देश्य अच्छा है तो मेरे ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिये कि उकसाते हैं।

श्री अनीसुर्रहमान--

माननीय बांकेलाल जी के बारे में कोई बात नहीं कही गयी। शब्द उकसाने के मामले में आपकी बात आई। बांकेलाल जी के ऊपर यह बात आई कि काबू में रखो तो यह सिर्फ हमारे ही नेता पर लागू होती है अथवा अन्य दलों के नेताओं पर भी लागू होती है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं अध्यक्ष महोदय, नियम २९९ (१) पढ़ कर सुनाना चाहता हूं : "अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाय वह तत्काल सभा मंडप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे।" अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य यहां पर अव्यवस्था उत्पन्न करता है या वह अवज्ञापूर्ण है तो दोनों अवस्थाओं में उस से यह कहा जायगा कि वह बाहर चला जाय। यह पहली शर्त है। जब आप ऐसा कहेंगे कि वह बाहर चला जाय तो इन नियमों के अनुसार उसके लिये लाजमी है कि वह सदन को छोड़ कर बाहर चला जाय और बाकी समय जो उववेशन का बचा है उस तक वह बाहर रहे। इस पहली शर्त का उस दिन पालन नहीं किया गया कुर्सी की तरफ से उसके बाद आता है नियम २। श्रीमन्, नियम २ में यह है "अध्यक्ष निम्नलिखित दशाओं में किसी सदस्य को इंगित करेंग और तब

वह सदन से बाहर चला जायेगा । मान्यवर, मैं निवेदन करूं कि अगर कुर्सी की तरफ से नियम का पालन न हो या कोई मंत्री ही कुर्सी के प्रति अवज्ञापूर्ण हो तो उस वक्त यहां पर कैसे व्यवस्था रहेगी । इस पर, मान्यवर, ठंडे दिल से विचार करने की बात है । मैं अर्ज करूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी खुश रहा करें, गुस्से में न रहें और कभी-कभी हंसा भी करें तब हम लोगों की तबियत खुश हो जाया करे लेकिन हंसी में वे हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं और गुस्से में बोलते हैं । अतः कभी-कभी मुख्य मंत्री हमारे ऊपर भी ध्यान कर दिया करें मैं यह कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि मैं उनकी अवज्ञा नहीं करना चाहता हूं और उनके प्रति अनादर की भावना नहीं रखना चाहता हूं । अगर कहीं पर खराबी होती है तो हम शासन का ध्यान उसकी ओर दिलाते हैं और इस बात पर माननीय मुख्य मंत्री यह समझ लें कि वे उनको चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं तो ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई । कल यहां पर प्लांट प्रोटेक्शन की बात उठाई गयी थी । माननीय रावत जी भी यहां पर कल मौजूद थे और मैंने यह बात कही थी कि इसमें कम से कम १० लाख रुपया आप बचा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष

आप रूल पढ़िये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो नियम है और जो उसमें शर्त है वह पूरी नहीं की गई । उसके बाद नियम २ आता है । उप-नियम १ में दिया है और उसके अन्तर्गत बाहर चले जाने के बाद आदेश दिये जाने पर सदस्य उसका पालन न करें । तो श्रीमन्, पहली शर्त जो है उस का निर्बन्ध सबके ऊपर है। उस दिन पहला काम यह होना चाहये था कि श्री बाकेलाल जी सदन छोड़ कर बाहर चले जायं । उस पर आपका कोई आदेश नहीं हुआ, आप सीधे नियम ४ पर गये । नियम का खंड 'ग' इस प्रकार है यदि सदस्य जानबूझ कर सदन की कार्यवाही में बार-बार अव्यवस्थित रूप से बाधा डालें" तब भी आपका कर्त्तव्य है कि आप इस सदन में व्यवस्था स्थापित करें । यदि कोई सदस्य बार-बार अव्यवस्था डालता है तो आप अपनी आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं । यदि वे आपकी आज्ञा का पलन न करें तब आप इंगित करेंगे । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन ऐसा नहीं हुआ । इस संदर्भ में मैंने यह कहा कि माननीय मंत्री जी को उकसाया गया और यदि मैंने कोई अवज्ञा की तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसमें उन्होंने उस शब्द को वापस लिया । मैं तो समझता था कि मैंने उनके हित के लिए कहा था कि यह शब्द वापस ले लिया जाय। लेकिन जहां तक इंटरप्रिटेशन का सवाल है, उसके बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष की है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, इस पर तत्काल कोई व्यवस्था न दें ।

श्री अध्यक्ष—

इंटरप्रिटेशन देने का अधिकार अध्यक्ष का है । नियम ३१२ में दिया हुआ है निर्वचन एवं कठिनताओं का निराकरण–यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।

इस समय तो आपने उसको वापस ले लिया है इसलिये अब उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है । लकिन अगर आप मेरे पास आ जायं तो मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों मैंने उनको पहले सदन छोड़ने की बात नहीं कही । उसके बारे में एक बार चर्चा हो चुकी है,

[श्री अध्यक्ष]

लेकिन मुझसे कहा गया है कि आप अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी क्यों ले लेते हैं, सदन के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते । पहले मैंने यही तरीका अपनाया था । लेकिन सवाल यह था कि उसको इंगित किये बिना निकलने का आर्डर किस प्रकार से दे दिया ? ऐसी प्रथा इंगलैन्ड में नहीं है । इसलिये मैंने दूसरा तरीका अख्तियार कर लिया । पहले उनको इंगित कर दिया । इस विषय में और आप बात करना चाहते हैं तो मेरे कमरे में आ जायं । अब यह चीज यहां समाप्त हो गयी । अब दूसरा सवाल उन्होंने उठाया है।

विधान परिषद् सदस्यों द्वारा विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के विरुद्ध हस्ताक्षर करवाने के संबंध में जानकारी

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एम०एल० सी० इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि आपने उनको ऐसा आश्वासन दे दिया है कि इस सदन के मेम्बरान इस बात की दरख्वास्त करें कि अपर हाउस समाप्त न किया जाय तो सदन के रिजोल्यूशन को मैं दिल्ली नहीं भेजूंगा । इस बारे में सदस्यों को बुला-बुला कर एम०एल०सी० सिगनेचर करा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि अगर दस्तखत करा दोगे तो वह मामला समाप्त कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

यह गलत है, मैंने ऐसी बात नहीं कही ।

श्री महीलाल के बारे में कहे गये असंसदीय शब्दों को वापस लेने की मांग

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हम सब माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं, जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं । जनतंत्र को सुदृढ़ करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं । जनतंत्रीय प्रणाली को हमने सहर्ष स्वीकार किया है । हमारी समझ में अगर कहीं जनतंत्र की मान्यताओं को ठेस पहुंचती है .....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, संबोधन करते-करते माननीय मही लाल जी इधर हाथ करके सीधी बातचीत कर रहे थे, जो नियम के विरुद्ध है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं उनका प्रश्न यह है कि उन पर यह मोटिव लगाया जा रहा है कि वे जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहे हैं वे केवल मंत्री होने की दृष्टि से उठा रहे हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह बात नहीं है उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से सिफारिश की कि मुख्य मंत्री जी उनको मंत्री बना दें ताकि उनका पिंड छूट जाय । उन्होंने मुख्य मंत्री जी से कहा है। अगर हम लोगों का यह अधिकार भी न रहा तो बड़ी गड़बड़ होगी ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि उनकी ओर इशारा किया गया, उन पर लांछन लगाया गया ।

श्री कल्पनाथसिंह---

आप पहले शब्दों को तो देख लें। वह तो हमारे सामने हैं, सब के सामने है, इस सदन की प्रापर्टी है। आप पहले शब्दावली दिखवा लीजिये कि अगर कोई बात उन्होंने ऐसी कही है.....

श्री अध्यक्ष---

मैं खड़ा हूं, आप बैठिये। सवाल यह है कि जब मुख्य मंत्री जी ने यह प्रश्न उठाया कि क्या यह संसदीय है तो मैंने कहा नहीं। अगर आप मोटिव इम्प्यूट करें तो आपको वापस लेना चाहिये। लेकिन उसके ऊपर यह बात नहीं कही गयी। तो उस बात को अब उठा रहे हैं इस बात के लिए कि आपने वह शब्द वापस नहीं लिये जिसमें उनके ऊपर मोटिव लगाया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं समझ नहीं पाया कि मैंने जुर्म क्या किया।

श्री महीलाल---

मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पूरा सुन तो लें। मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो जनतंत्र प्रणाली में विश्वास करते हैं उन सब का यह कर्त्तव्य है कि हम में से कोई भी अगर जनतंत्र को अपनी किसी भाषा से, अपने किसी ऐक्शन से नुक्सान पहुंचाता है तो हम उसको सही रास्ते पर लाने के लिए परामर्श दें। माननीय मित्र जायसवाल जी मेरे सहयोगी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। सदन के बाहर बड़ी सुसंस्कृत और संयत भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन सदन में आ कर जिस तरह की भाषा का वह प्रयोग करते हैं मैं समझता हूं कि उससे वह जनतंत्र की सेवा नहीं करते, जनतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

शब्द बताइये।

(व्यवधान)

श्री महीलाल---

हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। तो उसमें कोई मंत्री या न मंत्री बनने का प्रश्न नहीं है। मंत्री बनने के बाद भी मेरा अधिकार नहीं छिन जाता है। तो वह जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, जनतांत्रिक प्रणाली से चुन कर आये हैं और माननीय अध्यक्ष का स्थान जनतंत्र में सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष---

आप क्या चाहते हैं ?

श्री महीलाल---

मैं चाहता हूं कि वह आपके आदेशों का पालन करते रहा करें।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

महीलाल जी सदन के बाहर चौधरी चरण सिंह को कहा करते हैं कि तानाशाह हैं।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

अभी श्रीमन् ने देखा होगा कि एक प्रश्न उठ रहा था कि एक आरोप को वापस ले लें। माननीय जायसवाल जी और माननीय महीलाल जी जब खड़े हुये तो उन्होंने उनके विरुद्ध भी एक आरोप लगाया था और यह कहना शुरू किया कि यह तो जनतंत्र की सारी परम्पराओं

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

के विरोध में कार्य करते हैं । मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि न जायसवाल जी का आरोप आरोप है और न उनका आरोप आरोप है । मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि हम लोग जब सदन में बैठते हैं तो हमको इतना पैटी नहीं होना चाहिये कि प्रत्येक चीज को आरोप की भाषा में देखने लगें । कभी-कभी विनोद की बात भी होती है और विनोद की बात में आरोप नहीं होता ।

मुझे एक चीज अत्यन्त वेदना के साथ आज कहनी है, हमारे कई साथियों ने उसका जिक्र कर दिया कई रूप में । मैं उस रूप में जिक्र करना नहीं चाहता । एक रूप जरूर मैं जिक्र करना चाहता हूं कि हम सब साथी अच्छी तरह से काम करें । इसके लिये यह भी जरूरी है कि सरकारी बेंचों की तरफ से रुख ठीक हो । यदि केवल यही भावना आ जाय कि केवल हम सही हैं, बाकी लोग सब गलत हैं तो काम जनतंत्र का नहीं चलता । यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो कर कोई तर्क दे और उससे यह कहा जाय कि यह तो नाराज हो कर बोलते हैं या कभी कोई ऐसा प्रकरण आ जाय सदन में जिसके द्वारा हम किसी चीज की काट कर सकें और वहां यह खयाल आने लगे कि हम बड़े हैं और ये सब छोटे हैं तो इस तरह से, मान्यवर, जनतंत्र नहीं चला करता है । मुझे बहुत वेदना के साथ कहना पड़ेगा कि आमतौर पर इसी प्रकार की भावना से सदन में काम चलता है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी हंस कर मेरी इस चीज का तिरस्कार करने की कोशिश की और मैं यह आरोप उन पर लगाता हूं कि वह निरन्तर इसी तरह का व्यवहार करते हैं । उनकी भावना ऐसी है कि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति गलत है केवल वही सही हैं । मान्यवर, इस तरह से जनतंत्र नहीं चलेगा । मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग टेम्प्रामेंट है और श्रीमन्, उसकी वह रियायतें चाहते हैं । तो सबके टेम्परामेंट का लिहाज करके चलना पड़ेगा । तो उनसे निवेदन है कि वह समस्त सदस्यों के लिए ऐसा न समझें कि सब गलती करते हैं और हम बड़े हैं । हम उनकी ज्यादा से ज्यादा इज्जत करते हैं । लेकिन इसके अर्थ यह नहीं हैं कि हम दूसरों को तुच्छ समझें, वह तो गलत हैं । हम चाहते हैं कि जनतंत्र का गौरव बढ़े, आपका और सदन का गौरव बढ़े । तो न तो किसी प्रकार का लांछन हमारे मित्र की तरफ से लगाया गया और न कोई दूसरा ही मंशा था । केवल विनोद की बात है । मैं महीलाल जी से कहूंगा कि वे छोटी चीजों को बहुत ज्यादा लम्बी डोरी में न डालें । न जाने हम कितने व्यक्तियों से कहते हैं और कितने लोगों से मजाक चलता रहता है कि तुम तो नई शेरवानी बनवा कर आये हो, वैसे किसी ने नयी शेरवानी बनवाई नहीं । तो यहां पर विनोद को खींच खांच कर यह कहना कि लांछन लगाया जा रहा है कि मैं मंत्री बनने के लिए उत्सुक हूं । यदि ऐसा कोई कहे तो न जाने हम में से कितने उत्सुक हैं । तो आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को समाप्त करें और जो चीज विनोद की है उसको वैसे ही स्वीकार करें ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, यह सारा व्याख्यान जो हो रहा है हमारे मित्र का और उधर भी कभी कभी होता है वह मेरे ऊपर डायरेक्टेड है ।

श्री अध्यक्ष---

आप नहीं हंसते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं ।

श्री चरण सिंह---

नहीं हंसता हूं तब भी मुश्किल है और हंसता हूं तब भी मुश्किल है ।

कल आपने एक सदस्य को इंगित किया । यह आपका काम था कि इंगित करते या न करते । हमारी राय यह है कि बहुत से मौके आते हैं तब आपको इंगित करना चाहिये। और आप नहीं करते हैं । जैसे तैसे तो आपने कल इंगित किया (व्यवधान) । अब नियम यह है कि जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायगा तो नेता सदन अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि उन को सदन क सेवा से निलंबित किया जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यह प्रश्न तो समाप्त हो चुका है कि जो इंगित करने वाला मामला मुख्य मंत्री जी फिर लाना चाहते हैं । उन्होंने शब्द वापस ले लिये, आपकी व्यवस्था हो गयी, अब फिर क्यों उठाया जा रहा है ? इस समय तो सवाल महीलाल जी का चल रहा है। इस सदन का समय आखिर आप जैसे बुजुर्ग और मुख्य मंत्री जैसे बुजुर्ग ले लेंगे तो यह जनतंत्र कैसे चलेगा ? वह तो माफी मांग चुके हैं, सवाल वापस हो चुका है।

श्री चरण सिंह---

श्री अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र तब चलेगा जब सारे आरोप लगाये जायं और मैं खामोश रहूं और कोई जवाब न दूं । मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त श्री लक्ष्मी रमण आचार्य उपदेश दे रहे थे तो आप कहां चले गये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

भाषा का प्रयोग फिर देखिये । किस भाषा का प्रयोग हो रहा है?

मान्यवर, जरा भाषा का प्रयोग देखें । पहले 'व्याख्यान" फिर "उपदेश" । न मैंने कोई व्याख्यान दिया, न कोई उपदेश ।

श्री अध्यक्ष---

उनका इम्प्रेशन यह पड़ा कि उपदेश है ।

श्री चरणसिंह---

मैं उपदेश मानता हूं तो नाराजगी । अब मैं यह कहता हूं कि मैंने कल से लेकर अब तक कौन सा ऐसा काम किया है जिस पर यह नाराजगी है । कल आपने इंगित किया तो मैंने फौरन जो नियम में लिखा हुआ है . . .।

श्री कल्पनाथ सिंह---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपने जैसे-तैसे इंगित किया । इसके क्या माने हैं ? उनका यह जैसे-तैसे कहना क्या संसदीय है ? आपकी यह दशा है । तो, श्रीमन्, इनको सिखाइये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं स्पष्ट कर दूं । उन्होंने जो मेरे लिये कहा उसको मैं गौरव की बात समझता हूं ।

श्री चरणसिंह---

मान्यवर, मैंने यह कहा कि बहुत से ऐसे अवसर आते हैं कि जब आप को इंगित करना चाहिये लेकिन आप नहीं करते हैं और बड़े मुश्किल से कल आपने इंगित किया और उस पर जो मेरा फर्ज था उसके मुताबिक मैंने रिजोल्यूशन मूव कर दिया और इस पर माननीय अनन्तराम जी जायसवाल ने जो खरी-खोटी सुनाई है वह सब इसमें लिखी हुई हैं ।

[श्री चरणसिंह]

अब मैं जानता नहीं हूं कि मेरा कसूर क्या है। यह कहा अगर मुख्य मंत्री जी यहां रोब दिखाना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं तो हम कभी दबेंगे नहीं । तो मैंने ऐसा कौन-सा कसूर किया ? मैंने प्रस्ताव पेश किया तो इसके लिए आप कहते हैं जबरदस्ती आप हमको दबाना चाहते हैं, हम नहीं दबेंगे, हम आपके साथ मंत्री रहे हैं। मैं जानता नहीं हूं कि मेरा क्या कसूर था ? इसी तरह से अब आप यह कह रहे हैं कि मंत्री बनाना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कौन नहीं चाहेगा कि किसी का अजीज और दोस्त मंत्री बन जाय ? श्री महीलाल जी हमारे दोस्त हैं और हमारे साथ डिप्टी मिनिस्टर रहे हैं । अगर मैं चाहता हूँ कि वह मंत्री बन जायं तो इसमें कौन सी बुराई है ? मैंने आपसे सिफारिश की कि आप इनको मंत्री बना दीजिये ।

श्री चरणसिंह—

अब उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किये वह कई बार कह चुके हैं इस भावना से प्रेरित होकर मही लाल जी से कहते हैं कि उनको मत्री बनाया जाय । अब आपने फरमाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र को मन्त्री बनाना चाहता है को कौनसा कसूर है ? कुछ लोग मंत्री थे और अब मंत्री नहीं रहे। इसलिये ऐसी बात कह रहे हैं अगर ऐसा कहा जाय तो क्या वह बात मुनासिब होगी ? तो इस तरह से वह बात मुनासिब नहीं होगी । मैं रोज सुनता हू कृष्णानन्द राय जी इस तरह से कहते हैं या हमारे कल्पनाथ सिंह जी जिस तरह से कहते हैं । उस दिन आस्तीन चढ़ाते हुये बात कही ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैंने आस्तीन चढ़ाकर बात कभी नहीं कही । अगर आप आस्तीन · · · (शोर)

श्री चरणसिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि आपने आस्तीन चढ़ाकर बात कही । आपने उस दिन एक बात आस्तीन चढाते हुए कही थी कि इनको डाटिये । उस दिन आस्तीन चढ़ाते हुये आपने कही थी । तो जहां तक बात कहने का संबंध है, आप मंत्री थे और अब मंत्री नहीं रहे और यदि ऐसा मैं कहूं कि आप मंत्री नहीं रहे और अब मंत्री बनना चाहते हैं इसलिये ऐसा कहते हैं कि उनको डांटिये तो क्या यह बात कहना मेरे लिये मुनासिब है ?

श्री कल्पनाथसिंह—

जो सिफारिश में लगे हों उनसे यह कहिये । मैं तो उसमें हूं नहीं ।

श्री चरणसिंह—

यह कोई ऐसी बात नहीं है। मंत्री या मुख्य मंत्री हम सब बनना चाहते हैं । यह उचित बात है और इसकी ख्वाहिश होनी चाहिये । हर पार्टी पोलिटिकल पावर कैपचर करना चाहती है। पोलिटिकल पार्टी जो होती है वह अपने खयालात के मुताबिक प्रदेश की सेवा करना चाहती है, तो यह उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है कि वह पावर को कैपचर करने की ख्वाहिश करे, लेकिन यह कहना कि फलां इसलिये कहता है ताकि ऐसा हो जाय तो यह बात गलत है। वह बात कई बार कही जा चुकी है और मैंने भी कहा कि यह अनपार्लियामेंटरी है, वापस लिया जाय । पर पता नहीं वह वापस हुआ या नहीं । आज मैंने यह कौन सा कसूर किया ? जिस तरह से कृष्णानन्दराय जी रोज कुछ न कुछ कहते रहते हैं आज कह दिया कि मेरा मूड ठीक नहीं है, कुछ मुद्रा ठीक न होने की बात कही । उस रोज बेईमानी की बात कही । यदि इस प्रकार से रोज बात की जायगी तो यह सदन किस तरह से चलेगा ? मैं चुप बैठा रहा

लेकिन मेरे मित्र तब भी दूसरी बात सोचते हैं और हंसता हूं तो उनको ऐसा लगता है कि तिरस्कार हो रहा है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बतला दें और आप नहीं बतलाते हैं तो लक्ष्मीरमण जी आचार्य को आप अपने कमरे में बुलाकर बतला दें कि किस तरह से हंसना यहां तिरस्कार नहीं माना जायगा । किसी भी आदमी के किसी एक ही ऐक्शन को मुख्तलिफ मुख्तलिफ दृष्टि से देखा जाता है। ऐक्शन एक ही है लेकिन जुदा-जुदा आदमियों के दिल पर जुदाजुदा असर होता है। जिसकी जिस तरह की भावना होती है उसके ऊपर उसका वैसा ही असर होता है। अगर मैं नियम के मुताबिक कोई प्रस्ताव करता हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैंने रूल के मुताबिक प्रस्ताव किया तो आपको मेरा रोब नजर आता है । अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर एक सवाल आया कि क्या मंत्रि परिषद् के लिए कोई आचरण कोड बनेगा ? मैंने जवाब दिया कि मंत्रि परिषद् इस पर विचार नहीं कर रहा है लेकिन मंत्रि परिषद् के लिये कोई आचरण कोड बने या न बने, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मुझे यहां पर किस तरह से आचरण करना है यह आप मुझे बतला दें ताकि आगे सदन में कोई शिकायत पैदा न हो ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह चाहता हूं कि यह बात अब समाप्त हो जाय । आपने जो मंत्रियों के लिए कोड आफ कंडक्ट की बात कही मैं चाहता हूं कि सदन की विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं उनको मैं बुलाऊं । बीच में मैंने उनको बुलाया भी था, लेकिन दुर्भाग्य से नेता यहां पर मौजूद न थे । २७ तारीख को बुलाया था । अब मैं यह चाहता हूं कि दिल्ली से आने के बाद इसे देखूं आज तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां पर सेमीनार है। वहां से सेमिनार के समाप्त होने पर ४ तारीख को वापस लौटूंगा । मैं ५ तारीख को सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि जो पार्टियों के नेता हैं वे कृपा करके मेरे कमरे में आ जायं । वहां पर जलपान भी होगा और मधुर वातावरण में हम लोग सदन में किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाय जिससे अनुशासनबद्ध होकर हम लोग काम चला सकें इस पर विचारविमर्श करेंगे। इसलिये यहां पर मैं इस प्रश्न को समाप्त करता हूं और आपका जो विशेषाधिकार का प्रश्न है उसको मैं ४ तारीख को ले लूंगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, इसको आप ५ तारीख को ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उसको ५ तारीख को ले लूंगा ।

श्री राज्यपाल से विधान परिषद् में ४ सदस्यों को मनोनीत न करने की प्रार्थना

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाय । गवर्नर साहब विधान परिषद् के चार सदस्यों को नामिनेट करते हैं । मेरी यह प्रार्थना है कि आप गवर्नर साहब को यह सलाह दें कि वे इन सदस्यों को नामिनेट न करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनके पास इस प्रस्ताव को भेज दूंगा ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

राजस्व उपमंत्री (श्री रामकिंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम किंकर—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पुर: स्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९४५-९६१ पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०†

श्रम राज्यमंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज, (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

अभी तक जो दंड दिया जाता है वह इतना कम है कि जो अपराधी हैं वे बजाय अपराध कम करने के बढ़ते चले जा रहे हैं । अपराधियों की संख्या बराबर बढ़ती चली गई है। अंतत: इस सरकार ने तय किया कि उस अपराध की स्थिति को रोकने के लिये दंड सख्त किया जाय, मसलन जुर्माना २०० की जगह ५०० या ५०० की जगह १००० किया जाय, सजा एक साल की जगह दो साल की कर दी जाय । साथ ही कुछ नियमों की वजह से भी अपराध बढ़ गए, कुछ डेफीनीशन भी हैं, जो पहले की अपेक्षा इसमें सरल बना दिये गये हैं और कानून को सरल बना दिया गया है ताकि अपराधियों को ठीक रूप से कब्जे में करके सख्त दण्ड दिया जा सके । तो उद्देश्य यह है कि अपराध की बढ़ती हुई संख्या कम हो जाय और जो लाभ अपराधियों को पहुंचता है वह न पहुंच सके ।

(इस समय १ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव, पीठासीन हुए ।)

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आप की आज्ञा सें यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में दे दे और उसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे ।

श्रीमन्, यह गांधी शताब्दी का वर्ष है । यह सही है कि आज गांधी जी के विचारों की हत्या बंगाल में की जा रही है, उनके चित्र जलाये जा रहे हैं, फिर भी इस सदन में बैठे अधिकांश सदस्य इस बात को मानते हैं कि देश के अन्दर मद्य-निषेध हो । १९१० का जो ऐक्ट था उसमें राज्य सरकार ने कछ संशोधन रखे । इसके अन्दर काफी कमियां हैं जिन पर राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया और जल्दबाजी में यह बिल लाया गया है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ।

श्रीमन् मैं इलाहाबाद में रहता हूं । वहां अक्सर गांजे के तस्कर व्यापारियों का गिरोह पकड़ा जाता है । अक्तूबर के महीने में ५ लाख का गांजा मुट्ठीगंज थाने में पकड़ा गया । थाने में उसे लाया गया लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण तस्कर व्यापारी जो नैपाल से गांजा लाया था उस पर मुकदमा नहीं चला और वह गांजा धीरे-धीरे उस व्यापारी को दे दिया ।

---

†२९ अप्रैल, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

इस प्रकार अनेक घटनायें गांजा, भांग और चरस के सम्बन्ध में होती हैं। ये लोग राजनैतिक दलों से भी सम्बन्ध रखते हैं। ऐसा लोग कहते है कि राजनैतिक लोगों को रुपया देने के कारण बड़ी मात्रा में नैपाल से तस्कर व्यापार होता है और एक्साइज कर नहीं निकलता है। तो नैपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों में मोटरों और टैक्सियों के द्वारा तथा बिहार से उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में गांजा आता है और मध्य प्रदेश, दिल्ली, गाजियाबाद होता हुआ देश के अन्य भागों में जाता है। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में इस पर भी विचार हो। सरकार अगर सचमुच चाहती है कि मद्य निषेध हो तो नैपाल से गांजे का व्यापार रोका जाय।

श्रीमन् कई बार यह घोषणा की गयी कि पहाड़ी इलाकों में मद्य-निषेध किया जायगा, केवल पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश में किया जायगा। आज मद्य का प्रयोग ज्यादातर श्रमिक लोग करते हैं। मैं बहुत सी श्रम यूनियनों से सम्बन्धित हूं। मैं शाम के वक्त उन लोगों को शराब पीते हुए, देशी शराब पीते हुए देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। हमारी सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिये ता कि इस पर प्रतिबन्ध लगे। जो शराब के ठेके नीलाम होते हैं, कच्ची शराब के, बड़े नगरों में, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपरमें घनी बस्तियों में दे दिये जाते हैं कुछ रुपयों के कारण, नीलाम की बोली के कारण। मैं एक नहीं दर्जनो इलाहाबाद और कानपुर में शराब की दुकानों के नाम गिना सकता हूं जो घनी बस्तियों में हैं। प्रति वर्ष जिलाधीश महोदय आश्वासन देते है कि यह शराब की दुकानें इन घनी बस्तियों से हटायी जायंगी, परन्तु ऐसा नहीं किया जाता है। यह दुकानें शिक्षा संस्थाओं के पास है, घने बाजारों में स्थित है, लेकिन सरकार ने कोई पग इस दिशा में नहीं उठाया है। जहां इन से बुरा प्रभाव पड़ता है वहीं साथ-साथ यदि हम सचमुच शांतिमय ढंग से यहां स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं और अपने बच्चों में नैतिकता लाना चाहते हैं तो बड़ी मात्रा में जो गांजा, चरस और भांग का जो अनैतिक व्यापार होता है और जो नैपाल से तस्कर व्यापार इन चीजों का होता है उन तस्कर व्यक्तियों और गिरोहों के खिलाफ सक्त कदम उठाया जाय और ये चाहे किसी बड़े राजनैतिक दल से ही क्यों न सम्बन्ध रखते हों उन्हें अधिक से अधिक दंड दिया जाय, इस तरह का प्राविधान इस विधेयक में होना चाहिये था। लेकिन ऐसी बात इसमें नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि बड़े नगरों में जो शराब आदि की दूकानें, स्कूलों और अस्पतालों अथवा बड़े मंदिरों के पास हैं या चौराहों पर हैं उनको तत्काल हटाने की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष जी, जो संशोधन श्री संड ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार इस विधेयक पर व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले सेशन में भी इसी प्रकार का एक बिल और आया था जिसके द्वारा एक्साइज ऐक्ट में संशोधन किया गया था और यह अब दूसरा संशोधन विधेयक आया है। जहां तक इस की मंशा का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी के विचारों से सहमत हूं, लेकिन केवल इतना सा संशोधन करने से ही मद्य निषेध हो जायगा ऐसी बात नहीं है। आज तक जो ऐक्ट है उसके अनुसार कानून यह है कि जो शराब की भट्टी होगी वह सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद में कभी नहीं चलेगी। और यह भी नियम है कि जो शराब की दूकानें होंगी वे सार्वजनिक स्थानों व अन्य सामाजिक संस्थाओं के पास न होंगी, या सार्वजनिक सड़कों पर न होंगी और यह दुकानें केवल ६ बजे तक खुली रहेंगी और कोई मुनीम नहीं रख सकते हैं। हमारा क्षेत्र मिर्जापुर का आदिवासी इलाका है जहां स्वच्छ पानी तो कठिनाई से मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन शराब मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। वहां पर उच्च स्तर के एक्साइज व पुलिस अधिकारी मिलकर नाजायज दुकानें चलवाते हैं। वहां जो आजकल औद्योगीकरण हो रहा है वहां पर छोटे कर्मचारियों को खूब नाजायज शराब पिलाई जाती है और उसमें पुलिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्यारे]

व एक्साइज अधिकारी पूरा सहयोग देते हैं। वह उस नाजायज कमाई में हिस्सा बंटाते हैं। मैंने इस मामले में मुख्य मंत्री जी को भी लिखा कि आप जो यह वेलफेयर स्टेट कह कर सरकार चला रहे हैं और आप का तो जनता का वेलफेयर ही मुख्य उद्देश्य है और नशे की वस्तुओं के संबंध में जो यह अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य हो रहे हैं और हमारे यहां ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में जो यह अवैध नशीली चीजों की तस्करी चल रही है उसे रोका जाय। जो आज तक का पिछला कानून है उसी को सरकार ठीक से कार्यान्वित कराने में सक्षम नहीं है तो जो यह बिल मंत्री जी लाये हैं वही क्या करेगा, वह आवश्यक है मैं यह मानता हूं लेकिन जो कुछ पुराने ऐक्ट में मौजूद है उसके अनुसार तो पहले वह कार्य करें।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इसमें अधिक सजा ऐसे लोगों को देने की व्यवस्था तो उन्होंने की है लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके क्षेत्र में अवैध दुकाने पकड़ी जाती हैं सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। इसमें प्राविधान होना चाहिये कि जो एक्साइज व पुलिस के अधिकारी अपने क्षेत्रों में ऐसी दुकानें चलने को नहीं रोकेंगे और वे पकड़ी जायंगी उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। मैं चाहता हूं कि इसके लिये वह इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेंजें जो सारी बातों पर विचार करे। आज हम गांधी जी की शताब्दि मना रहे ह और देहरादून, आदि कई पहाड़ी जिलों में सरकार ने मद्य-निषेध किया भी है। हमारा दुद्धी का मिर्जापुर में एक आदिवासी क्षेत्र है जहां आदिवासी रहते हैं, वहां का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर ३–४ लाख रुपया सरकार को एक्साइज से मिलता है लेकिन उसकी आड़ में जनता की गाढ़ी कमाई का २०–२५ लाख रुपया वहां के ठेकेदार वसूल करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था आपने पहाड़ी इलाके में की है कि वहां पर मद्य-निषेध कई इलाकों में नहीं होगा, उसी प्रकार से आप मिर्जापुर, इलाहाबाद और झांसी में जहां-जहां हरिजन और आदिवासी लोग रहते है, उन इलाकों को ड्राई एरिया डिक्लेयर कर दें ताकि वहां पर शराब की बिक्री ही न हो। इस समय वहां पर गलत ढंग से शराब की बिक्री हो रही है। जब कि नियमों में यह है कि ६ बजे सायं के उपरान्त शराब की भट्टियां न खोली जायं, वहां पर खूब आजादी के साथ इसके बाद भी खुली रहती हैं। यह भी नियम है कि मंगलवार को कहीं भी शराब न बिके, लेकिन हमारे क्षेत्र में खूब धड़ल्ले से इस दिन भी बेची जाती है। इसी प्रकार से नियम है कि १५ अगस्त और ३० जनवरी को शराब की भट्टियों पर शराब न बेंची जाय। लेकिन उन दिनों में और दिनों की अपेक्षा ६ गुनी और ८ गुनी बेची जाती है। वहां पर पुलिस के कर्मचारी और एक्साइज विभाग के कर्मचारी घूमते रहते है, लेकिन नियमों का कोई पालन नहीं होता है। मिर्जापुर जनपद के जिस इलाके में आदिवासी रहते है वहां पर भी शराब की भट्टियां खुली हुयी हैं। माननीय जायसवाल जी ने कहा था कि वहां पर १९४६ में स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था का प्रश्न उठा था लेकिन स्वच्छ पानी तो मिल न पाया, शराब जाने कहां-कहां से लाकर वहां पर पहुंचाई जा रही है।

दूसरी बात, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर एक महुवा फल बहुत होता है। वही गरीब आदमियों का आहार होता है, जिसके ऊपर वहां की जनता जीती है। लेकिन वहां के ठेकेदार इसे मिट्टी के भाव में मोल लेकर शराब बनाने के लिये मोल ले लेते हैं और जो गरीबों का मुख्य भोजन है वह शराब की भट्टियों में चला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो अनियमितता आज जिला स्तर पर होती है, उनमें यहां के कमिश्नर तक का हाथ होता है। दूसरे वहां पर एक्साइज विभाग द्वारा उस क्षेत्र की सभी भट्टियों का एक साथ नीलाम होता है। अगर सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो एक-एक या दो-दो भट्टियों का नीलाम अलग-अलग करें। मैं दुद्धी की बात कहता हूं। वहां पर एक ठेकेदार ने मोनोपली बना रखी है, एकाधिकार कर रखा है। उन ठेकों को हमारे कमिश्नर इसलिये टुकड़ों में नहीं बांटते क्योंकि उन की जो बंधी बंधाई आमदनी है वह समाप्त हो जायेगी। मेरी माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि इस बिल में इस चीज को भी लाने की आवश्यकता है कि जो शराब, गांजा या चरस, आदि का व्यापार करते हैं या करने

वालों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता करते हैं, चाहे वे नेता हों या सरकारी कर्मचारी हों उनको दण्ड देने का प्राविधान इसमें होना चाहिये। तब यह एक अच्छा बिल होगा। जहां तक हमारे कांग्रेस दल का सम्बन्ध है उसमें तो यह सर्वसम्मति से स्वीकार हो जायगा। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि इस पर विस्तृत रूप से विचार हो सके और जो इसमें कमियां रह गयी हैं, वे पूरी हो सकें।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन् मैं एक ऐसे क्षेत्र बहराइच जिले से निर्वाचित होकर आया हूं जो कि नैपाल की सरहद से सटा हुआ है। अधिकांश भाग में वहां पर जंगल है। वहां पर जंगल के किनारे और नैपाल के बीच में विशेषकर एक जाति बसी हुई है वह है थारू जाति। उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं, सदन को अवगत करा दूं। आश्चर्य की बात है कि थारू जाति हमारे देश में बसी हुई हमारी सारी सभ्यताओं और कल्चर से मिलती हुई अपने को भारतीय नहीं कहती। वे हमको देशी कहते हैं और अपने को थारू कहते हैं। मान्यवर, हमने शिक्षा के बारे में अपनी प्रगति करने का प्रयास किया और सभ्यता की ओर प्रगतिशील हुये भी, लेकिन थारू जाति जैसी कि वह पांच सौ वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है। आज भी जंगल में शिकार खेलना और मछली पकड़ना उनके मुख्य काम हैं। वे हम लोगों से अपने को भिन्न समझते हैं। उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी उनकी खेतीबाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके अधिकारों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजी पीरियड में भी उनको शराब दी जाती रही है और आज भी उनको शराब की सुविधा दी गई है। जब मैं वहां जाता हूं तो देखता हूं कि उनका युवक वर्ग शिक्षा के बारे में समझने लगा है। उन्होंने हमसे मांग की कि बाबू, हमारी प्रथम आवश्यकता शराबबन्दी है। हमारे गांव से शराब बन्द करा दो तो सुधार हो सकता है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि वहां शराब इस तरह खुली हुई थी कि वहां बच्चों, औरतों, जवानों और बूढ़ों सभी का काम शराब बनाना ही है। वहां शराब बनाने पर प्रतिबन्ध अवश्य है, परन्तु समझ में नहीं आता है कि यह प्रतिबन्ध किस तरह का है। उनकी सभ्यता और भाषा बदली हुई है। वे हमसे अपने आपको भिन्न समझते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यह प्रश्न हो सकता है कि वे हमारे देश के हैं या नहीं और हमारी सरकार असमर्थ रहेगी उनके भारतीयकरण में। उनका भारतीयकरण मुश्किल हो जायेगा। मेरा तो निवेदन है कि उन जवानों की मांगें अवश्य मानी जानी चाहिये। उनको हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिये शिक्षा की, कपड़े की और खेती के लिये जमीन। जो जंगल के किनारे बसते हैं उनका मुख्य काम शिकार खेलना है। शिकार ही उनका प्रथम भोजन है। लेकिन उसमें नियम ऐसा बन गया है कि शिकार न खेला जाय। ऐसे जानवर जिनको वे खाते हैं जैसे सूअर, जिन पर उनका जीवन निर्भर है, उनको शिकार की हर प्रकार की खुली छूट दी जाय। एक परिवार एक सूअर या दो सूअर मार कर वे अपना शिकार कर सकते हैं, ऐसी सुविधा उनको दी जानी चाहिये। शराबबन्दी कतई हो जानी चाहिये अन्यथा वे नेपाल से शराब ले आते हैं। लाखों रुपये का गांजा और चरस आता है जिसका कि हमारे एक्सचेन्ज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको सही प्रकार से सरकार ही जान सकती है।

नेपाल से लगा हुआ कतरनियाघाट और बस्ती है। जब तक सख्ती से वहां का भाग ड्राई नहीं डिक्लेअर किया जायेगा तब तक वहां के निवासी तरक्की नहीं कर सकते। हाल ही में ३५ हजार रुपये का स्मगलिंग का सामान जिसमें चरस, वगैरह था जंगल से जाते हुये बैलगाड़ियों जैसे पकड़ा गया। मैं जंगल से होते हुये दौरा करने जा रहा था। मैं जीप से जा रहा था। ट्रैक्टर जिसमें स्मगलिंग का सामान था वह मेरे बगल से पास हुआ। मैंने समझा कि वह ट्रैक्टर मेरा ही पास हो रहा है। जब वह फुलस्पीड से निकल गया तो मुझे संदेह हुआ। मैंने जीप उसके पीछे दौड़ाई, लेकिन वह ट्रैक्टर लेकर बगल से उस रास्ते से निकल गया जहां से जीप नहीं जा सकती थी। बाद को हमें मालूम हुआ कि वह स्मगलिंग का माल लिये हुये जा रहा था।

[श्री पारसनाथ सिंह]

मेरा क्षेत्र बहराइज जिले से लगा हुआ है लिहाजा स्मगलिंग का सामान लाने में कोई कठिनाई नहीं होती। जंगल ही जंगल में बीच से होकर सारा सामान लोग ले आते हैं। वहां पर जीप वगैरह नहीं जा सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरहद के किनारे-किनारे एक ऐसी सड़क बनायी जाय ताकि इन लोगों को रोका जा सके और जंगल के बीच में हर प्रकार का आदमी हर समय न जा सके। केवल एक्साइज के अधिकारी आदि ही जा सकें। जब तक आप सरहद क किनारे-किनारे सड़क बना कर इसको नहीं रोकेंगे यह समस्या हल नहीं कर पायेंगे। इन जंगलों के बीच से बड़ा सामान स्मगलिंग का आता है जो देहली और बम्बई जैसे शहरों तक में जाकर बिकता है और आपके अधिकारी उनको पकड़ने में असमर्थ रहते हैं।

दूसरी बात शराबबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। बहराइच जिले में गरीबी का मुख्य यह है कि वहां ८-१० साल के बच्चे से लेकर बड़े तक सभी शराब पीते हैं। हमारा जिला काफी सम्पन्न जिला है, मगर शराब के कारण लोग हमेशा गरीबी के शिकार बने रहते हैं। जब १० वर्ष की उम्र से ही बच्चा शराब पीने लगेगा, तो आप सोच सकते हैं कि आगे चल कर वह क्या क रेगा ? इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि सही प्रकार से वहां पर विचार हो सके और सही तरीके से विधेयक बन कर यहां आ सके।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, लेनिन शताब्दी समारोह में हम लोग भी शामिल हैं। आज शराबबन्दी के संबंध में जब हम लोग यहां विचार कर रहे हैं तो मेरा ध्यान लेनिन के उपदेशों की तरफ जाता है। लेनिन ने हमेशा शराब पीने का विरोध किया। महात्मा गांधी, डा० राममनोहर लोहिया, आदि तो इस देश के नेता रहे हैं, पर लेनिन के विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सरकारी बेन्चेज को उससे कुछ सबक लेना चाहिये। मान्यवर, लेनिन मजदूरों के बीज में घूम-घूम कर यह प्रचार करते थे कि शराब पीना बन्द करो, इससे स्वास्थ्य खराब होता है, इससे चिन्तन बिगड़ता है, इससे परिवार सड़ता है। सारे मजदूर इकट्ठा होकर जब उनके प्रवचन को सुनते थे तो कहते थे कि 'हां, यह ठीक कह रहा है। निश्चय ही शराब बुरी चीज है। किन्तु वह महानदार्शनिक रात को जब अपनी खोली में चिराग जला कर लिखने के लिये बैठता है, तो रात को मजदूर लोग पूंजीपतियों द्वारा दी गई शराब पीकर आते थे और उसकी खोली के बाहर उसको बुरा भला कहा करते थे। एक बार लेनिन के एक दोस्त ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे प्रवचन आदि से कोई फायदा नहीं होता है, यह लोग फिर भी शराब पीकर आते है, और व्यर्थ तुम्हें ग लियां बकते हैं, तुम्हारे इस प्रवचन से क्या फायदा ? इस पर महान् दार्शनिक लेनिन ने ने कहा, उनके सामने उस समय भी चिराग जल रहा था, देखा इस चिराग का काम जलते रहना है। जो अन्धा है वह उससे लाभ नहीं उठा पाता, उसको वह रोशनी नहीं देता, परन्तु जिसको दिखाई देता है वह इससे लाभ उठाता है। उसको इसका प्रकाश मिलता है। तो आपने कुछ इलाकों में शराब बन्दी कर दी मगर वहां पर दूसरी जगह से चोरी-चोरी शराब पहुंच जाती है और वहां से जाती है जहां पर आपने बन्द नहीं की है। अगर आप को शराबबन्दी करना है तो आप को चाहिये कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के लिये एक कानून बना दें। आप में अभी शमा की तरह जलने की ताकत नहीं आयी है।

अभी आपकी सरकार में वह विचार नहीं आया है, जिसे लेनिन से गांधी ने जोड़ा था और जो हमारे बड़े-बड़े नेता चाहते थे वह विचार नहीं आया। बिना विचारों के कोई असर नहीं चलता है, चलता है तो इधर उधर केवल कानून बनता रहता है, जिसे कि आजकल हम सब लोग देख रहे हैं। ऐसा कोई संकल्प यदि सरकार का है तो मैं उसका घोर विरोध करता हूं और संशोधन का समर्थन करता हूं जिसमें कहा जाय कि इसको प्रवर समिति में विचारार्थ भेजा जाये या इसके लिए किसी आयोग का गठन किया जाय, जो इस पर, इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करके अपना निर्णय दे।

शराब का मामला कोई मामूली मामला है ? एक तरफ तो धड़ल्ले से ठेके दिए जायेंगे और तमाम सहूलियतें दी जायंगी और दूसरी तरफ रोकने का प्रयास

किया जायगा तो इसको रोकना कैसे संभव हो सकता है ? क्या आपने रेलों के लिये कोई प्रबन्ध किया है कि रेलों द्वारा इधर से उधर शराब न भेजो ? क्या बसों के अन्दरआ पने कोई कंट्रोल बिठाया है इसका आवागमन रोकने के लिये, क्या आपने मजदूरों की खोलियों के बाहर कोई नियंत्रण लागू किया है कि उन तक शराब न पहुंच सके और वे न उसका इस्तेमाल कर सकें? क्या आपने रिक्शे वालों के अन्दर कोई प्रवचन देना शुरू कर दिया है कि तुम शराब न पियो ? यदि ऐसा नहीं है तो आप ऐसा बिल लाइए । जहां हाउस का समय और चीजों में व्यय होता है, वहां पर इस महत्वपूर्ण चीज पर विचार के लिये भी सरकार को इस प्रकार का बिल लाना चाहिये । लेकिन जिनका विचार ऐसी चीजों से नहीं जुड़ा है वे कैसे इसको चाहेंगे ? श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करूंगा कि शराब के संबंध में उनकी एक निश्चित नीति होनी चाहिये और वह निश्चित नीति किसी एक क्षेत्र के लिये, चाहे वह पर्वतीय इलाका हो, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो और चाहे झांसी जिले का मसला हो, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा है कि जहां जाइएगा आपको ऐसा ही मिलेगा,नहीं बल्कि सपूर्ण प्रदेश के लिये होनी चाहिये। जो लोग आज परेशान होते हैं उन्हें पूंजीपति लोग शराब दिया करते हैं और कहते हैं कि भूले बिसरे पड़े रहो, हमारी खुशामद करते रहो और तुम अपने विचार सुधारोगे तो हमारे विशेषाधिकार समाप्त हो जायेंगे, हमारा शासन करने का हक समाप्त हो जायगा । तो निश्चित ही शराब के संबंध में ऐसी नीति होनी चाहिये जो पूंजीपतियों के हित के खयाल से नहीं, बल्कि जनता के, गरीब किसानों और मजदूरों के हित की नीति होनी चाहिये मजदूरों के हित की नीति कौन-सी होगी ? वह लेनिन के द्वारा रखी गई नीति होगी कि शराबबन्दी करना है तो मजदूरों के इलाके में जाकर प्रचार करो और ऐसा कानून बनाओ, जिससे उनके हाथों में शराब पहुंचने ही न पावे । नौजवानों, कर्मचारियों, गरीब किसानों, आदि तमाम जनता की भलाई यदि सरकार चाहती है, तो मैं उससे एक ही प्रार्थना करूंगा कि शराब के संबंध में कोई ऐसा व्यापक कानून होना चाहिये, जिससे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का उत्थान हो सके, जिससे नये जीवन और समाज का निर्माण हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं और उस संशोधन का समर्थन करता हूं जो इधर से रखा गया है ।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय में बोलने का अवसर दिया।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, सदस्यों की संख्या कम है । आप घंटी दे दें ताकि लोग आ जाएं ।

(घंटी बजाई गई ।)

श्री उपाध्यक्ष--

वैसे हर बार मैंने कहा है एक या दो के बीच में यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिये । यह आपके बीच का एक अलिखित समझौता है । फिर क्यों आप इसे उठा देते हैं ? या तो आप छुट्टी की व्यवस्था करायें, तो ठीक रहे ।

श्री जगदीश गांधी--

यह मैं वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके वापस लेने से क्या होता है । यह प्रश्न कहीं वापस होता है ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री इन्द्रमणी—

यह बड़े हर्ष की बात है कि गांधी जन्म शताब्दी के वर्ष में हमारे श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने उत्तर प्रदेश के ३ जिलों यानी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में मद्य-निषेध लागू किया और इसके अलावा जो ३० नई दुकानें खुलने वाली थीं उनको भी बन्द कराने का आदेश दिया। साथ ही यह भी हर्ष की बात है कि श्री बलवीर सिंह मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने टेहरी-गढ़वाल और पौढ़ी-गढ़वाल में मद्य-निषेध का आदेश दिया और अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में जो शराब की दुकानें थीं उनको बन्द किया लेकिन इसके अलावा मैं मुख्य मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि वह चाहे पूर्वी जिलों की बात हो या पश्चिमी जिलों की, इस सब जगहों पर शराबबन्दी होनी चाहिये। यह निश्चित नीति हम सबको अपनानी चाहिये।

जहां तक उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० का संबंध है, इसमें जो उद्देश्य और कारण हैं उनसे मैं सहमत हूं। इसमें साफ कहा गया है कि कुछ समय से सरकार आबकारी अपराधों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को प्रभावकारी ढंग से रोकने की समस्या पर विचार कर रही है। सरकार आबकारी में जो इस प्रकार के गलत काम होते हैं उनको रोकना चाहती है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि जो संशोधन सरकार ने रखे हैं क्या उन संशोधनों के द्वारा सरकार उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है, या नहीं। अगर उन संशोधनों को हम पढ़ें तो मैं समझता हूं कि संशोधन अपने में बिलकुल नाकाफी है। उन संशोधनों को रखने या पास करने से कोई मकसद हल नहीं होता है। पहला संशोधन इसमें जो मूल अधिनियम की धारा ५७ में किया गया है इसमें कहा गया है—"प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व अथवा अध्यासन में कोई ऐसी भूमि या भवन हो जिस पर या जिसमें किसी मादक वस्तु का कोई अवैध निर्माण हुआ हो, या किन्हीं ऐसे पौधों की कोई अवैध खेती या संग्रहण हुआ हो जिनसे मादक भेषज तैयार किया जा सकता हो" मतलब यह है कि अगर गांव में किसी जमीन का कोई स्वामी है, अगर उसमें कोई चीज पैदा होती है, मान लो भांग या पोस्त पैदा होता है तो मालिक पकड़ा जायगा। सरकार को मालूम कर लेना चाहिये, कानून बनाने वालों को मालूम कर लेना चाहिये कि पहाड़ में गांवों में जो रास्ते होते हैं वह किसी की भूमि नहीं होती है, उस रास्ते में भंग उगती है उसका कौन जिम्मेदार है या रिजर्व फारेस्ट में भंग उठ जाती है उसका कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट को उन के विषय मे भी सोच लेना चाहिये। अगर रिजर्व फारेस्ट में भांग उगती है तो कंजरवेटर को पकड़ना चाहिये और अगर रास्ते में उगती है तो प्रधान को पकड़ना चाहिये। अगर स्वयं जमीन पर उगती है तो एस० डी० एम० को पकड़ना चाहिये। इसका इसमें कोई विधान नहीं है।

दूसरे आपने इसमें जो मूल अधिनियम की धारा ६० को बदला है उसमें खाली इतना बदला है—"उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे"। इसमें दण्ड आपने बढ़ाया है। "लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में ऐसे कारावास का दण्ड अवश्य दिया जायगा जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत कोई विशेष तथा पर्याप्त कारण न दिया गया हो।" यानी खण्ड (ख) में आपने तीन मास का खण्ड रखा है। जो दण्ड (ख) के लिये रखा है वह सब धाराओं के लिये होना चाहिए ताकि इसमें कुछ बल मिल सके।

इसके अलावा जो आपने धारा ६१ में संशोधन रखा है उसमें एक हजार रुपये का अर्थ-दण्ड रखा है। जो १९१० में ऐक्ट पास हुआ था उसमें ५०० रुपये था। तब से आज तक रुपये का मूल्य केवल दूना हुआ है। अधिनियम बनाते वक्त थोड़ा सा सोचें तो कि १९१० में जो एक रुपये की कीमत थी वह आज केवल दुगुनी हुई है। मैं समझता हूं कि बीस गुना हो गई है। तो दण्ड का प्राविजन भी इसमें बीस गुना होना चाहिये। तब जाकर इसमें कुछ काम हो सकेगा। इसके अलावा ६२ में स्प्रिट की बाबत लिखा है वह ठीक है। मैं इसका स्वागत करता हूं। उत्तरकाशी में मद्य-निषेध आपने कर दिया है लेकिन अमृत संजीवनी सुरा

के नाम से शराब वहां खुले तौर से बिक रही है। सरकार को अनुभव नहीं है कि लोग किस प्रकार दूसरे ढंग से शराब बनाते हैं और बेचते हैं। ६४ में आपने २०० की जगह खाली ५०० किया है इससे हमको संतोष नहीं है क्योंकि रुपये की वैल्यू बहुत घट गई है।

पर्वतीय प्रदेश में आपने मद्य-निषेध जहां किया है वहां टिंचर जिंजर के लाइसेंस भी बहुत दे दिये हैं। आप कहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग से इसका संबंध है लेकिन मैं तो पूरी सरकार को एक ही मानता हूं। जिसने भी ५, ७ सौ रुपये जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दिये वहीं टिंचर जिंजर का लाइसेंस ले आता है और उसे बेचने लगता है क्योंकि उनको पैसा चाहिए और वह १२ साल के बच्चे को भी दवा के रूप में टिंचर जिंजर देंगे। यह टिंचर जिंजर पर्वतीय क्षेत्र में अभिशाप बन गया है। जितनी दूकानें हैं उनको या तो बन्द कर दिया जाय या केवल दो, तीन पौंड तक ही बेचने को उनकी इजाजत दी जाय। एक टिंजर जिंजर वाला पौड़ी- में मित्र सेन हैं, विद्यार्थियों ने उसकी दूकान पर पिकेटिंग की लेकिन यह ऐसा अभिशाप है वहां कि उसकी बिरादरी वालों की सब जगह इसकी दूकानें हैं।

इस अभिशाप से पहाड़ को मुक्त किया जाय। सुरक्षा का सवाल हम सबके सामने है। चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, जब देश का सवाल हो तो देश हमेशा सबसे पहले होता है। जिस तरह से आपन शराब खत्म की, टिंचर जिंजर को भी पहाड़ से खत्म कीजिये क्योंकि जब वहां के लोग स्वस्थ्य होंगे और फौज में भरती होंगे तो देश की रक्षा अधिक अच्छे ढंग से कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री तथा आबकारी मंत्री मिल कर एक ऐसा ऐक्ट प्रस्तुत करें जिससे टिंचर जिंजर का यह अभिशाप वहां से हटाया जा सके। इसके लिये मेरा सुझाव है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मद्य-निषेध लागू कर दिया जाय। हम लोग यहां पर पूज्य महात्मा गांधी की तस्बीर लगाए हुए हैं और उसके नीचे बैठे हुए हैं। आज हरएक दल, हर आदमी और प्रत्येक हिन्दुस्तानी उनके आदर्शों से प्रेरित है। आज २० साल राज्य करने के बाद भी अगर हम उनके विचारों को न फैला सकें और उसका प्रचार सारे देश और प्रदेश में न कर सकें तो यह हमारे लिये एक बहुत ही सोचने की बात है और इसलिये मैं चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है वह एक सशवत विधेयक है और इसे प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध घोयित कर दें यह मेरा आपसे निवेदन है।

*श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस पर ज्यादा बहस न करके इसे पास कर दिया जाय। यह सर्वविदित है कि शराब से हानि होती है। जब कोई आदमी शराब पीता है तो वह नशे में गन्दी नालियों में पड़ा रहता है। अतः ऐसा नहीं होना चाहिये कि कुछ लोग शराब का प्रचार करें और कुछ शराब पीएं। ऐसा नहीं करना चाहिये। अतः मैं चाहता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर बोलने के लिये कई लोग खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि इसको ढाई बजे तक पास करना है, यह संकल्प आप ले चुके हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को अधिकार है कि वह इसके समय को बढ़ा दे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल यह है कि आप एक बार फैसला कर चुके हैं और फिर से उस पर विचार करें। वैसे अभी इस पर बहस का समय है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

श्रीमन्, जैसा आपका आदेश हो, वैसे ही कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग ४ व्यक्ति बोलने के लि येखड़े हुए हैं और उनके न।म हैं—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री डूंगर सिंह, श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री जगदीश गांधी । अभी १० मिनट के लगभग इस पर बहस करने के लिये बाकी हैं । अतः मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को ३-३ मिनट का समय देता हूं और निवेदन करता हूं कि वे ३ मिनट में अपनी बात कह दें ।

*श्री चन्द्र मोहन (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इसमें किया गया है उसका तो स्वागत ही किया जाना चाहिये किन्तु आज प्रदेश में इस बात पर बड़ा जोर है कि सारा प्रदेश ड्राई हो जाय और वह खुशी की बात है किन्तु इसका एक बहुत बड़ा पहलू हमें देखना पड़ेगा । सिर्फ सरकारी दुकानें बन्द करने से, चाहे वह फौरन लीकर की हों चाहे वह कंन्ट्री लीकर की हों शराबबन्दी नहीं हो सकती इसकी जीती-जागती मिसाल इस देश के पहाड़ी इलाके जैसे पौड़ी-गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल जिलों में है । मुझ सहारनपुर में एक व्यक्ति मिले जो पहले पौढ़ी में रहते थे, मीतल उनका नाम था । वे कहते थे कि हम एक-एक लाख रुपया चन्दा देते हैं इसलिये हमको इन चीजों को बेचने की इजाजत दी जाती है—जैसे संजीवनी सुरा और टिंचर जिंजर वगैरा। इनमें ८५ फीसदी एलकोहल रहती है । उनको ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी मादक द्रव्य हैं । वे सब जनता की सेहत को खराब करने वाल हैं । इससे बेहतर तो शुद्ध शराब है। हमारे यहां एक जज साहब थे वे कहा करते थे कि सरकार शराबबन्दी करने से पहले अच्छी शराब का प्रबन्ध तो करे । जिन भी जिलों में मद्य-निषेध है वहां टिंचर जिंजर चल रहा है मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कि मंत्री जी किसी प्रकार से टिंचर जिंजर और संजीवनी सुरा आदि को तत्काल बन्द करने का प्रयत्न करें ।

श्री डुंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के लिये धन्यवाद तो देता ही हूं मगर, मैं सिर्फ दो ही बातें कहने जा रहा हूं । एक तो यह है— चौधरी साहब के द्वारा पर्वतीय जिलों में जो शराबबन्दी की गई है और उसके साथ बड़ी जोर से घोषणा की गई कि हम गांधीवादी हैं । मैंने , चौधरी साहब से कई बार मिल कर उनको यह समझाने की कोशिश की कि पर्वतीय क्षेत्रों में यह बेतुकी तरीके से शराब बन्दी की जा रही है । इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । अल्मोड़ा, और रानीखेत में आपने शराब की दूकानें खोल रखी हैं, केवल देहातों में २-३ दूकान बन्द कर देने से क्या होगा । नैनीताल, हल्द्वानी वगैरह में भी शराब की दूकानें चल रही हैं। चन्द पहाड़ी जिलों में अगर शराबबन्दी कर भी दी गई तो शराब के कारबार को गलत तरीके से फैलाने का लोगों को अवसर मिलेगा । इसलिये मैं मंत्री जी से यह निवेद न करूंगा कि इस विधेयक को तो संशोधन करने की बात अपनी जगह पर है ही । किन्तु इसमें दण्ड की व्यवस्था रखी गई है । जो पटवारी कानूनगो आदि हैं, सभापति हैं, उनको इसके द्वारा घूसखोरी के लिये प्रोत्साहन मिलगा । इसमें लिखा हुआ है कि रेवेन्यू के आफीसर्स शराब का नाजायज काम करने वाले लोगों को पकड़वाने के लिये खबर देंगे । वहां पर पटवारी वगैरह जो छोटे-मोटे आफीसर हैं, वे अनेक प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपाते हैं । इस बारे में चौधरी साहब क सामने मैंने दसियों उदाहरण पेश किये हैं, कई जगहों पर शराब की ३-४ पेटियों को पटवारी तथा पुलिस ने पकड़ा लेकिन पता नहीं बाद में वे शराब की पेटियां कहां चली गयीं । वहां पर मंगलबार को भी शराब की दूकान वालों के यहां शराब बिकती है । मंत्री जी हमें आश्वासन दें कि अगर कोई अपने को गांधीवादी कहता है तो, चाहे वह विरोध पक्ष का बैठने वाला हो अथवा सरकारी पक्ष में बैठने वाला हो, इमानदारी की बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो यह है कि जितना ही हम इन कानूनों को बनाते हैं या इनका संशोधन करते हैं उतना ही भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं, हमें इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि सारे सूबे में पूर्ण नशाबन्दी हो जायेगी। ऐसा करके हमें सारे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। क्यों इस साल हम गांधी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, गांधी जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है ?

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जिस भावना से इस सदन में लाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस विधेयक के अन्दर ऐसी बातों की व्यवस्था की गयी है—जैसेकोई अपने मकान या खेत के अन्दर कोई मादक वस्तु इल्लीगल तरीके से बनाता है तो सूचना न देने पर दंड की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से इस ऐक्ट में जो नियम बने हैं उनके अतिरिक्त अगर कोई काम करता है तो दंड की व्यवस्था की गयी है। १८ साल से नीचे के लोगों को शराब, भांग, गांजा आदि देने पर दंड की व्यवस्था की गयी है। लिक्विड स्पिरिट बेचने पर भी दंड की व्यवस्था की गयी है। आबकारी नियमों का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था की गयी है। केमिस्ट की दुकान पर नाजायज तरीके से शराब वगैरह जो बिकती है उसके लिये भी दंड की व्यवस्था की गयी है। सारी व्यवस्था तो इस विधेयक में की गयी है लेकिन दो बातों की व्यवस्था नहीं की गयी है जो विशेष रूप से होनी चाहिये थी। आबकारी के जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि कोर्ट्स में फर्स्ट आफेन्डर की व्यवस्था है। जो पहला अपराध करता है उसको मैजिस्ट्रेट १००—५० रुपये जुरमाना करके अपनी जान छुड़ाता है। तो फर्स्ट आफेन्डर वाली बात को आप अमेंड कीजिये। चाहे किसी के पास १० बोतल शराब पकड़ी जाय और चाहे २० बोतल, उसको फर्स्ट आफेन्डर करके नहीं छोड़ा जायगा। आज जो एक्साइज का अपराध बढ़ रहा है उसका मूल कारण यही है।

दूसरी व्यवस्था एक और होनी चाहिये जिसका इसमें अभाव है। वह यह कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी अपराधी जो एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं और जिनकी बदौलत पूरे प्रदेश में एक्साइज के अपराध बढ़ रहे हैं। बल्कि यों कहना चाहिये कि बढ़नी, बस्ती, नेपाल या बहराइच से जो भांग, गांजा आदि चलता है वह सारा एक्साइज पुलिस, एक्साइज दारोगा और एक्साइज अफसर की बदौलत बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर आदि में बेचा जाता है। उसके लिये कोई संशोधन इसमें नहीं किया गया है। पिछली बार जब एक्साइज कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें मुझे अवसर मिला था। वहां जनता को, व्यापारियों को एक्साइज ऐक्ट का पालन न करने पर दंडित करने की पूरी-पूरी व्यवस्था की गयी थी लेकिन एक्साइज पुलिस, एक्साइज दरोगा और एक्साइज अफसर को दंडित करने का प्राविधान कहीं नहीं किया गया है। इसीलिये खासतौर से मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति में भेजा जाय जहां इन दो कारणों पर विशेष रूप से विचार हो सके।

श्री जगदीश गांधी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह इस पर गौर कर सके। इस संशोधन विधेयक से शराब बन्द नहीं होगी, इससे कोई लाभ नहीं होगा और मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह की भावनाओं की भी इस संशोधन विधेयक से पूर्ति नहीं होती। प्रदेश को शराब की बिक्री से २५ करोड़ रुपये की आमदनी प्रति वर्ष हो रही है। टैकचन्द कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ५ रुपये की शराब पीता है तो एक रुपया शासन को टैक्स के रूप में मिलता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन तक ही सीमित रखें ।

श्री जगदीश गांधी—

इस तरह १२५ करोड़ रुपये की शराब उत्तर प्रदेश के लोग पीते हैं । शराब पीकर जो दोष उनमें उत्पन्न हो जाते हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी भी जन कल्याणकारी राज्य की ही होती है । शराब पीने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुरे-बुरे काम करता है, अपराध की प्रवृत्ति होती है और उसके अन्दर दुश्चरित्र बढ़ता है । उसका शरीर रोगों का घर हो जाता है । जन कल्याणकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, पुलिस पर भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, न्याय व्यवस्था पर ज्यादा खर्च होता है । १२५ करोड़ की शराब—बिक्री उत्तर प्रदेश में होने के माने हैं कि उसके कम से कम १० गुने दोष यहां उत्पन्न हो जायेंगे और उसके कारण १२५ करोड़ के स्थान पर १,२५० करोड़ रुपया प्रति वर्ष भी यह जन-कल्याणकारी राज्य खर्च करे तो भी वे दोष दूर नहीं हो सकते । यह कैसी इकोनामी, है, कैसा अर्थशास्त्र है, यह मेरी समझ में नहीं आता । अक्सर सरकारें कहती हैं, चाहे इधर की हों या उधर की हों हमें तो २५ करोड़ का लाभ हो रहा है । इस लाभ से जनता का कोई फायदा नहीं होता । मैं कहना चाहता हूं कि नशा तो पूर्णतया बन्द कर देना चाहिये । इसीलिये पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मुझे एक घंटे के लिये तानाशाह बना दिया जाय तो मैं तमाम शराबखानों को बिना मुआविजा दिये बन्द करा दूं । मनु महाराज ने कहा कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, आप बैठें ।

श्री जगदीश गांधी—

शराबियों के परिवारों का बहिष्कार करो, उनको भोजन न दो । उनके साथ खान-पान का सम्बन्ध न करो आदि, इन शब्दों क साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि इस पर गहराई से विचार किया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय यदि ५ मिनट बढ़ा दें तो मैं समझता हूं किसी को आपत्ति न होगी (कोई आपत्ति न होने पर) ठीक है ।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

उपाध्यक्ष जी, अभी-अभी बहुत सी बातें इस कल्याणकारी समाज की स्थापना की कही गयीं और शराबबन्दी की भी बातें कही गयीं जिसकी वजह से कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसी देश में हो सकती है । बात काफी हद तक सही है । मैं भी अपने इन मित्रों की भावनाओं से सहमत हूं, लेकिन कुछ ऐसी अर्थ व्यवस्था बनी हुई है कि जिस की वजह से यह सरकार बाध्य होकर, चाहने पर भी यह करने में असमर्थ है, उसको पूरे तौर पर बन्द करने में असमर्थ है । आपको भलीभांति मालूम है कि ३ १/८ एकड़ जो लगान माफी कर दी गयी उसकी वजह से कितना बड़ा अहित हुआ । साथ ही जो मैचिंग ग्रांट मिलती उसको मिलाकर २२ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । अगर शराब बन्दी कर दें तो २५ करोड़ का और भी नुक्सान होगा ।

एक तरफ मित्र चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे कल्याणकारी राज्य आगे बढ़ें, हम लोगों के लिये शिक्षा का, दवादारू का इन्तजाम कर सकें और यह भी चाहते हैं कि सारे आमदनी के रास्ते बन्द हो जायं, सारे साधन समाप्त हो जायं । मैं निवेदन करूंगा कि यह बात कुछ हद तक सही है कि नैपालीज या थारू भाई जो अपने को हम से अलग समझते हैं या पर्वतीय क्षेत्र की समस्यायें हैं, सीमा की सुरक्षा की समस्यायें हैं, मैं उनसे अपने का संबद्ध करते हुये कहूंगा कि हमारे लिये निकलना बिलकुल असंभव है । आप देखिये कि इन

संस्थाओं के जरिये, हमारे जो मूलभूत सेक्शंस हैं उनमें ऐसा कर दिया है कि बढ़ते हुये अपराध की स्थिति को हम नियंत्रित कर सकें। जो संस्थायें, कम्पनियां नहीं आती थीं उनको डिफाइन कैसे करेंगे या उनके डायरेक्टर को, तो ऐसे अपराध जो मुक्त थे उनको भी हमने इसके अन्दर लिया। साथ ही साथ जो पार्टियां अच्छी थीं, जो माफियां मांगेंगे कि एक दफा हमने भूल की है, हमें सुधारने का मौका दिया जाय, तो वह हमने दिया है जैसा कि एक कल्याणकारी राज्य को करना चाहिये, कि किसी इन्सान ने एक दफा गलती की है और आश्वस्त करता है कि वह आगे नहीं करेगा तो समाज का कर्तव्य है कि उसको मौका दें सुधरने का। हम उसे मौका दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमने कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है वह साकार नहीं हो सकेगी।

आप देखेंगे कि सी आर०पी०सी० की धारा ५६२ है, फर्स्ट अफेंडर्स प्रोवेशन ऐक्ट हमारे सामने है। उसमें हमने मुचलके पर छोड़ने की बात रखी है। उसमें यह शर्त है कि अगर वह फिर अपराध करेगा तो उसको सजा भोगने के लिये बुलाया जा सकता है। इस कानून के माध्यम से अपराधों को रोकने का प्रयत्न किया गया है। यह भी प्रयत्न किया गया है कि जो इसकी परिधि में नहीं आते हैं उनको इसमें ले आवें और सजा दे सकें। इस प्रकार के प्रगतिशील कदम उठाने के बाद जो हम कल्याणकारी राज्य में विश्वास करते हैं, हम उसे साकार बना सकेंगे। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अदालतों के बारे में जो कहा गया है वह कुछ हद तक सही हैं। लेकिन जो फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोवेशन ऐक्ट बनाया गया है वह इसीलिये बनाया गया है जिससे कल्याणकारी राज्य में हरएक को सुधरने का मौका मिल सके और मौका मिलना भी चाहिये। इसलिये हमने उसको माफ करने की व्यवस्था की है। सेक्शन ६०-बी को देखें जिसमें वह मैन्यूफैक्चर करेगा। इसमें हमने कहा है कि कम से कम तीन महीने की सजा अदालत दे सकेगी। इससे कम की सजा नहीं दे सकेगी। अपराध बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखते हुये इस किस्म का विधान बनाया गया है जिससे उनको सुधरने का मौका भी दे सकें और बढ़ते हुये अपराधों को हम रोक सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जो अपनी रिपोर्ट १ सप्ताह में दे दें और इसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से १३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०

यू०पी०ऐक्ट संख्या ४, १९१०

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० का आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

यू०पी० ऐक्ट संख्या ४, १९१० की धारा ३ का संशोधन

२—यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९७०, जिसे आगे मूल अधिनयम कहा गया है, की धारा ३ में, खण्ड (२०) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(२०—क) व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित, "खेती" का तात्पर्य बीज से किसी पौधे को उगाना है, और इसके अन्तर्गत पौधे के बढ़ने के दौरान में उसकी देखभाल या उसका संरक्षण करना भी है;"

धारा ५७ के स्थान पर नई धार का प्रतिस्थापन

३—मूल अधिनियम की धारा ५७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"५७—प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व अथवा अध्यासन में कोई ऐसी भूमि या भवन हो जिस पर या जिसमें किसी मादक वस्तु का कोई अवैध निर्माण हुआ हो, या किन्हीं ऐसे पौधों की कोई अवैध खेती या संग्रहण हुआ हो, जिनसे मादक भेषज तैयार किया जा सकता हो और ऐसे स्वामी या अध्यासी का अभिकर्ता, और किसी ऐसे जलयान या गाड़ी का, जिसमें इस, अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी मादक वस्तु का निर्माण किया जाय, प्रत्येक स्वामी, और प्रत्येक लेखपाल अथवा ग्राम्य पुलिस कर्मचारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमि या भवन स्थित हो अथवा जलयान या गाड़ी पायी जाय, तत्सम्बन्धी सूचना जानकारी में आने पर, सिवाय उस दशा में जबकि उसके द्वारा ऐसा न करने के लिये उचित कारण हो तुरन्त ही किसी मैजिस्ट्रेट या आबकारी, पुलिस अथवा राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा।"

स्वामी, अध्यासी, लेखपाल या ग्राम्य पुलिस कर्मचारी का कुछ बातों की सूचना देने का कर्तव्य

धारा ६० के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

४—मूल अधिनियम की धारा ६० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:

"६०—जो व्यक्ति इस अधिनियम का अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का, अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके—

अवैध, आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय, आदि के लिये शास्ति

(क) किन्हीं मादक वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करता है या उनको अपने कब्जे में रखता है; या

(ख) किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है; या

(ग) भांग (कैनेबिस सैटाइवा) की खेती करता है; या

(घ) भांग (कैनेबिस सैटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है; या

(ङ) कोई आसवनी अथवा यवासवनी निर्मित करता है या चलाता है; या

(च) किसी प्रकार का कोई सामान, भवका, बर्तन, औजार या उपस्कण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिये प्रयुक्त करता है अथवा अपने पास या अपने कब्जे में रखता है; या

(छ) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है; या

(ज) विक्रय के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है; या

(झ) धारा ६१ में व्यवस्थित दशा के सिवाय कोई मादक वस्तु बेचता है; या

(ञ) धारा ४२ के अधीन विज्ञापित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता या निकालता है, तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में ऐसे कारावास का दण्ड अवश्य दिया जायगा जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत कोई विशेष तथा पर्याप्त कारण न दिया गया हो ।"

धारा ६१ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

५—मूल अधिनियम की धारा ६१ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"६१—यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता अथवा उसके सेवायोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति—

अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के हाथ अवैध रूप से बेचने अथवा अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या महिलाओं को सेवायोजित करने के लिये शास्ति ।

(क) धारा २२ का उल्लंघन करके कोई शराब या मादक भषज किसी एस व्यक्ति को बेचता है या देता है जो स्पष्टत: अट्ठारह वर्ष से कम आयु का हो; या

(ख) धारा २३ का उल्लंघन करकेअपने लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि के किसी भाग में, जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है, अट्ठारह वर्ष से कम आयुके किसी व्यक्ति को, या किसी महिला को, सेवायोजन में रखता है अथवा सेवायोजित करने की अनुज्ञा देता है; तो उसे अर्थदण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है ।"

धारा ६२ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ६२ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात् :—

"६२—जो व्यक्ति किसी ऐसी स्प्रिट को चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं जो विकृत हो गई हो, मानव उपयोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है, अथवा उसके कब्जे में कोई एसी विकृत स्प्रिट हो जो मानव उपयोग के योग्य बनायी गयी हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो, तो उसे एसी अवधि के

विकृत स्प्रिट को मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिय शास्ति

लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।"

धारा ६४ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

७—मूल अधिनियम की धारा ६४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिये शास्ति ।

"६४—जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का ग्रहीता होत हुय, अथवा एसे ग्रहीता क सेवायोजन में और उसकी ओर से कार्य करते हुये—

(क) किसी आबकारी अधिकारी या किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, जो इस प्रकार मांगने के लिय यथा-विधि अधिकृत हो, एसा लाइसेंस, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) किसी ऐसे मामले में जिसकी व्यवस्था धारा ६० में न की गयी हो, धारा ४० के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है; या

(ग) लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करता है या कार्यलोप करता है, जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न दी गयी हो;

उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।"

धारा ६५ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा ६५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

केमिस्ट की दुकान, आदि में उपभोग करने क लिय शास्ति

"६५—(१) यदि कोई केमिस्ट, औषधि विक्रेता, औषधिक (अपोथेकेरी) या कोई औषधालय रखने वाला किसी ऐसा मादक वस्तु को जिसे यथार्थ रूप में औषधीय प्रयोजन के लिये औषधियुक्त न किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके व्यवसाय में सेवायोजित न हो, अपने व्यवसाय के भू-गृहादि में उपभोग किये जाने की अनुज्ञा देता है तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिया जायगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति जो पूर्ववत् प्रकार से सेवायोजित न हो ऐसे भू-गृहादि में किसी ऐसी मादक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे अर्थदण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।"

धारा ६८ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

९—मूल अधिनियम की धारा ६८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"६८—जो व्यक्ति इस अधिनियम के, अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी ऐसे अपराधों के लिये शास्ति आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में जिनकी अन्यथा व्यवस्था न किसी कार्य का या साभिप्राय कार्यलोप का, की गयी हो जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, दोषी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिये अर्थ–दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

धारा ६९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ६९ में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६० के खण्ड (क) या खण्ड (ग) से (ञ) तक के किसी भी खण्ड, धारा ६२, धारा ६३, या धारा ६५ के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में ऐसी अवधि के लिये जो एक माह से कम न होगी, अर्थदण्ड सहित या रहित, कारावास का दण्ड दिया जायगा, और धारा ६० के खण्ड (ख) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध क लिय दोष–सिद्धि की दशा में, ऐसी अवधि के लिये जो छः माह से कम न होगी, अर्थ दण्ड सहित या रहित, कारावास का दण्ड दिया जायगा, जब तक कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत कोई विशेष तथा पर्याप्त कारण न दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा में कोई बात किसी ऐसे अपराध को जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के अध्याय२२ के अधीन सरसरी तौर पर अन्यथा विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने पर रुकावट नहीं डालेगी।"

अधिनियम संख्या ५, १८९८

११—मूल अधिनियम की धारा ६९ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

नयी धारा ६९-क, ६९-ख और ६९-ग का बढ़ाया जाना

"६९—क (१) जब कभी कोई व्यक्ति धारा ६० के खण्ड (ख) खण्ड (ग), खण्ड (ङ), खण्ड (च) या खण्ड (ज) या धारा ६२ के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष हो तो, ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने वाला न्यायालय उसे दण्डादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में, जैसा वह निदेश दे, उक्त उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने से परिवर्तन के लिये, प्रतिभूतियों सहित अथवा बिना प्रतिभूतियों के, ऐसी धनराशि का जो उसके साधनों के अनुपात में हों, एक बन्ध पत्र निष्पादित करें।

कतिपय अपराधों को करने से परिवर्जन के लिये प्रतिभूति की मांग करना

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे बन्ध पत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों पर लागू होंगे मानो कि यह बन्ध पत्र शान्ति बनाये रखने के लिये उक्त संहिता की धारा १०६ क अधीन दिये गये आदेश से निष्पादित बन्ध–पत्र हो।

६९—ख—जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा ११६ में किसी बात के होते हुये भी, दोष सिद्धि पर ऐसे दुष्प्रेरण के लिये वही दण्ड दिया जायगा जो मूल अपराध के लिये उपबन्धित है, चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं ।

दुष्प्रेरण के लिये शास्ति

६९—ग(१) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय उसका व्यवसाय चलाने के लिये कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा:

कम्पनियों द्वारा अपराध

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया तथा अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार का यथोचित परिश्रम किया था ।

(२) उपधारा (१) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग, एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस पर उसकी किसी उपेक्षा के कारण आरोप्य हो तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स अथवा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(ए) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है : और

(बी) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

धारा ७० का संशोधन

१२—मूल अधिनिमय की धारा ७० की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(१) कोई मैजिस्ट्रेट जब तक कि—

(ए) उसकी अपनी जानकारी या सन्देह न हो अथवा किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाय, धारा ६०, धारा ६३ या धारा ६५ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या

(बी) कलेक्टर या उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाय, धारा ६४, धारा ६६, धारा ६७, या धारा ६८ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का,

संज्ञान न करेगा ।"

१३—मूल अधिनियम की धारा ७१-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :

नई धारा ७१—क का बढ़ाया जाना

७१—क—क्षमा, आदि से संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ३३७, ३३९ और ३३९—क के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा ३३७ में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"

अधिनियम संख्या ५, १८९८

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से १३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज मंगल पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी की तरफ से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज द्वितीय (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०*

राजस्व उप मन्त्री (श्री राम किंकर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय । मान्यवर, यह एक छोटा सा सीधा सादा विधेयक है । मान्यवर, १९५८ में सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम बना था जिसे तराई भावर नैनीताल जिले के ८८ गांवों में यह ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके वहां पर जमीन्दारी विनाश अधिनियम, १९५० को लागू करना था । मान्यवर, इसमें बड़ी खामी थी । वह खामियां तीन प्रकार की थीं । इसके अनुसार किसी पट्टेदार या ठेकेदार के पास ज्यादा से ज्यादा ३ एकड़ जमीन रह सकती थी । दूसरी चीज मुआवजे की थी जो सीलिंग ऐक्ट के विपरीत थी । तीसरी चीज जो थी वह यह थी कि ठेकेदारी प्रथा के समाप्त करने के बाद मंशा यह थी कि जमीन्दारी विनाश अधिनियम लागू किया जायगा । लेकिन यह तीनों चीजें पूरी नहीं की जा सकीं । मान्यवर, जिन ८८ गांवों का जिक्र है उनमें से ५३ गांवों में १ जुलाई, १९६५ से इसको लागू किया गया और उसके बाद ३५ गांवों में १ जुलाई, १९६६ से लागू किया गया लेकिन इसी बीच में एक पट्टेदार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की, अधिनियम संविधान के विरुद्ध पाया गया । नतीजा यह हुआ कि यह अवैध घोषित हुआ और उसके बाद जो हमारी १९५८ के अधिनियम की मंशा थी उसको हम लाग नहीं कर सके । इसीलिये इन चीजों को हमने उठाया है और उन जगहों पर जहां ३० एकड़ की बात है वहां पर हम सीलिंग ऐक्ट में जो भी समय-समय पर सीमा निर्धारित होगी उसे हम लागू करेंगे ।

इसके अतिरिक्त जो हेरिडिटरी राइट्स हैं इनको मिलेगा, जो भी राइट्स सीलिंग ऐक्ट में होगा और जो उनके पट्टे में शर्तें हैं, उनके अनुसार लगान के रूप में देना पड़ेगा और वह पूरा किया जायगा । मान्यवर, इन दोषों को यहां पर दूर किया गया है । जब डिमारकेशन की बात आयेगी तो सीलिंग का एरिया जो समय-समय पर निर्धारित होगा उसके अनुसार डिमारकेशन होगा । अगर फालतू जमीन होगी तो सीलिंग के बाद जो जमीन बचेगी उसके लिये मुआविजा देने की बात आयेगी । इसके अतिरिक्त जो जजमेंट, डिगरी और ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले हुये हैं उनको हम इस उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक १९७० के अनुसार जब यह अधिनियम बन जायगा तो हम उसको बरकरार रखेंगे तो उस पर असर नहीं पड़ेगा । इन्हीं सब कारणों से इसको लाने की आवश्यकता पड़ी ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो। (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। नैनीताल जिले का जो तराई का एरिया है वहां पर सारी भूमि सरकारी आस्थान की थी। पिछली गुप्ता सरकार के जमाने में तराई भावर क्षेत्र के सरकारी आस्थान वाले किसानों को भूमिधरी अधिकार वहां पर दिये गये हैं। उस बीच में जैसा कि हमारे राजस्व मन्त्री जी ने कहा लगभग ८८ गांव ऐसे रह गये जिनको बहुत मुद्दत से ठेके पर दिया गया था। उसके लिये उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सन ५८ में एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश की। जिसके अन्तर्गत ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त हो जाय किन्तु उसमें सरकार की ओर से अधिनियम में कुछ विशेष कमी रह गई और उन कमियों में से एक कमी यह रही कि जो मुआविजा फिक्स करने की बात थी वह संविधान को दृष्टिगत रखते हुये उसमें क्षतिपूर्ति की बात का समावेश नहीं हुआ। उस संवैधानिक दिक्कत के कारण गंगासिंह चूड़ामणि जो वहां पर मझोला में एक फार्मर थे उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी, वह अधिनियम ही स्थगित हो गया। उसके साथ-साथ यह भी कारण रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ठेकेदारी मुस्ताजरी वाली भूमि को जबरदस्ती हस्तगत करना चाहती थी। माननीय मंत्री जी आप जब किसी को जमीन देते हैं भूमिधर बनाते हैं तो २० गुना लेते है और आपने प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त की थी तो लगान का १० गुना किसानों से आपने प्राप्त किया तो फिर आप ठेकेदारों या मुस्ताजरों से भूमि जबरदस्ती बिना कुछ दिये कैसे छीन ले रहे हैं तो इसी संदर्भ में हाई कोर्ट ने फैसला किया है। अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी ने उस पर प्रकाश नहीं डाला कि हाई कोर्ट द्वारा उस रिट के सन्दर्भ में क्या फैसला हुआ? यह माननीय मन्त्री जी ने सदन के सन्मुख नहीं रखा। मगर मैं समझता हूं जब माननीय मन्त्री जी पीछे अपना उत्तर भाषण देंग उस समय विस्तार से बतला देंगे कि यह अधिनियम पुनः लाने की क्यों आवश्यकता हुई?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मुस्ताजरी व ठेकेदारी के गांव हैं जिनके लिये माननीय मन्त्री जी ने यह विधेयक पेश किया है इसके अनुसार उन लोगों का क्या होगा जो मुस्ताजरी या ठेकेदारी के अन्तर्गत हजारों किसान हैं। चूंकि जब तमाम सैकड़ों गांव तराई भावर के सरकारी आस्थान के अन्तर्गत भूमिदारी अधिकार में आ गये हैं और सभी काश्तकारों को लगभग भूमिदारी राइट मिल गये हैं तो यह जो लगभग ८०, ९० गांव हैं इनकी बड़ी भारी दिक्कत रह गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री का ध्यान इस विधेयक से आने वाली कठिनाई की तरफ आकर्षित कर दूं। जैसा कि हमने जमींदारी ऐबोलीशन ऐक्ट के लागू होने के दौरान देखा था कि जो होशियार जमींदार थे उन्होंने अपनी अधिक से अधिक निजी भूमि रखने के लिये बहुत प्रकार से तिकड़म की और जो होशियार थे आज भी जमीदार तरीके से है, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन रह गई है। यही बात अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के बाद देखने में आई। अधिकतम जोत सीमा अधिनियम लागू होते ही नैनीताल के तराई भावर या अन्य जिलों में बड़े बड़े फारमरों ने अपनी-अपनी जमीन बीबी बच्चों या निकट सम्बन्धियों के नाम दर्ज करा दी या बेच दी। अभी हाल में चौधरी चरण सिंह ने गैर जिम्मेदाराना घोषणा ३० एकड़ की जोत सीमा की फिर विधान सभा में इन्दिरा कांग्रेस के दबाव में आकर उस घोषणा को वापस ले लिया नतीजा यह हुआ कि अधिक भूमि वालों ने जमीन के बटवारे करना या बेचना शरू कर दिया। चूंकि इस विधेयक को लागू करने की निश्चित तिथि घोषित नहीं है और यह कहा गया कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जानी चाहिये, यह सबसे बड़ी कमी है। यह कहना चाहिये कि इस निश्चित तिथि से इसमें ठेकेदारी के गांव है उनमें ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जायेगी। कौन सा मुआवजा इसमें नियुक्त किया गया? जो हमारे काश्तकार हैं गरीब हैं, कौन सा मुआवजा उनसे लिया

जायगा तथा ठेकेदारों को कौन से रेट से में मुआवजा देय होगा ? ऐसे वहां पर नैनीताल की तराई में बहुत से परिवार हैं जिनको ठेकेदारी के द्वारा यह जमीन मिली है और जो पचासों वर्षों से उस पर काबिज हैं। नैनीताल जिले में सरकारी आस्थान जब से स्थापित हुये तभी से यह ठेकेदारी की प्रथा चली आ रही है। वहां के काश्तकार वहां पर पुश्त दर पुश्त से रहते चले आ रहे हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊं कि वहां पर अधिकांश रूप में थारू और बोक्सा जाति के गरीब मुसलमान व अन्य लोग रहते हैं। वे लोग बहुत ज्यादा सीधे और गरीब हैं और बहुत जल्दी ही ठग लिये जाते हैं। यह जाति बड़ी निर्धन और बहुत ज्यादा सीधी सादी है। हो सकता है कि ठेकेदार या निहित स्वार्थ वाले लोग इसमें भी कुछ तिकड़म करना आरम्भ कर दें और उनकी भूमि को खुद हड़प लें। बहुत से ऐसे लोग भी है जो वहां पर जमीन लेने के लिये बड़ी-बड़ी रकम लगा कर भी जमीन लेना चाहते हैं और उसके लिये वे चेष्टा भी करेंगे। यह लोग इतनी सीधे हैं कि उनकी स्वार्थी चालों में आ जायंगे और इससे उनका बड़ा भारी अहित होगा। मैं राजस्व मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि तुरन्त ही ऐसे आदेश दें कि यह स्थिति पैदा न हो सके। मैं यह तो समझता हूं कि आज विधान सभा इसको पारित तो कर देगी, और इसको पास हो जाना है। मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे तार द्वारा वहां के जिलाधीश को इसकी सूचना भेज दें कि जितन काश्तकार है वे अपनी जगहों पर ही रहें और ठेकेदारों को यह हिदायत दी जाय कि नये व्यक्तियों को य अपने ठेकेदारी ग्राम में कोई भूमि देने की चेष्टा न करें। मैं अपनी भावना और अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अगर उनको १० दिन का भी मौका मिला तो हमारे जो गरीब काश्तकार हैं वे बाहर निकाल दिये जायेंगे। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन कुछ खतरनाक स्वार्थी लोगों का यही स्वार्थ रहता है और व लोग जमीन को ऊंचे से ऊंचे दाम देकर भी ले लेंगे। यदि आप ठेकेदारी या मुस्ताजरी के भीतर गरीब काश्तकार लोगों को जिन्दा रखना चाहते है तो तुरन्त ही इन लोगों को इस अधिनियम में तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाकर संरक्षण दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने यह बात नहीं बताई है कि मंत्री जी ठेकेदार लोगों को क्या मुआवजा देने जा रहे हैं? अगर वह इस बात को स्पष्ट कह देते तो बहुत अच्छा होता। ठेकेदारी के अन्तर्गत जो लोग हैं उनको मौरूसी का हक भूमिधारी अधिकार कैसे मिलेगा ? इस दिशा में भी यदि आप थोड़ा सा स्पष्ट कर देते तो बहुत अच्छा होता। जो काश्तकार हैं वे पुश्तों से हैं, गरीब हैं चाहे वे फिर किसी भी जाति के हों, उनको आप किस प्रकार से सुरक्षण देंगे इस बात को आपको अवश्य ही स्पष्ट कर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा लम्बी बातें नहीं हैं केवल २-३ बाते हैं। राजस्व मंत्री जी इनका स्पष्टीकरण कर दें या जैसा उन्होंने कहा है मुझे कमरे में बुला कर अलग से बात कर लें। अगर मेरी बातों का यहीं निराकरण कर दें तो कमरे में बुलाने की भी जरूरत नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं। जो पट्टेदार हैं इनके लिये भी मेरा यह कहना है कि इनको भी उचित मुआविजा, जो राजस्व मंत्री जी उचित समझें, देना जरूरी है। उस उचित मुआविजे को नहीं देंगे तो यह संविधान के विरुद्ध होगा ही, साथ ही अन्याय भी होगा। हाई कोर्ट के रिट के फैसले की जो बात मैंने कही, मंत्री जी उसका भी स्पष्टीकरण कर दें कि रिट का फैसला होने के बाद जो यह आपने अधिनियम बनाये जाने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके स्पष्ट उद्देश्य व कारण क्या हैं ? अच्छा होता कि माननीय मंत्री जी हाई कोर्ट के रिट के फैसले को भी सदन के पटल पर रख देते।

श्री राम किंकर---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डुंगर सिंह जी का मैं बड़ा आभारी हूं। पहाड़ी इलाकों की परिस्थितियों से वह परिचित हैं। दो तीन सवाल उठाय हैं। हाई कोर्ट की जो

[श्री रामकिंकर]

बात है, जब हाई कोर्ट में कानून अल्ट्रावाइरस हो गया तो सरकार की तरफ से स्पेशल अपील हुई है, उसका निर्णय नहीं हुआ है। दूसरी चीज मुआविजे के सम्बन्ध में है कि कितना देना चाहिये। उचित मुआविजे का भी सुझाव दिया। इसके लिये कानून बना हुआ है। सीलिंग ऐक्ट में भूमि की म रकेट वैल्यू जो कुछ है, उसी के अनुसार दिया जायगा। तीसरी चीज पट्टे की जमीन जिनके पास है, जो शर्तें लिखी हैं उनके अनुसार ही मिलेगा। जो फालतू जमीन होगी, निर्धारित जितनी सीमा होगी उससे जो बाकी बचेगी उसी पर मुआविजा दिया जायगा। १५ दिन के लिये प्रवर समिति में भेजने की बात कही गयी और साथ ही यह भी कहा कि जल्दी से जल्दी कानून लागू कर दिया जाय। हम तो १५ दिन भी इन्तजार नहीं करना चाहते। आज ही आप पास कर दे और फिर काउन्सिल की बैठक में पास हो जाय फिर लागू किया जायगा। जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा २ में गवर्नमेंट को अधिकार है कि नोटीफिकेशन होने के बाद तीन महीने के अन्दर लागू कर दे और जहां पर ठेकेदारी विनाश अधिनियम लागू कर दिया गया है वहां भी तीन महीने के अन्दर कर दिया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को वापस ले लें और इसे पास कर दें।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

मुझे अपने संशोधन को वापस लेने में कोई आपत्ति एक नहीं है, किन्तु बात साफ नहीं हुई। मुआविजे शब्द को किस रूप में लिया गया है ? कम्पेन्सेशन जो होता है जमींदारी उन्मूलन कानून के अनुसार, लैन्ड वैलुएशन की रीति से मुआविजा पट्टेदार को कितना देंगे ? और ठेकेदार या मुस्ताजर से जमीन प्राप्त कर आप ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत के किसानों से भूमिधरी अधिकार देने के लिये किस रेट से मुआवजा लेंगे ? तो आप यह ठेकेदारी और मुस्तजारी प्रथा खत्म करें और जो मुआवजा उसका दे रहे हैं वह ५ गुना तो बहुत कम है जब कि आप काश्तकार से २० गुना लेते हैं। श्रीगंगा सिंह चूड़ामणि ने भी इसी आधार पर एतराज किया था कि दस गुना लगान जब भूमिधरी में लेते है तो हमें आप ५ गुना कैसे दे रहे हैं ? इस विधेयक में लैण्ड वेल्यूएशन का सवाल कहां स्पष्ट हुआ है

दूसरी बात यह कही गई है कि मैंने तो संरक्षण की बात कही है और मुस्ताजिर और ठेकेदारों के अन्तर्गत जो किसान हैं और चूंकि ऐक्ट बनने के बाद फौरन जिलाधीश को हिदायत नहीं करेंगे तो उनके अन्तर्गत जो काश्तकार हैं उनको निहित स्वार्थ वाले लोग तिकड़म से निकालने के लिये बड़ी खुशी के साथ ऊंची कीमत देकर फौरन जमीन पर अपना कब्जा कर लेंगे। आप कहते हैं कि संरक्षण देंगे लेकिन वह कैसे देंगे, ? यह बात स्पष्ट रूप से कहिये।

तीसरी बात यह है कि श्री गंगा सिंह चूड़ामणि जी ने हाई कोर्ट में रिट की थी और आपने सुप्रीम कोर्ट में उस रिट के फैसले के खिलाफ अपील की है। उस अपील के फैसला हुये बिना आपने यह नया विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया है लेकिन इसके पास होने के बाद इसकी भी गति सन ५८ वाले कानून की सी ही तो नहीं हो जायेगी ? इसलिये आप पूरी तस्वीर साफ कर दें। अपील के बाद और एक नये संदर्भ में आप ने यह विधेयक बनाया है तो आप इस सम्बन्ध में जरा स्थिति साफ कर दें।

चौथी बात यह है कि वह किसान जो मुस्ताजिर व ठेकेदारों के अधीन है उनको आप किस प्रकार का संरक्षण देंगे, उनकी कब्जे की भूमि भूमिधरी कब होगी ? या किस-किस स्टेज में होगी ? यह भी आप साफ करें।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आ भारी हूं कि आपने मुझे इस अहम मसले पर बोलन का अवसर दिया। हमारा मिर्जापुर क्षेत्र बहुत से मामलों में पिछड़ा हुआ है। इस समय हमारे राजस्व मंत्री माननीय शर्मा जी बैठे है, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वह फिर इस आसन

पर आ गये हैं। मैं उनसे कहूंगा कि हमारे यहां राबर्ट्सगंज में अभी भी जमींदारी कायम है और वहां के जमींदार आज भी गरीब किसानों का शोषण करते हैं। वह उन को तरह-तरह से बेदखल कर रहे हैं और तीन-तीन बिस्वा जमीन के लिये हाई कोर्ट तक मुकदमे चल रहे है, वहां रिकार्ड आपरेशन भी हो चुके है और तमाम काम किये जा रहे है लेकिन आज तक वहां की जमींदारी समाप्त नहीं हुई है, वह वहां फौरन समाप्त की जाय। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार प्रार्थना की और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने मंत्री जी से कहा कि वहां की जमींदारी शीध्र समाप्त हो जाय लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रोज जमींदार लोग किसी न किसी तरह से किसानों को बेदखल कर रहे हैं और उन पर मुकदमे चलाकर फर्जी रूप से उनको तंग कर रहे हैं। इसी तरह से परगना अगोरी तथा विजयगढ़ में जमींदारी विनाश लागू हुआ बाद में। पहले लागू नहीं किया गया। एकाएक रिकार्ड आपरेशन करके वहां के काश्तकारों की जमीन को वर्ग ४ में लिख कर अब वन विभाग को सौंपा जा रहा है जगकि वहां पर लोगों की मौरूसी जमीनें हैं। वे अब वन विभाग को दी जा रही हैं। जब मंत्री जी राबर्ट्सगंज गये थे तब भी हमने उन स इस संबंध में प्रार्थना की थी लेकिन वहां की जमींदारी समाप्त नहीं हुई। अन्त में मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि राबर्ट्सगंज क्षेत्र की जमींदारी शीघ्र समाप्त की जाय।

*राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं उसके बारे में साफ कहना चाहता हूं कि इसमें जो ठेकेदार लोग हैं या जो मुस्ताजर लोग है उनको जो मुआवजा दिया जायगा वह किसानों से नहीं बल्कि वह सरकार देगी। दूसरी बात यह है कि यह मुआविजा किस आधार से दिया जायगा। मुआविजा जो पहले ऐक्ट हमने बनाया था, उसमें निर्धारित कर दिया था। जैसा उन्होंने बतलाया वह कम था लेकिन अब जो प्राविधान किया जा रहा है वह यह किया जारहा है कि जो मुआविजा सीलिंग ऐक्ट में है जमीन लेने पर दिया जाता है वही इसमें दे रहे हैं। असल में हाई कोर्ट ने इस कानून को अवैध करार दिया इस ग्राउन्ड पर कि इसमें हमने जो सीलिंग रखा था वह ३० एकड़ था जबकि सीलिंग ऐक्ट में वह ४० एकड़ है। तो उनका कहना था कि इसस डिस्क्रिमिनेजन हो रहा है जो कि संविधान के प्राविधानों के विरुद्ध है। तो सीलिंग उतना ही होना चाहिये जितना कि सीलिंग एक्ट में है। अगर उसमें ४० एकड़ है तो यहां पर भी ४० एकड़ ही होना चाहिय और अगर वहां पर कोई परिवर्तन होता तो वही परिवर्तन है तो यहां पर भी लागू होगा। दूसरे जो जमीन बाद में बचेगी, वही ली जायगी। और उस पर मार्किट वैल्यू पर मुआविजा नहीं दिया जायगा बल्कि सीलिंग ऐक्ट में जो मुआविजा है, वह उनको दिया जायगा। यहां पर जो काश्तकार और सीरदारों को दिया जाता है वही उनको दिया जायगा।

तीसरी बात यहां पर उन्होंने कही कि काश्तकारों को कोई हक नहीं होगा, उन्हें निकाल दिया जायगा लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह काश्तकारों के प्रोटेक्शन के लिये ही बनाया गया है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकारी आस्थानों से कोई प्रोटेक्शन नहीं था। वहां पर ठेकेदार मनमानी वसूल करते थे। लेकिन जब यह जमींदारी बिनाश कानून, भूमि व्यवस्था कानून, १९५० इसमें लागू हो जायगा तो व अधिकार काश्तकारों को मिल जायेंगे। एक बात उन्होंने हाई कोर्ट वगैरह की की है। वह तो कानूनी बात है। हमने इन कानून में यह भी प्राविधान किया है कि इसमें कोई कोर्ट में न जा सके। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। तराई भावर का एक ऐसा मसला है जिसमें किसानों को राहत जल्दी से जल्दी जरूरी है, इसलिये हमारी मंशा है कि इसको शीध्रातिशीध्र लागू किया जाय। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को इससे संतोष हो गया होगा और वे अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। इस कानून से तो हाई कोर्ट ने जिन कारणों से इसको अवैध किया था, उनको दूर किया है। यह वैध कानून है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]
इसमें प्राविधान कर दिया गया है जिससे इसे कोर्ट में चेलेंज न किया जा सके। और मैं अपने मित्रों को आश्वस्त करता हूं कि जहां-जहां भी हम लागू कर सकते हैं, करेंगे, चाहे वह मिर्जापुर हो या बलिया जिला हो। पहली जुलाई से हम इसे लागू कर देंगे।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय डुगर सिंह बिष्ट जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि इसको प्रवर समिति के विचारार्थ भेजने वाली कोई आवश्यक बात नहीं है। क्योंकि इसमें जो हाई कोर्ट के एतराजात थे और जैसा मैंने आपको बतलाया वे सब हमने फिर से रिड्राफ्ट कर दिये हैं और बहुत जगह ये लागू कर दिये गये हैं। तराई भावर में देर हो गई है। वहां कुछ गांवों में ६५ में और कुछ में ६६ में किया गया। उसमें हाई कोर्ट का जजमेन्ट हुआ और ६४ से बाद के अबेट कर दिये गये। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य अपना एतराज वापिस ले लें।

श्री डुंगर सिंह बिष्ट---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद प्रवर समिति को सौंपने के अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उ[illegible]स सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण कर दिये हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २ से ६, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधयक, १९७०

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ को कतिपय संशोधनों क साथ पुनः अधिनियमित करन और तद्धीन की गयी कार्यवाही को वैध करने, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१ यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी अस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

२ उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा, २० जून, १९६४ से, निरस्त किया जाता है और धारा ३, ४ तथा ५ में उल्लिखित संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है। २० जून, १९६४ से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५९ का पुनः अधिनियमन

३—मूल अधिनियम की धारा २ के खण्ड (ii) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान धारा २ का पर कामा रख दिया जाय, और तत्पश्चात निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें, संशोधन अर्थात् :—

"और पद 'अधिकतम क्षेत्र' का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० में उसके लिये किया गया हो।"

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित धारा ४ का खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्— संशोधन

"(ख) जहां पट्टे की शर्तों के अधीन तुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि को निजी जोत में ले लिया हो तो पट्टेदार ऐसी भूमि का या जहां ऐसी भूमि अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो तो ऐसी भूमि के उतने भाग का जो उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत किसी अन्य भूमि को मिलाकर अधिकतम क्षेत्र के बराबर हो जाय, मौरूसी काश्तकार हो जायगा और इस रूप में, पट्टे की शर्तों के अनुसार देय लगान क, यदि कोई हो, बराबर या, यथास्थिति अनुपात में लगान का देनदार होगा।"

नयी धारा ६-क तथा ६-ख का बढ़ाया जाना

५ मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

"६—क—पट्टे में सम्मिलित किसी भूमि के सम्बन्ध में जिसे पट्टे की शर्तों के अधीन तथा अनुसार पट्टेदार ने पट्टेदार की निजी जोत के अपनी निजी जोत में ले लिया हो, अधिकतम सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१ का लागू किया जाना क्षेत्र तथा अतिरिक्त क्षेत्र का 'अवधारण तथा सीमांकन, अतिरिक्त क्षेत्र का अर्जन और उस पर कब्जा करना, अतिरिक्त क्षेत्र का अर्जन करने के प्रतिकर का अवधारण और भुगतान, तथा उनसे संबंधित अन्य सभी विषय उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम १९६० के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

६—ख—राज्य सरकार, ऐसे सरकारी आस्थानों पर, जिनके संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सरकारी आस्थानों के संबंध में उ०प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ का लागू किया जाना इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन आज्ञा जारी की जाय, ऐसी आज्ञा के दिनांक से विलम्बतम तीन माह के भीतर, और ऐसे सरकारी आस्थानों पर, जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ होने के पूर्व आज्ञा दी गयी हो या दी जाने के लिये तात्पर्यित हो, ऐसे प्रारम्भ से विलम्बतम तीन माह के भीतर, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २ के अधीन, उस अधिनियम के सम्पूर्ण अथवा किन्हीं उपबन्धों को, अपवाद या परिष्कार सहित, प्रवृत्त करते हुये विज्ञप्ति जारी करेगी।"

वैधीकरण

६—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय डिक्री या आदेश के होते हुये भी अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया या किये जान के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई क्रिया, जिनके अन्तर्गत, विशेष रूप से, उस अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) क अधीन कोई विज्ञप्ति, धारा ३ के अधीन किसी पट्टे का अवसान, या धारा ४ के अधीन किसी लगान या अन्य देयों की वसूली करना, या धारा ६ के अधीन भूमि या पुस्तकों, लेखे या अन्य लेख्यों पर कब्जा करना या उन्हें अपन अवधान में लेना भी है, वैध समझी जायगी और सदैव से वैध होगी माना इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से खंड ६ तक, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम किंकर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी- विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७०†

श्री उपाध्यक्ष—

आपने समय निर्धारित किया था कि चार बजे तक पहला कार्य क्रम चलेगा । उसके बाद अगला कार्य क्रम लिया जायेगा । यदि सदन अनुमति दे तो अगला कार्य क्रम भी ले लिया जाय।

(कोई आपत्ति न होने पर)

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इरादा तो हमारा यह है कि हम जल्द से जल्द चुनाव करा लें । इसके सम्बन्ध में हम यह भी चाहते हैं कि अपने माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करें कि हमारा जो पंचायत ऐक्ट था उसमें संशोधन करें । इसलिये पिछले १० वर्षों में जो कमी महसूस की हो उसमें सुधार किया जा सके । पिछली जो पंचायतें थीं उसमें बड़ी दिक्कतें थीं । कुछ आर्थिक कठिनाइयां थीं, कुछ संगठन सम्बन्धी कठिनाइयां थीं । उनको देखते हुये यह आवश्यक है कि हम कुछ आवश्यक संशोधन करें और संशोधनों में जो महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आयें उन पर भी विचार करें । इस समय तो केवल कार्यकाल बढ़ाने की बात है वह भी तब तक के लिये जब तक कि चुनाव न हो जांय । तब तक के लिये हम चाहत हैं कि क्षेत्र समितियों आदि

---

†३० अप्रैल, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

का कार्यकाल बना रहे। पहले यह सोचा था कि गांव सभाओं को भी भंग कर दें, मगर उनकी तादाद ७२ हजार के करीब है। बहुत से क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं, वे छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं। अगर इन सब को भंग कर देते तो दिक्कत हो सकती थी। इसलिय मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये यह सदन आज्ञा दे।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है---"उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० को जनमत संग्रह के लिये ३ माह तक ग्राम सभाओं में परिचालित किया जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी गांव सभाओं की भी राय जान लें। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जरूरत यूं पड़ी कि जो जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति ऐक्ट था उसकी जगह अब यह गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति विधेयक लाया जा रहा है जिसके द्वारा उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। यह वही स्थिति है जैसी कि किसी आदमी का सर काट दिया जाय और उस सरकटे आदमी को गलतफहमी में यह समझ कर कोई धोता रहे कि वह पुराने शरीर को ही धो रहा है। इस सरकार की भी यही दशा मालूम होती है। मैं मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं, वह मेरे से सहमत न हों तो क्षमा करें, लेकिन जिन विचारों की तहत में जिला परिषदों को तोड़ा उससे मैं सहमत नहीं हूं। कुछ दिन पूर्व आपको मालूम है कि जिला परिषदों को तोड़ा गया। आज भी मंत्री जी ने यह कहा कि वे उनको भी तोड़ने जा रहे थे, मगर तोड़ा नहीं। आप देखें कि इनको क्यों नहीं तोड़ा और जिला परिषदों को क्यों तोड़ा गया? अगर इनका कार्यकाल बढ़ाना था तो जिला परिषदों का भी कार्यकाल बढाया जा सकता था। उस समय जितने तर्क जिला परिषदों को तोड़ने के सिलसिले में दिये गये वे सभी इन पर भी लागू होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों को तोड़ने का कार्य जो किया गया वह राजनीतिक द्वेषों से प्रभावित था। उसके लिये एक अध्यादेश निकला जिसमें कहा गया कि गांव सभाओं की मियाद जुलाई तक रहेगी, लेकिन क्षेत्र समितियों की ४ या ५ मई तक रहेगी। पहले जिला परिषदों को साफ किया, फिर गांव सभाओं और क्षेत्र समितियों में आतंक पैदा किया। इसके पीछे एक कारण मालूम होता है। अभी २६ अप्रैल को विधान परिषद् के लिये चुनाव होने वाले थे। इनको डर था कि कहीं क्षेत्र समितियों के मतदाता प्रभावित न हो जायं। इसलिये सरकार ने उनके लिये ऐसे काम नहीं किया। उनको भंग नहीं किया। अन्यथा पूरा जो कार्यकाल आप बढ़ाने चाहते हैं, उसी में आपन दे दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। उपाध्यक्ष महोदय, तर्क यह दिया गया सरकार की तरफ से कि कुछ आर्थिक कठिनाइयों में यह क्षेत्र समितियां और गांव सभायें हैं। तो श्रीमन्, क्षेत्र समितियों की आमदनी का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदानों पर, सरकारी ग्रान्ट पर जिंदा रहने का एक मात्र स्रोत क्षेत्र समितियों का है। कोई दूसरा स्रोत अभी मुहइया नहीं हो सका है। अगर आपके विचार में यह बात है कि माननीय सदस्यों की राय ली जाये तो जरा उन लोगों से भी पूछ लीजिय जो सचमुच इनका काम करते हैं, जिन्हें काम करना है, उस दिशा में काम करना है। आप अपनी बात उनके पास भेज दीजिये और उनकी राय ले लीजिये कि आर्थिक कठिनाइयों से उद्धार का क्या उपाय है। लेकिन इसका कोई संकेत नहीं मिलता, सिर्फ कार्यकाल बढ़ाने की बात है। आपको क्या दिक्कत है। जब आपने जिला परिषदों को तोड़ा तो आपकी राय दूसरी थी। तो क्या वहज थी कि सरकार ने एक निश्चित बिल यहां नहीं रखा। वस्तु स्थिति साफ है। क्योंकि ज्यों त्यों प्रभावित करने की प्रवृत्ति चली आ रही है, धीरे धीरे क्षेत्र समितियों और गांव सभाओं को परमुखापेक्षी बनाओ, और जब तक गांव सभायें, क्षेत्र समितियां, और जिला परिषदें सरकार की तरफ नहीं देखेंगी तब तक उनका कल्याण नहीं होने वाला है। तो यह बात प्रजातन्त्र की मौलिक विचारधारा के विरुद्ध है। मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

इसलिये भी यह कहना चाहता हूं कि संगठनात्मक ढांचे की बात कही जाती है सरकार की तरफ से। आप क्या रूपरेखा ले आना चाहते हैं, ले आइये, सामने प्रस्तुत कीजिये। आपको रोका किसने है ? लेकिन कहा यह जायेगा कि अगले बिल में ले आयेंगे तब इसको उपस्थित करेंगे। हम चुनाव जल्दी करायेंगे, लेकिन आपको किसने रोका है कि आप जल्दी न करायें लेकिन हमारी उस समय भी यह शंका थी और आज भी है कि जिला परिषदों को तोड़ने का काम और इन क्षेत्र समितियों और गांव सभाओं के बारे में कार्यकाल बढ़ाने के काम, राजनैतिक द्वेष स प्रभावित है। यह कहना कि चुनाव कराने का हमारा इरादा है, समझ में आन वाली बात नहीं है। निश्चित तिथि यदि मुकर्रर हो जाये और उसकी रूपरेखा मालूम हो सक तो ठीक है। जो बात संगठनात्मक ढांच की सरकार क ईराद में है उसे ले आयेंगे तब बात समझ में आती है, लेकिन सरकार का इरादा ऐसा नहीं लगता है। वह इसे लटकाकर रखना चाहती है। वे इस स्थिति में रखना चाहते हैं कि जाने क्या होगा ? कौन-सी क्षेत्र समिति रहेगी और कहां की टूटेगी, कहां की गांव सभा रहेगी और कहां की नहीं रहेगी ? मैं इसे नहीं समझ पाया और इसे समझाने का सरकार की तरफ स प्रयास भी नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं बराबर इस सदन में मेरी और स्वयं संयोग से एक बार आप मेरी दोनों की एक राय थी चौखम्भा राज्य के बारे में। क्या यह परिभाषा बदल जाती है ? मंत्री जी यदि आज घोषणा कर दें कि ग्राम पंचायतों की आर्थिक कठिनाइयां ठीक नहीं हो पा रही हैं, इसलिये वह आज यानी एक मई से प्रत्येक गांव सभा, यदि अधिक नहीं तो एक बटा चार सरकारी मालगुजारी का अंश पायेगी तो मैं समझ लूं कि सरकार का इरादा है गांव पचायतों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने का। मैं तब यह समझ लूं अगर सरकार यही निश्चित कर दे कि सिंचाई रेट जितना वसूल होगा उसका कोई अंश गाँव पंचायतों को दे दिया जायगा। कोई ऐसा पूल बना दे सरकार मेरा सुझाव और मांग है कि गांव सभाओं के पास एक निश्चित धनराशि रहने दी जायगी जिससे गांव सभाएं सिंचाई के मामले में, छोटे-छोटे नलकूप जो आजकल निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लगाये जा रहे हैं, लगाकर गांव पंचायतें स्वावलम्बी बन सकें। अगर यह विचार होता तो बड़ी प्रसन्नता हुई होती। लेकिन नहीं। एकदम धोखा। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने का मृग नहीं हुआ करता, लेकिन रावण ने सोने का मृग भी बनाया था। एकदम जनता की शक्ति उसके प्रजातन्त्र के मनोबल को अपनी तरफ खींच कर लाने का यह प्रयास किया गया है। अगर आप यह तय करके चलिए कि हम गांव पंचायतों का सुधार करेंगे और हमारा यह आधार होगा तो मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं। मुझे शब्द जाल नहीं चाहिए। मुझे जो मशहूर आंसू हैं वे नहीं चाहिए। मुझे अनायास हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए प्रजातांत्रिक नींव इस देश में मजबूत हो। उसकी प्रथम इकाई गांव सभाओं, द्वितीय इकाई क्षेत्र समितियो और जिला परिषदों में अगर निश्चित इरादे के स[illegible] हम लोग यह फैसला कर लें कि उसका सुधार करना है तो हमारे आपके इरादे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है इसका कारण नहीं बताया गया। मेरा निश्चित विचार है कि गांव पंचायतों का सुधार करना आवश्यक है। लेकिन अभी सरकार के दिमाग में गांव पंचायतों के स्वरूप की दिशा निश्चित नहीं है। और अनिश्चित दिशा, अनिश्चित विचार आदमी को न चलने देता है न करने देता है बल्कि वह उस बैल की तरह जिसका चलने का इरादा भी हो पट्टी बंधी होने के कारण घूमता रहता है। आप देखें, कार्यकाल बढ़ा। जो विकास के काम हुआ करते थे गांव सभाओं और क्षेत्र समितियों के माध्यम से सारे अधिकार जिला कलेक्टर में जिला परिषद् क, उनके सदस्यों और समितियों के निहित हो गये। क्षेत्र समिति से जिला परिषद् का चुनाव हुआ करता था। ब्लाक प्रमुख जिला परिषद् का पदेन सदस्य हुआ करता था और उसी दिशा में कदम उठाया करता था जो क्षेत्र समितियों या गांव सभाओं, जिनसे क्षेत्र समितियां बनती थीं, के विकास के लिए आवश्यक हुआ करता था। लेकिन और भी क्या हो जाएगा ? उनका कार्य काल बढ़े भी तो भी

क्या यह उम्मीद की जाय कि कलक्टर उन क्षेत्र समितियों के अध्यक्ष की हैसियत से या जिला परिषद् के सदस्यों की हैसियत से कार्य करेगा जो उन क्षेत्र समितियों के प्रमुख या उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य अपनी-अपनी क्षेत्र समितियों के सिलसिले में विकास के कार्यों में रुचि लेकर कार्य किया करते थे, यह संभव नहीं है । हमारा निश्चित मत है कि इससे विकास का कार्य पीछे हटगा क्योंकि विकास के कार्य बहुधा उन्हीं लोगों के सुपुर्द थे । कौन सी प्रणाली आपने इसकी जगह रखी इसका कोई इशारा आपने इसमें नहीं किया है । इस अंक की जगह यह अंक और इस शब्द की जगह यह शब्द रखने की कला जो सरकारों मे होती है उस कला का यह प्रदर्शन मात्र है । परिणाम यह निकलता है कि यह विधेयक गांव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के विकास में बाधक सिद्ध होगा । क्या चौखम्भे राज्य का यह अर्थ होगा जब चाहो मियाद बढ़ा दो, जब चाहो घटा दो, जैसा चाह करते रहो । संविधान में पंचायत राज्य की कल्पना है । उस इरादे तक पहुंचने के लिये सरकार का इरादा मालूम नहीं होता, कैसे क्या वह करेगी ? आखिर कैसा राज्य वह बनाना चाहती है ? अगर मैं भूल नहीं रहा हूं और भूलता हूं तो कोई माननीय सदस्य मुझे याद दिला देंगे मैं अपनी राय बदल दूंगा ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि झगड़े ज्यादा बढ़ गये हैं इन चुनावों की वजह से । गांव सभाओं में अगर चुनाव की वजह से झगड़े ज्यादा बढ़ गये तो क्या विधान सभा के चुनावों में झगड़े कम हुए ? कौन ऐसा विधान सभा का सदस्य है जो कह सकेगा कि इन चुनावों की वजह से गांवों में कुछ दलों की बढ़ोत्तरी नहीं हुई ? गांव पंचायतों के चुनावों में ५० फीसदी से ज्यादा नहीं तो कुछ कम ही सही, २० फीसदी उदाहरण के लिये मान लें निर्विरोध चुनाव हुआ करते हैं लेकिन विधान सभा के चुनाव निर्विरोध कितने हुए ? अ सत शायद ४, ५ उम्मीदवार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का पड़ जायगा । इसका क्या मतलब है ? दलीय पद्धति है तो दल गांव में जायंगे । अगर गांव सभाओं का चुनाव होगा तो प्रत्येक बालिग को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह चुनाव मे हिस्सा ले। लेकिन जब यह कहा जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि उस मूलभूत विचार और अधिकार के विरुद्ध यह कोई साजिश है । उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो, कलेक्टरों को अधिकार न दिये जायं इसकी चर्चा अनेक बार इस सदन में हुई ।

जिला कलक्टर तो किसी न किसी शक्ल में आ जाते हैं फिर भी अगर जनतांत्रिक प्रणाली को विकसित करने की बात है, शासन के विकेन्द्रीकरण करने की बात है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी लेखपाल सभापति की बात नहीं सुनता जिसकी एन्ट्री का एक फार्म होता है उसके इन्तखाब के लिये ये लोग देर लगाया करते हैं और इसलिये सरकार ने फैसला किया है कि पासबुक की शक्ल में लोगों को उनकी जोत का एक मुस्तकिल पासबुक दे दी जाय--एक जोत बही । लेकिन क्या हर्ज है लेखपालों को आप गांव सभाओं के अन्तर्गत क्यों नहीं करते यदि उनका रहना जरूरी है । आप उनको शासन के लिये आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिये जो कहते हैं उसके लिये कोई निश्चित कदम क्यों नहीं उठाते और विकेन्द्रीकरण का एक निश्चित विचार क्यों सामने नहीं रखा जाता । कानूनगो मातहत नहीं है । क्षेत्र समिति के ए० डी० ओ० एनिमल हस्बैन्ड्री तथा ए०डी०ओ० एग्रिकल्चर है लेकिन कानूनगो उसको परिधि के बाहर है । क्यों नहीं कानूनगो को उसकी क्षेत्र समिति की सीमा के अन्दर लाने का प्रयास करते ? उसके ऊपर हुक्म चलेगा तहसीलदार का । जितने अफसरों को क्षेत्र समिति की मीटिंगों में उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित नहीं हुआ करते । आप अगर अपने विचार के अन्दर यह बात लायें कि जो अधिकारी बिना समुचित कारण बताये क्षेत्र समिति की बैठकों में नहीं उपस्थित हुआ करेगा उसको दण्डित किया जायेगा । किन्तु आज हालत यह है कि चलना कहां चाहिए इसका कोई इरादा मालूम नहीं होता ।

एक बात और आवश्यक हो जाती है कि आज वोट देना ही सिर्फ प्रजातंत्र नहीं है, वोट लेना ही सिर्फ प्रजातंत्र नहीं है, सिर्फ दल बदलना ही प्रजातंत्र नहीं है बल्कि उसके लिये उचित आचरण

[श्री कल्पनाथ सिंह]

हो और वह भी प्रजातांत्रिक रूप से हो उसको जनता के लिये सचेत किया जाय और उसके आचरण से सभी लोग, फलें, फूलें और पनपें । जोकि एक प्रजातंत्र का सही अर्थ होता है । ऐसी दशा में कोई भी पहलकदमी हो नहीं सकती और न हो रही है तो क्या सिर्फ जिला परिषदों को भंग कर देने मात्र से इस मर्ज की दवा निकाली जा सकती है। शिकायत यह भी थी कि बहुत से जिला परिषदों के अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें हैं तो क्या अगर वह तर्क मान लिया जाय तो श्रीमन् कोई नहीं बचेगा जिसके विरुद्ध कि शिकायत न हो । स्थिति क्या है । मैं इस मनोभावना को बढ़ावा देना चाहता हूं जो प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है इसलिये जिला परिषदों को तोड़ा गया अन्यथा जिला परिषदों को तोड़ने की क्या जरूरत है । जिला परिषदों को तोड़ कर क्षेत्र समितियों को आप रखना चाहते थे तो दोनों बिल आप एक साथ ले आते और आप कहते कि गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है । प्रदेश के विकास के बारे में बीच में ही एक यह बात चल गयी कि इसके लिये दिल्ली जिम्मेदार है या इस प्रदेश की सरकार । कोई हो, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन यह बात सही है कि यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है । यह निर्विवाद सत्य है । इस प्रदेश के विकास की बात कहकर यह उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को एक दम ऐसी दृष्टि से अपनी तरफ दिखवाना चाहती है, जिसको ललचाई हुई आंख कहते हैं । उसका कारण यह है कि सरकार चाहती है कि उसका रुतबा जनता की दृष्टि में बढ़े तथा इस शासन के बारे में लोगों की दृष्टि यह रहे कि जब तक शासन नहीं चाहेगा तब तक विकास नहीं होगा ।

यहां पर पूर्वी, बुन्देलखंड और पहाड़ी जिलों की बहुत चर्चा हुई । उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उनकी गांव पंचायतों को आपने अधिकार क्यों नहीं दे दिया । आप उनकी बनायी रूपरेखा को क्यों नहीं मानते हैं ? क्यों नहीं आप प्रत्येक गांव समाज और क्षेत्र समिति से पूछ लेते कि आपके यहां सिंचाई के साधनों की प्रगति की रूपरेखा क्या होगी । कितने दिनों में क्षेत्र समितियां, जिला परिषद् या पंचायतें उनको सिंचित बना सकेंगी । लेकिन आपने तो तय यह कर दिया है कि विकास वहां से नहीं होगा । जहां पर आबादी का बोझा ज्यादा है अथवा पेय जल की समस्या है जैसा कि शंभूनाथ चौधरी ने कल बतलाया था । जब वे पेय जल की बात कर रहे थे, तो मामला ज्यादा बढ़ गया । यह तो आप जानते ही हैं कि बुन्देलखंड के जिलों, इलाहाबाद, बलिया, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर और आजमगढ़ जिलों में गर्मी के दिनों में पेय जल की समस्या हो जाती है । लेकिन एक निश्चित उद्देश्य से आप इसको करते नहीं हैं । सरकार ने एक पेय जल की योजना बनायी थी उसमें था कि सरकार उनको बनाये और जिला परिषद् उनकी देखभाल करें । इसके लिये उनको अनुदान दिया जायगा । लेकिन उस बारे में स्थिति क्या है, कोई स्पष्ट नक्शा हमारे सामने नहीं आया और जब सामने आया तो जिला परिषदों को तोड़कर समाप्त कर दिया गया । अब आप बतायें कि उन ग्रामीण पेय जल योजनाओं का क्या होगा जो जिला परिषद् आज के पूर्व प्रस्ताव कर चुके हैं अथवा जिनके जिम्मे आप यह काम सौंपते थे या सौंपने वाले थे ।

बेरोजगारी मिटाने के लिये क्या करने वाले हैं, कोई पक्का इरादा नहीं । सिर्फ सरकारी नौकरियों के माध्यम से कभी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती । छोटे छोटे गृह उद्योग पनपाने होंगे । उधर इरादा नहीं है क्योंकि यह कह दिया जायगा कि ये सबके सब बेईमान हैं । अरे बाबा, जिनको आप ईमानदार समझते हो उन्हीं को ले आओ । कोई व्यवस्था तो लाओ । इस प्रश्न का कोई हल तो खोजो । अगर ऐसा नहीं कर सके तो इरादा क्या है ? सिर्फ तीन, चार शब्द सरकार की तरफ से कहे गये कि उनकी कठिनाइयां हैं । कठिनाइयां हैं, ठीक है, लेकिन उन कठिनाइओं के निराकरण के लिये आपके सुझाव क्या हैं । नदारद । उद्देश्य और कारण में कहा गया कि राज्य सरकार ने जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों तथा गांव पंचायतों के संगठन तथा कृत्यों का पुनर्विचार करने का निर्णय लिया । तो जो पुनर्विचार करने का निर्णय है उनके मुद्दे क्या-क्या हैं ? किस आधार पर पुनर्विचार होगा ? उन आधारों को जरा गांव सभाओं में, क्षेत्र समितियों में भेज दीजिये ताकि इनकी राय आ जाय और यह मालूम हो जाय

कि आपके विचारों और उनके विचारों में कोई तालमेल है या नहीं। लेकिन नहीं। आप तो उस रफ्तार से चलना चाहते हैं जैसे कोई बड़ा मंत्री चुनाव भाषण करने के लिये हैलीकाप्टर से जाता है और जनता को ले जाना चाहता है उस बैलगाड़ी की रफ्तार से जिसका बैल भी खाये बिना दुबला-पतला मरियल जैसा है। इन दोनों रफ्तारों में कहां तालमेल होने वाला है। इनका विश्वास नहीं है कि जनता के हाथ में हुकूमत सौंपी जाय। विकेन्द्रीकरण से विश्वास उठा हुआ है और अफसरशाही पर विश्वास बैठा हुआ है और सिर्फ अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिये ये सारे कृत्य हो रहे हैं। गांव पंचायतों की दशा आप जानते है। उनको कोई इज्जत का रुतबा नहीं मिलता। गांव पंचायत के सभापति और उनके सदस्यों की शिकायत यह है कि सेक्रेटरी जाता है, लेखपाल जाता है, कानूनगो की तो बात ही छोड़ दें, तो कहता है, 'ए 'प्रधान''। अगर कहीं कोई ठाकुर साहब या पंडितजी प्रधान हुए तो जरूर उनको ठाकुर साहब या पंडितजी की संज्ञा देंगे लेकिन अगर कोई हरिजन प्रधान हुआ तो अपनी बोली में कहते हैं "ए सुनो जरा"। व्यवहार ऐसा होता है कि वह बैठेंगे चारपाई पर और प्रधान जी बैठेंगे नीचे। इस तरह से प्रजातंत्र चलेगा? मंत्री जी यकीन करें मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं। इतना जरूर है कि संयोग से अगर यह मुहकमा आपके पास आया, आपको तजुर्बा है राष्ट्रीय आंदोलन का। आपकी एक बड़ी भारी जिन्दगी है। मैं तो उसके मुकाबले में सामने नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पंचायती राज का सपना पूरा करना है अगर लोगों में समता का भाव पैदा अगर सचमुच समाजवाद की तरफ जाने का आपका इरादा है तो मेहरबानी करके समाज में इस कोढ़ को भी काटने की जरूरत होगी—जो हमारे अन्दर ऊंच-नीच, छोटे-बड़े के रूप में पैदा है और यह भी कटेगा तब, जब नीचे से उसकी व्यवस्था होगी। वरना ग्राम सेवक ऊपर बैठे और प्रधान जी नीचे बैठें यह हिम्मत कैसे हो सकती है। वह जानते हैं कि प्रधान जी कुछ नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखल उनका नहीं। और अगर क्षेत्र समिति के अन्तर्गत कोई बात आती है तो आज जिला परिषद तो बनी नहीं हैं कि उनके माध्यम से दो-चार सवाल कर लेंगे अथवा प्लानिंग अफसर या दूसरे अधिकारी हैं वह उत्तरदायी होंगे, यह भी मौका नहीं दिया। आपने स्वतंत्र कर दिया उन लोगों को जो हमारे विकास के रास्ते में बाधक थे, जिनके ऊपर नियत्रंण लगा हुआ था और इस नियत्रंण को ढीला करके आपने अफसरशाही को मजबूत करने की चेष्टा की। कदापि-कदापि मैं अफसर-शाही का समर्थन नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि कोई अन्तर नहीं आता। चीफ सेक्रेटरी ने साल भर शासन चलाया, फिर मेरे, आपके, मंत्री लोगों के सरकार में आने की क्या जरूरत है?

मैं क्यों कहा करता हूं कि विधान सभाओं को अधिक से अधिक चलना चाहिये। एक प्रस्ताव दिया रामचन्द्र विकल जी ने कि विधान सभा इतने दिन अवश्य चला करे, और वह पास हुआ। यहां सवाल पूछे जाते हैं और सरकार माने या न माने, लेकिन रात को मंत्री जी सोच लेंगे कि क्या प्रश्नों से उनकी स्वयं की कमजोरी पर उसके सरकारी अफसरों पर जो नीतियां वितरित होती हैं उन पर नियंत्रण लगाने का विधान सभा माध्यम नहीं है। तो फिर जिला परिषद भी जिला स्तर के लिए माध्यम हैं। मेरा कहना है कि उतने अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे जितने कि उनको होने चाहिये थे, लेकिन जो कुछ भी प्राप्त थे उनको भी आपने साफ किया। क्यों? साल भर तक इस प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन के नाम पर चीफ सेक्रेटरी शासन था और आज स्वयं यहां मंत्री लोग महसूस करेंगे कि उनका घोड़ा कुछ पहले से अधिक बे लगाम हो रहा है। ये उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि उसने मजा चख लिया है एक साल जनता के प्रतिनिधियों से भिन्न शासन करने का। दोषी कौन थे, कौन नहीं थे, मैं उस पचड़े में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक वस्तुस्थिति है।

आज जिला परिषदों को समाप्त करने से, जो अधिकार उनको प्राप्त थे उनको उससे वंचित करने से नई शक्ल पैदा हो गई है। श्रीमन्, मुझे खुद खुशी है कि मुख्य मंत्री जी भी तशरीफ ले आये और प्रसन्न मुद्रा में, ऐसा मुझे मालूम होता है और मैं ऐसा समझता हू श्रीमन्, कि इस प्रसन्न मुद्रा का लाभ इस प्रदेश की जनता को अवश्य होगा। जिस समय वे आये और

[श्री कल्पनाथ सिंह]

मुख्य मंत्री का पद ग्रहण किया उस समय गुस्से की मुद्रा में थे जिससे आत ही आत उन्होंन आई०जी० को हटाया और सारी जिला परिषदों के अध्यक्षों को हटाया । शायद अब उनकी मुद्रा बदल गई है। अगर उनकी निन्दा करते हैं तो आप जिला परिषदों की भी निन्दा कर द । सारे लोग समझ लेंगे कि मरते को उनमें जिन्दा करने की शक्ति है, यही नहीं है कि जिन्दा को मुर्दा कर दें । पंचायाती राज के ढांचे में मेरा विश्वास है कि सच्चाई और सिद्धांत की बात जो होती है उसको करते हैं। व्यवहार में आने वाली जो बात हो उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो, एक प्रस्ताव प्रवर समिति का आने वाला है वह कबूल करके बैठिये और विचार कीजिये । लेकिन यह संभव तब होगा जब मेहरबानी करके जो आपने अध्यादेश जारी किया है, वह तो रहेगा ही, उसको भी वापस कर लिया जायेगा, आपकी जो रूपरेखा है क्षेत्र समितियों को और जिला समितियों को संचालित करने की उस रूपरेखा को सामने ले आवें और जो दूसरा बिल लाना चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी ले आवें और उसे प्रवर समिति को सौंप दें या अगर अलग से कोई समिति बनाना चाहते हैं तो वह उस पर विचार कर लें और फिर आपको दे दें । जब आपको सब विचार देखने को मिल जायेंगे तब शायद विरोध करने की नौबत नहीं आयेगी । मैं मंत्री जी का भाषण सुन रहा था और सोचता था कि मत्री जी कोई खास बात कहेंगे । अगर उन्होंने यह कहा होता कि मेरा इरादा यह है, आगे चलने का इरादा जाहिर किया होता और उनमें पंचायतों को एक ऐसा रूप देने का इरादा होता जिससे जनता का कष्ट दूर होता, उसके विकास कार्यों में मदद मिलती, उसके सिंचाई के साधनों में बढोत्तरी होती और जो बेकारी की समस्या हमारे यहां पैदा हो गई है वह दूर होती तो बात कुछ समझ में आती । यहां विकास कार्य ऊपर से न चल कर नीचे से चलते, छोटे-छोटे कार्य जिनका संबंध क्षेत्र समितियों से है, जिनका ताल्लुक जिला परिषदों से है, यदि इस प्रकार की बात होती, श्रीमन्, मैं बड़े-बड़े प्लान्ट्स की बात नहीं कह रहा हूं, मैं भिलाई में प्लांट बैठाया जाय यह नहीं कह रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गोरखपुर में फर्टीलाइजर कारपोरेशन बनाया जाय क्योंकि यह केंद्र का विषय है, मैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जो रोजमर्रा की काम में आने वाली चीजें हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान ले जाना चाहता था । महोदय, आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर ले लाना चाहता हूं कि अगर सचमुच आपको एक नई दिशा देनी है तो वह रूपरेखा सामने ले आइये और मैं उन लोगों में से हूगा जो मुक्त कंठ से आपकी प्रसंशा करेंगे । यह मत समझिये कि उसका भी मैं विरोध करूंगा । मैं जो कह रहा हूं मुक्त कंठ से आपकी प्रसंसा करूंगा कि आप जनता की भावना के अनुकूल बिल ले आये । आप इसमे जल्दी करें । सारे काम तो आप जल्दी-जल्दी करते हैं तो इसके लिये इतनी देरी करने की क्या जरूरत है लेकिन हमको आपके इरादे में शक मालूम होता है । आप उस स्थान पर जाना नहीं चाहते और नौकरशाही को बढावा देना चाहते हैं और मान्यवर, यह चुनाव कराने के लिए भी आवश्य है कि पुनर्विचार कर लिया जाय । वोटर लिस्टें तैयार हैं, अभी पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव हुए हैं और इसी गरमी में हुये हैं । दिक्कत क्या है आपको चुनाव कराने में ? पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है, असेम्बली का चुनाव हो सकता है इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको लम्बी अवधि चाहिये क्योंकि आपका इरादा ही निश्चित नहीं है। श्रीमन्, आपसे मतलब सरकार का है और आपसे नहीं है । श्रीमन्, सरकार का इरादा इसलिये नहीं है कि वह चुनाव के नाम पर लम्बी अवधि तक सरकारी अधिकारियों को छूट देना चाहती है। मान्यवर, मैं सरकार के इस कृत्य का जिसमें उन्होंने कटे हुए आदमी के धड़ को चलाने की कोशिश की है, सिर गायब है और शरीर चलता रहे, लोग यह समझेंगे कि यह राक्षस है । इस तरह देखकर डर लगने लगता है । श्रीमन्, कभी रात में या दिन में आप स्वय देख लें कि आदमी का सर कटा हुआ है और वह चलता है तो कहेंगे कि वह भूत है । श्रीमन्, इतना ही नहीं आप यकीन मानिये लोग यही समझेंगे ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण जारी रखें साढे चार बजे से।

आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुयी थी जिसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है। उसे सर्वश्री सुख पाल पांडे एवं रामकरन सिंह ने एक मई को किसान मजदूर दिवस मनाने के संबंध में दिया था। कुछ लोग विरोध में सदन छोड़कर चले गये कि हम लोग एक मई को काम कर रहे हैं। दूसरा ५१ का जो मैंने स्वीकार किया था उसके ऊपर विचार होगा। राजकीय सैनिक स्कूल की छंटनी के संबंध में श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा नियम ५१ के द्वारा दी गई सूचना पर मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह तो मान्यवर, अभी होगा ही। आज जो आपने स्वीकार किया है उसके बारे में सूचना दे दें जिसे आपने बयान के लिए या जैसा स्वीकार किया हो।

श्री अध्यक्ष—

एक ५२ का था जिसे मैंने ५१ में स्वीकार किया है और उसके बारे में मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे अगले हफ्ते किसी वक्त। यह सर्वश्री करन सिंह, कृष्ण कांत अवस्थी तथा राम प्रसाद जी का है। इसके बाद श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्यामलाल कनोजिया का है स्टेट आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों के संबंध में मैंने इसको स्वास्थ्य मंत्री के पास केवल वक्तव्य के लिए भेजा है। श्री नित्यानन्द स्वामी ने जिला देहरादून में कानून और शांति की व्यवस्था के बारे में दिया है जिसे मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है यह भी अगले हफ्ते में दे दिया जायगा। इसके बाद श्री हुकुम सिंह परिहार का आगरा में भीषण अग्निकांड के संबंध में है। इस पर मैंने कहा कि आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जिस गांव में यह आग लगी है उसमें २ आदमी जिन्दा जल गये हैं। एक लड़की जल गई है। ८, १० आदमी इस समय अस्पताल में पड़े हुये हैं जिनकी दशा बहुत गम्भीर है। श्रीमन्, हजारों मन गल्ला और हजारों के नोट जल गये हैं। जिन लोगों के घर जल गये हैं उनके पास ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं रह गया है। इसलिये इस गम्भीर दशा में कवल यह कहना कि उस पर प्रश्न पूंछ लिये जायं पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का मतलब यह होता है कि कुछ नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी से आप इस पर वक्तव्य दिला दें तो अधिकारियों का ध्यान उधर जायगा। तब कुछ कार्यवाही हो सकती है।

श्री अध्यक्ष

आप केवल वक्तव्य चाहते है तो मैं दिला दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उस सुल्तानपुर वाले का क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो इस पर वक्तव्य होने दें। यह भी आपका ही है।

राजकीय सैनिक स्कूल के १२ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

सदन को विदित है कि उत्तर प्रदेश के नवयुवकों को सेना में अधिकारी पदों (Commissioned Ranks) के लिये तैयार करने के लिय लखनऊ के पास सरोजनी नगर में एक सैनिक स्कूल की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष १९६० में की गयी। तब से यह स्कूल

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

प्रगति कर रहा है तथा इस समय इसमें २०० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । मुझे सदन को यह सूचित करते हुये खेद होता है कि पिछले कुछ महीनों से स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुछ बाहरी तत्वों के बहकाये जाने पर वहां एक यूनियन बनाये जाने का प्रयास कर रहे हैं । जनवरी, १९७० में सैनिक स्कूल के लेबोरेटरी अटेण्डेण्ट, श्री द्वारिका सिंह ने स्कूल के अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एक मीटिंग बुलाई और एक क्लब के गठन पर विचार किया गया । उक्त कार्य के लिये प्रत्येक कर्मचारी से ५ ₹० चन्दा भी वसूल किया गया । इसी बीच श्री द्वारिका सिंह ने कुछ अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ समाचार पत्रों में यह सूचना दी कि वह स्कूल में एक यूनियन का गठन कर रहे हैं तथा यह यूनियन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध होगी । जब स्कूल के प्रधानाचार्य को इन गतिविधियों का पता लगा तो उन्होंने १८ फरवरी, १९७० को स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एक सभा बुलाई। उक्त सभा में प्रधानाचार्य के यह बताया गया कि स्कूल में किसी प्रकार की यूनियन संगठित करने का प्रश्न नहीं है तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल एक स्टाफ क्लब का गठन कर रहे हैं। इस पर प्रधानाचार्य ने कर्मचारियों को उनके मनोरंजन के लिये एक कमरा एलाट कर दिया परन्तु इसके अगले ही दिन स्कूल के वोटिंग क्लब के पास सायंकाल ५ बजे श्री द्वारिका सिंह द्वारा एक सभा का आयोजन घोषित किया गया । उक्त सभा में श्री नित्यानन्द स्वामी, एम०एल० ए० को भी भाषण देना था, पर प्रधानाचार्य ने श्री द्वारिका सिंह को बुला कर उन्हें चेतावनी दी कि उनकी पूर्व अनुमति के बिना स्कूल के अन्दर किसी बाहरी आदमी द्वारा कोई सभा संबोधित नहीं की जा सकती इस पर श्री द्वारिका सिंह इस बात पर सहमत हो गये कि ऐसी कोई सभा आयोजित नहीं की जायेगी । प्रधानाचार्य को यह सूचना मिली कि उसी रात स्कूल के पास गौरी गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था तथा उस सभा में श्री शारदा बक्स सिंह, छेदा सिंह और तेज भान सिंह ने भाषण दिये और स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कमचारियों से यूनियन बनाने को कहा । अगले दिन (१९-२-१९७०) प्रधानाचार्य ने स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बुला कर उन्हें बताया कि यदि वे किसी यूनियन का संगठन करना चाहते हैं तो वे इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दें जिसे व सोसाइटी के उच्च अधिकारियों के पास आदेशार्थ भेज सकें । प्रधानाचार्य ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह भी बताया कि यदि उन्होंने उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बगैर किसी यूनियन का संगठन किया तो वह यूनियन अवैध होगी और उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा ।

इस बात के कुछ दिन बाद "स्वतंत्र भारत" समाचार पत्र दिनांक ७ मार्च, १९७० में सैनिक स्कूल में उत्तर प्रदेश विद्यालय कर्मचारी संघ की सैनिक स्कूल शाखा के गठन का समाचार छपा तथा उक्त संघ के ११ पदाधिकारियों के नाम भी छपे । इस पर प्रधानाचार्य ने सैनिक स्कूल सोसाइटी को वस्तुस्थिति से सूचित किया । इस पर सैनिक स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष ने स्कूल के गठित किये गये तथा कथित कर्मचारी संघ के ११ पदाधिकारियों को सेवामुक्त करने के आदेश दिये । उक्त ११ पदाधिकारियों के अलावा एक अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री सुधीर कुमार, जिन्होंने संघ के गठन में सक्रिय भाग लिया , को भी सेवामुक्त कर दिया गया । प्रधानाचार्य ने स्कूल के अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह बताया कि सैनिक स्कूल जैसी संस्था में अनुशासन को बनाये रखना आवश्यक है । स्कूल के सेवामुक्त कर्मचारियों ने अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन किया तथा अगले दिन (८-८-७०) से ही स्कूल में आंशिक हड़ताल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा की गयी । स्कूल के सामने लाउडस्पीकर लगाया गया तथा राजनैतिक नेताओं द्वारा भाषण दिये गये । उक्त हड़ताल से स्कूल के अध्यापन कार्य में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा तथा स्कूल के अध्यापकों, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों तथा करीब २५ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायता से स्कूल के कार्य को जारी रखा गया । इस हड़ताल से विद्यार्थियों के खाने पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा ।

हड़ताली कर्मचारियों द्वारा स्कूल के अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, जो हड़ताल में शामिल नहीं हुये थे, डराने-धमकाने के प्रयत्न भी किये गये । ७ अप्रैल, १९७० को स्कूल के सेवामुक्त

कर्मचारी हिंसा पर तुल आये तथा कृष्णा नगर पुलिस थाने के आफिसर इंचार्ज ने उक्त कर्मचारियों को हिरासत म ले लिया जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। सेवामुक्त कर्मचारियों से ५ क्वार्टर भी खाली करा लिये गये। अभी तीन और क्वार्टरों का खाली कराया जाना बाकी है।

अभी तक स्कूल के ५८ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या १०६ है। हड़ताली कर्मचारियों द्वारा स्कूल के गेट के सामने धरना भी दिया गया। यह कार्यक्रम २७ अप्रैल तक चलता रहा। २८ अप्रैल की प्रात: को इन कर्मचारियों को श्री राम नरेश, सदस्य, विधान परिषद ने सम्बोधित किया तथा इसके बाद वे विधान भवन की तरफ आ गय। एसी सूचना प्राप्त हुई ह कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों मे से दो कर्मचारी सर्वश्री द्वारिका सिंह तथा मथुरा दत जोशी २८-४-७० से अनशन शुरू करने वाले थे। हड़ताली कर्मचारियों में से एक कर्मचारी २७ अप्रल को सेवा पर वापस आ गया तथा उसने लिखित क्षमायाचना भी की ह।

सैनिक स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां प्रदेश के विद्यार्थियों को सेना में भर्ती होने के लिए तैयार किया जाता है ऐसी संस्था में किसी प्रकार की ट्रेड यूनियन गतिविधियों से स्कूल के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़न की आशंका है। अत: ऐसे किसी प्रकार के संगठन से वहाँ बनना वाँछनीय नहीं है। वर्ष १९६७ मे बिहार में तिलया नामक स्थान पर स्थित सैनिक स्कूल में कर्मचारियों द्वारा एक संगठन बनाये जाने का प्रयास किया गया था परन्तु भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी ने यह निदेश दिये थे कि सैनिक स्कूल में ऐसे किसी संगठन के लिय कोई स्थान नहीं है।

सैनिक स्कूल कर्मचारियों की मांगें निम्नलिखित हैं तथा हर मांग के बारे म स्थिति उसके सामने स्पष्ट की गई है।

मांगें	
१--विद्यालय क गर शिक्षक कर्मचारियों से चौदह से सोहल घंटे काम लिया जाता है। उनकी मांग है कि काम के घंटे या तो कम किये जायें या अतिरिक्त काम का अतिरिक्त पैसा दिया जाय।	चतुर्थ श्रणी कर्मचारियों से स्कूल में आठ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाता है। कभी-कभी विशेष परिस्थितियों क कुछ कर्मचारियों का कार्य समय अवश्य बढ़ जाता है। अन्य सैनिक स्कूलों में चतुर्थ श्रणी कर्मचारियों को १२ घंटे तक कार्य करना पड़ता है। सैनिक स्कूल, लखनऊ में कर्मचारियों को मकान, बिजली (एक प्वाइन्ट) तथा जल आदि की सुविधायें नि:शुल्क उपलब्ध ह।
२--विद्यालय के कर्मचारियों के लिए कोई भी सेवा नियमावली नहीं है। अत: उनकी मांग ह कि उपयुक्त सेवा नियम का निर्माण हो।	सैनिक स्कूल कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावालियों पर विचार किया जा रहा ह तथा उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायगा।
३--कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी के अलावा त्यौहार या अन्य घोषित छुट्टी भी नहीं दी जाती। केवल उसे रजिस्टर पर चढ़ा अवश्य दिया जाता है।	सैनिक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश तो दिया ही जाता है विशेष त्यौहारों पर छुट्टी दी जाती है। अन्य सैनिक स्कूलों में अवकाश की इतनी सुविधायें प्राप्त नहीं है।
४--ग्रीष्म अवकाश भी कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है इस भी दिलाया जाय।	ग्रीष्म व शीतकालीन अवकाश जो कि वर्ष में लगभग तीन माह का होता है केवल शक्षिक कर्मचारियों को ही दय है। यह अवकाश चतुर्थ श्रणी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता तथा उन्हें कवल एक माह का उपार्जित अवकाश ही दय है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिन १२ कर्मचारियों को केवल इसलिये निकाल दिया गया कि वह एक ट्रेड यूनियन वहां पर बना रहे थे, उनको कोई नोटिस दिया गया कि तुमने क्यों यूनियन बनाई, कोई उनका जवाब तलब किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उन्हें एक महीने का वेतन दे दिया गया और सेवानिवृत्त कर दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा प्रश्न यह नहीं है। यह प्रश्न तो तब उठता है जब कोई टैम्पोरेरी सर्विस का आदमी हो और उसे हटाना हो। ये ६-६ और ८-८ साल के कर्मचारी हैं। उनको दोषारोपण करके निकाला गया है कि एक यूनियन संगठित की। कर्मचारियों का कहना है कि वह कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात का कोई नोटिस दिया गया कि क्यों यूनियन गठित की और उसके बाद निर्णय लिया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

सवाल यह है कि क्या वह कन्फर्म्ड एम्प्लाई थे या टेम्पोरेरी थे। अगर टैम्पोरेरी थे तो एक महीने की तनख्वाह दे दी और नोटिस की आवश्यकता नहीं है। अगर कन्फर्म्ड थे तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरा कहना है कि एम्प्लाइज कन्फर्म्ड हैं। लेकिन अगर टेम्पोरेरी को भी निकाला जाय और स्टिग्मा लगाकर निकाला जाय तो नोटिस देने की जरूरत है। तो क्या उनको उत्तर देने का अवसर दिया गया और अगर नहीं दिया गया तो अब मुख्य मंत्री जी, जो उसके चेयरमैन भी हैं, अब नोटिस देने के लिये तैयार हैं ?

श्री चरण सिंह—

अगर कोई कानूनी गलती हो गयी होगी तो मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

इस बात को देखते हुये कि कुछ राजनैतिक दल सैनिक स्कूल के कर्मचारियों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते है, उनके प्रभाव को रोकने क लिये वहां के कर्मचारियों पर कोई प्रभावशाली कार्यवाही करने की बात क्या मुख्य मंत्री जी सोच रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह—

मैं समझता हूं जो कुछ वहां प्रिंसिपल कार्यवाही कर रहे हैं अपने अधिकारों के अन्दर, उससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात जरूर है कि माननीय नित्यानन्द जी के पास कम काम दिखलाई पड़ता है लखनऊ में, इसलिये उसमें दिलचस्पी लेने लगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह झगड़ा केवल यूनियन बनाने का है या जो कमचारियों की मांगें हैं उनको लेकर है ? अगर वह यूनियन बनाने के सम्बन्ध में झगड़ा है तो यूनियन बनाने देने के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है ? जैसा कि मांगों के सम्बन्ध में उत्तर में कहा गया है, मांगें तो शायद बिल्कुल ही निराधार हैं, तो केवल यूनियन बनाने मात्र का झगड़ा है तो उसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री चरण सिंह—

यूनियन बनाना मुनासिब नहीं समझा जा रहा था इस स्कूल में और उनको यह अधिकार है कि वे यूनियन न बनाने दें। ऐसा मालूम हुआ कि पौलिटिशियन इन्सपीरेशन के लिये वे यूनियन बना रहे थे। क्लब के लिये तो स्कूल वाले राजी हो गये थे लेकिन अतिरिक्त काम के लिये अतिरिक्त डिमांड वगैरह करना यह जो है उसे वे डिसिप्लिन के लिये घातक समझते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें निकाला गया है, उनके स्थान ही समाप्त कर दिये गये हैं, अथवा उन स्थानों पर पुर्नानियुक्ति करने का सरकार का विचार है ?

श्री चरण सिंह—

अभी तो उन्हें निकाला गया है लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो फिर वे एप्वाइंट कर लेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या निष्कर्ष ७ मार्च के 'स्वतंत्र भारत' में छपी सूचना के आधार पर निकाला या इन कर्मचारियों से भी कोई पूछताछ की गयी ?

श्री चरण सिंह—

मीटिंग आदि कर ही रहे थे । प्रिंसिपल से उनकी बातचीत भी हुयी और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी । अखबारों में भी छपा था ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी फरमाया कि अगर अवैध कार्यवाही हुयी होगी तो वे देख लेंगे । क्या अगर अवैध कार्यवाही साबित हो गयी तो उन्हें पुनः सर्विस में लौटा लेंगे ?

श्री चरण सिंह—

अगर वे कन्फर्म्ड एम्प्लाइज थे तो देखा जायगा कि उनको नोटिस दिया गया या चार्जेज डा किये गये, उनको सफाई का मौका दिया गया या नहीं । मैंने केवल यह कहा कि अगर यह स्थिति है तो देख लूंगा और फिर कानूनी कार्यवाही कराने की कोशिश करूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी एक बार इस बात का अवसर देंगे कि वे आपके सामने सब तथ्य ला सकें । इस कार्य के लिये कर्मचारियों में से २–३ व्यक्ति हों और हम लोग हों । आप उस पर विचार करें और अगर संतुष्ट हो जाय कि उनका निकाला जाना संवैधानिक नहीं है और यह जो डेवलपमेंट हुआ है वह इसलिये हुआ है कि इससे प्रिंसिपल का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है तो यदि आप बातचीत के लिये तैयार हों तो कृपया आश्वासन देने की कृपा करें ताकि बातचीत करके मसले को निपटाया जा सके ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि जो कानूनी कार्यवाही हो वह की जाय तो मेरा सवाल नहीं उठता । वह तो कर लेंगे । लेकिन माननीय नित्यानन्द जी और मेरे दोस्त माफ करेंगे, हम सब बराबर है, पोलिटिकल वर्कर्स हैं, लेकिन स्कूल और कालिजों में जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां के आदमियों में दिलचस्पी लें और ट्रेड यूनियन की पैरवी करें, मुनासिब नहीं है । बाकी आप मेरे साथी हैं । आप जो बात करेंगे उसे जरूर सुन लूंगा । इस तरह की कार्यवाही की जाय, इसके लिये मैं तैयार नहीं हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं माननीय मंत्री के इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि वे हमसे बातचीत कर लेंगे । मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके हृदय की सब बातें समाप्त हो जायेंगी । ट्रेड यूनियन का जो रूप है उसको हम सब स्पष्ट करेंगे । इस विषय पर आप जितना जल्दी हो सके कोई तिथि तय कर दें तो हम सब तथ्य लेकर आ जायेंगे और जो मसला है, वह हल हो जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । इससे आगें भी टैन्शन रुकने में भी सहायता मिलेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि यह जो सोसायटी है स्कूल की इसके चेयरमैन कौन हैं और किसी के निष्कासन का अधिकार चेयरमैन को है या कमेटी को ?

श्री चरण सिंह---

सोसायटी का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता है ।

श्री अध्यक्ष---

दूसरा हिस्सा प्रश्न का, कि चेयरमैन निकालता है या कमेटी निकालती है, रह गया ।

श्री चरण सिंह---

मामूली सी बात है । चपरासी वगैरह सबका अधिकार प्रिंसिपल को होता है । इसमें न चेयरमैन का सवाल है न मैनेजमेंट कमेटी का सवाल है । अगर उनको आना हो तो प्रिंसिपल के जरिये बात करें । नित्यानन्द जी कह रहे हैं कि हम उनको लायेंगे । यह पोलिटिक्स बीच में क्यों आये ? उनको चाहिये कि वे प्रिंसिपल के पास जायं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप उनको छोड़ दें । हम से तो बात करें ।

श्री चरण सिंह---

आप सभा करें, सवाल असेम्बली में करें और पोलिटिकल वर्क का प्रचार करें, यह जो सारा दृष्टिकोण है पोलिटिकलाईज करने की बात है । उससे आपत्ति है । बाकी आप जो कुछ कहेंगे उसको मैं सुनूंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, इसमें पेज २ के पैराग्राफ ६ में यह छपा है कि इस पर सैनिक स्कूल सोसायटी के अध्यक्ष ने स्कूल के गठित किये गये तथाकथित कर्मचारी संघ के ११ पदाधिकारियों को सेवामुक्त करने के आदेश दिये । इसी पैरा में यह भी लिखा है कि समाचार पत्रों में जो खबर छपी है उसी के आधार पर निर्णय लिये गये हैं । वही मैं जानना चाहता था कि क्या उसी अखबार में छपी खबर के आधार पर निर्णय ले लिये गये हैं या उन्होंने अकेले ही निर्णय लिये हैं या सोसायटी ने ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल जो वहां के हैं वे मेरे पास आये । उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है । मैंने उनको मशविरा दे दिया कि यह करो या न करो ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

प्रश्न इस बात का है कि उन ११ लोगों को सेवा से निकाल दिया गया । वह कार्यवाही केवल समाचार पत्रों में छापी गई । वह गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है । उसके आधार पर १२ लोगों को सेवा से वंचित कर दिया गया । उन १२ लोगों को क्यों सेवा से निकाला, उन पर क्या आरोप थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

यह बात हम मानते हैं कि उन्होंने अनुशासनहीनता की है । दूसरा जो पहलू माननीय नित्यानन्द जी ने उठाया कि प्रिंसिपल भ्रष्टाचारी है । क्या इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी हमको कोई बात बतायेंगे कि यह बात कहां तक सही है ?

श्री अध्यक्ष---

भ्रष्टाचार के बारे में क्या कोई शिकायत भेजी ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

कल यहां प्रश्न हुये थे ।

श्री चरण सिंह---

मैं माननीय मित्र के भोलेपन को क्या कहूं, आपने तो खुद जवाब दे दिया कि कल सवाल हुये थे । तो मैंने कल जवाब दे दिया । अब मैं तब तक किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकता जब तक कि वह साबित न हो जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस सैनिक स्कूल में यूनियन संगठित करने पर जो रोक है वह कानूनी है, या माननीय मुख्य मत्री जी की राय है कि सैनिक स्कूलों में वह नहीं बननी चाहिये ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सोसाइटी है जिसके मातहत यह स्कूल चलते हैं उनकी यह राय है। मैंने लीगल रिमेम्बरेंसर से भी राय ली थी । उन्होंने यह राय दी कि उनको बनाने का कोई अधिकार नहीं है । इम्प्लायर को अधिकार है कि वह उसके लिये आज्ञा दे या न दे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

किसी स्कूल के अन्दर यूनियन न बनने देने का अधिकार एक मिनट के लिए यह मान भी लिया जाय कि आपको है, तो भी यह कोई अपराध नहीं कहा जा सकता, यह कार्य किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता ।

श्री चरण सिंह---

इनडिसिप्लिन की श्रेणी में तो आता है । जब मुलाजिमों का यह एटीच्यूड हो जाता है तो वह फिर काम नहीं करते । वे अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन की मांग करते है । दूसरे आफिस वाले भी करेंगे । फिर ३ बजे तक काम बन्द रहेगा, ५ बजे के बाद करेंगे ताकि अतिरिक्त पैसा मिले । अब अगर यह कानून के विरुद्ध काम हुआ है तो वे अदालत में जाय वहां इनफोर्स करें । अब एक इम्पलायर है, वह नहीं चाहता है कि यूनियन बने ।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस समय हर जगह यांत्रिक कृषि धीरे-धीरे बढ़ रही है। किसानों को उनके उपकरण मिलने तथा उनकी मरम्मत में जो कठिनाई हो ही है वह माननीय सदस्यों को विदित है। अगर सरकार यह फैसला कर ले कि हर क्षेत्र समिति के कार्य क्षेत्र में एक-एक कृषि यंत्र कार्यशाला होगी तो मैं यह समझता कि उससे किसानों की दिक्कत दूर होगी और गांवसभाओं के साधनों की उससे बढ़ोत्तरी होगी और उसकी आमदनी से क्षेत्र समितियों का भला होगा, तो ज्यादा अच्छा होगा । लेकिन इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया और आज तक कोई ऐसा काम करने के सिलसिले में इरादा नहीं प्रकट हुआ । जब से यह सरकार आई तबसे, कहने के लिए तो यह कहेगी कि कितने दिन आये हुए हमको । लेकिन सरकार माने सरकार और उसके इरादे की बात है। कोई सोच विचार करके, मंत्रिमंडल में फैसला करके ही यह बिल आया होगा । उससे भी इरादा नहीं मालूम होता है कि कोई क्षेत्र समितियों और गांव सभाओं भला करने का सरकार का इरादा है। सिर्फ एक बात सरकार के दिमाग में है कि लोग आतंकित रहें, उनका कार्यकाल सरकार के हाथ में हो, उनकी जिन्दगी, उनकी मियाद सरकार के हाथ में हो । जैसा मैंने पहले कहा राजनैतिक उद्देश्य इसके पीछे मालूम पड़ता था जिला परिषदों के खत्म करने का । यह उद्देश्य साफ जाहिर है और ऐसे मौके पर खत्म किया जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों का चुनाव होने वाला था । पहले तो उन्हें आतंकित करके रखा, जब तक कि चुनाव नहीं हुए, और चुनाव के १।२ दिन पहले आर्डीनेन्स द्वारा उनको खत्म कर दिया गया। गांवों में आर्डीनेन्स कौन जानता है। लेकिन

[श्री कल्पनाथ सिंह]

आतंकित करके, वोट प्राप्त करने की नीयत से ये काम किये गये । लेकिन आपको जो कुछ करना था वह तो आपने किया, अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई । अब तो आप ठंडे दिल से सोचिये कि आपको क्या करना चाहिये, लेकिन नहीं ।

अब दूसरी तरफ इनका ध्यान जाता है और वह यह है कि प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों का ट्रांसफर भी यहां के रोब-दाब में हो जाया करेगा । क्योंकि जिला कलेक्टर्स इनका रोब दाब मानेंगे । क्योंकि जिला परिषदों में तो इनकी मनमानी चलने वाली नहीं थी । कहा यह जा रहा है कि तुम्हारी मियाद बढ़ा दी । लेकिन पंगु करके, उसको पंग बना दिया गया है। जिसके सिर, पैर-हाथ न हो वह क्या कर सकता है। इस प्रकार का यह बिल सामने ला दिया गया है। अगर इस सरकार की नीयत साफहोती तो स्पष्ट शब्दों में यह कहा जाता कि इसका क्या-क्या करने का इरादा है। संयोग से प्रभारी मत्री जी और मुख्य मंत्री जी दोनों मौजूद हैं । राय मशविरा कर लें और करके बतायें कि यह यह कहने का उनका इरादा है। जो मैंने शंका व्यक्त की है, या जो मैंने सुझाव दिये हैं दोनों को मैं समझूंगा कि शंका निराधार साबित हुई और सुझाव का सही मूल्यांकन हुआ । इससे भिन्न भी कोई सुझाव मंत्री जी की तरफ से आयेगा तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सदन मंत्री जी के इस बिल का विरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप तो तीन माह के लिए घुमाना चाहते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसीलिये कि जरा जाना जाय कि यह क्या करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव तो घुमाने का है, समाप्त करने का, विरोध करने का नहीं है।

श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपको अथराइज कर दिया है?

*श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (का र्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे । (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) अध्यक्ष महोदय, अभी पंचायतों का कार्यकाल तीन माह तक के लिए बढ़ाया गया था और वह तीन जुलाई तक के लिए बढाया गया या । पिछले एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आप जानते हैं कि गांव सभाओं के प्रधान, क्षेत्र समितियों के लोग बिलकुल भ्रष्टाचार के महन्त बन बैठे हैं । अतः यह जो एक साल का कार्यकाल बढाया गया है यह बिल्कुल उचित नहीं है। प्रधान लोगों से जनता इतना परेशान हो गयी कि जनता की राय है कि उनका कार्यकाल न बढा कर तुरन्त चुनाव करवाया जाय । विशेष रूप से जिला बहराइच एक तराई क्षेत्र है। यहां पर गांव समाज की लाखों एकड़ भूमि है जो कि इन प्रधानों की मुट्ठी में बन्द है। जो यह भूमि गरीब भूमिहीन मजदूरों को मिलनी चाहिये उस गांव की सारी भूमि का प्रधानों की वजह से हनन हो रहा है। गांधी जी का जो सपना था कि पंचायतों क द्वारा जनतंत की नीव को मजबूत करेंगे वह स्वप्न बिलकुल बेकार हो गया है। निरन्तर प्रधान तथा ग्राम पंचायतों के अधिकारी अपने स्थान पर बने रहने के कारण अपन पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता को जो न्याय मिलना चाहिये था वह थोथा मात्र हो रहा है। अतः मैं चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं कि जो आपका विधेयक है उस पर हम लोगों का संशोधन स्वीकार करें, इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, प्रवर समिति आपको विशेष दिशा दे कर लाभान्वित करे।

श्री हुकुम सिंह विसेन (जिला आगरा फतेहाबाद)—
श्रीमन्, ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल बढाने का....

श्री अध्यक्ष—
आप किस प्रस्ताव का सपोर्ट कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह परिहार—
श्री कल्पनाथ सिंह के प्रस्ताव का ।

मेरा कहना यह है कि पंचायत राज की जब नींव डाली गयी थी उसका एक मतलब था कि हिन्दुस्तान में जो जनतंत्रीय परम्परा है उसकी जड़ों को गहरा कियाजाय । हिन्दुस्तान ऐसा मुल्क है जहां ग्रामों की उन्नति जब तक नहीं होगी तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकेगा । इसलिये पंचायत राज्य की नींव डाली गयी थी । पहले इन पंचायतों का कार्यकाल ३ साल था । बढ़ाते-बढ़ाते वह ९ साल हो गया । इसी तरह से जिला परिषदें खत्म की गयीं तो उनका कार्य काल भी बढ़ाया गया था उनका कार्यकाल बढाने की क्या जरूरत थी ? कौन सा ऐसा संकट आ पड़ा था जिसमें कार्य-काल बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गयी । उनका चुनाव जल्दी कराया जा सकता था । सरकार को जब कोई बात टालनी होती है तो कमेटी बना देती है अथवा कार्यकाल बढ़ा देती है। जिस समय यह बी०के० डी० के साथ विरोधी पक्ष में बैठे हुये थे तब यह कहते थे कि गुप्ता जी ने कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया लेकिन जब वे स्वयं सरकार में चले गये तो पहले वाली सरकार के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं । रावत जी मंत्री हुए तो सोचा कि महात्मा गांधी के स्वप्नों के वह साकार रूप देंगे और किसानों की कुछ बढ़ोत्तरी होगी, ग्राम पंचायतों की नींव मजबूत होगी, ग्राम राज्य सफल बनाया जायगा लेकिन उनसे भी आशा पूरी होती नहीं दिखाई देती । मालूम यह होता है कि जो बूढ़े लोग आते हैं वे परिवर्तन नहीं चाहते, न आगे बढ़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जैसी की तैसी स्थिति बनी रहे । लेकिन इतना मैं बतला दू कि जो जनतंत्र के प्रहरी हैं अगर यह ग्राम पंचायतें असफल हुई जैसा कि हो रहा है तो इस देश में जनतंत्र की हत्या हो जायगी । कांग्रेस २० साल जिस ढर्रे पर चली उसी ढर्रे पर यह सरकार भी चल रही है। कल्पनाथ जी ने बहुत कुछ कहा लेकिन वह भी उसी ढर्रे के अंग रहे हैं, उनको कहने का तो कुछ अधिकार नही था । वह भी परिवर्तन के उतने ही विरोधी हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर कोई कुछ कह सकता है तो संसोपा है । डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने चौखम्भे राज्य का नारा दिया था और उसका अर्थ यही था कि गांव सभाओं को इतनी शक्ति दे दी जाय कि उनको अपना शासन स्वयं करने का अधिकार हो लेकिन निरन्तर जो गांव में हो रहा है उसे देख कर गांव के लोगों का विश्वास नेताओं पर से उठ गया है।

श्रीमन्, इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतों का जो स्वरूप देखा था और महात्मा गांधी जिन सिद्धांतों को लेकर चले थे उन सिद्धांतों की हत्या कर दी गई है और उनके विचारों की हत्या कर दी गई है तथा निरन्तर की जा रही है। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने का जो मतलब है और यदि ऐसा कर दिया गया तो श्रीमन्, इसके बड़े गम्भीर परिणाम होंगे । जो थोड़ा बहुत विश्वास इन ग्रान पंचायतों पर लोगों का रह भी गया है वह भी टूट जायेगा और वह कभी सफल नहीं होगा । मेरा निवेदन है माननीय श्री रावत जी से, वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनानी भी रह चुके हैं, कि वे अपने इस बिल को वापस ले लें और ग्राम पंचायतों का चुनाव चाहे कितनी ही दिक्कतों का सामना क्यों न करना पड़े और उसको जितनी जल्दी हो सके, अवश्य होना चाहिये । श्रीमन् यह बिल समस्या का हल भी होने देगा ? श्रीमन्, कोई समस्या होती है, उसको उलझा कर रख दिया जाता है। श्रीमन्, हमारे आगरा जिले के जो अध्यक्ष हैं वे शिक्षा के कार्य के लिए दो-दो हजार रुपय निकाले हुये हैं किन्तु वे वापस करन की

[श्री हुकुम सिंह पहिार]

नौबत नहीं लाते । यह सरकार तो क्या करेगी क्योंकि इसमें वे लोग बैठे हैं जो इंडीकेटी हैं और कहते हैं कि हम समाजवाद चाहते हैं । इन समाजवादियों के हाथों को मजबूत बनाने के लिए इंदिरा गांधी यहां आई हैं, उन्होंने इस प्रदेश में कोई नई रोशनी नहीं दिखाई और प्रदेश में कोई नई चीज न आ सकी । ग्राम पंतायतों का जो रहा-सहा स्वरूप है वही खत्म हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि ग्राम पंतायतों को सफल बनाने के लिये दुबारा चुनाव कराये जायं । एक बात और माननीय रावत जी से अर्ज करना चाहता हूं कि वे स्वाधीनता संग्राम के सेनानी रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और मेरे स्कूल के साथी हैं वे हुकूमत में रहे हैं । उन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं और जनतंत्र को नक्सलपंथी कर दिया है । लेकिन देश में नक्सलपंथियों को लाने की जिम्मेदारी किसकी है ? नक्सलपंथियों को लाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। इस बिल के लाने से जनता की जो रही सही आशा है वह भी खत्म हो जायेगी । जो जनतंत्र की नींव है और उसकी आस्था है वह भी समाप्त हो जायेगी और जो उसकी नींव डाली गई होगी वह भी कमजोर होगी । और अगर नींव को ही खत्म कर दिया जाय तो फिर वह भवन कैसे चलेगा । इस प्रकार से अपने जनतंत्र की नींव को खोखला कर दिया है । आज भी आप उसी काम पर चल रहे हैं । एक बात ठीक है कि चाहे कोई भी सरकार रही हो पंचायत राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है । संविद सरकार के जमाने में भी जनता को लूटा गया । लेकिन यह जो इस समय बैठे हुये हैं यह तो उनसे भी बुरे हैं । बिना होशियारी के चोरी डकैती भी नहीं होती । जो सेंध लगाना नहीं जानता है या तो वह सेंध लगा ही न पायेगा अथवा वह पकड़ा जायगा, फंस जायगा । जो संविद की सरकार आयी थी वह तो भ्रष्टाचार करने में माहिर थी नहीं, लेकिन यह तो पक्के हैं बहुत ही पक गये हैं । लूट खसोट के बहुत बड़े अनुभवी हैं । महात्मा गांधी के सपनों को ध्वस्त करने के लिये, डाक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को ध्वस्त करने के लिए यह संगठन कांग्रेस और यह इंडीकेट कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं । यह बड़े जोर से कहा गया कि प्रधान मंत्री समाजवाद लाना चाहती हैं वह तो अपने पिता जी-नेहरू जी से ४ कदम नहीं २० कदम आगे निकल गयीं धोखा देने में । मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके बारे में मेरा भ्रम था अब वह भ्रम दूर हो गया है और मैं तथा मेरे साथियों में से कोई इंडीकेटी कांग्रेस अथवा भारतीय क्रांति दल में सम्मिलित होने नहीं जा रहे हैं । अब तो मुझे पता चल गया है कि वह जनतंत्र की रक्षा नहीं, रहे सहे जनतंत्र को भी समाप्त करने जा रहे हैं ।

अगर इन्हीं लोगों ने पंचायती राज्य को समाप्त कर दिया तो उसको स्थापित करने के लिये कौन आयेगा? मेरा निवेदन तो यह है कि इस सारे घपले को समाप्त करने के लिए क्षेत्र समितियों और ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया जाय । प्रजातंत्र की परम्परा की सुरक्षा के लिए इनको खत्म कर दिया जाय, जनतंत्र में लोगों की आस्था को बढ़ाने के लिए इनको खत्म कर दिया जाय, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए इनको खत्म कर दिया, गांवों की उन्नति और पंचायती राज्य को सफल बनाने के लिए इनको खत्म कर दिया जाय और जो वोटर लिस्ट बनी हुई है उसके अनुसार फिर से चुनाव कराया जाय । माननीय मंत्री जी उसके बारे में तुरन्त कदम उठायें अथवा घोषणा करें अन्यथा मैं जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के संबंध में जानकारी

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)

मैं एक जानकारी चाहता हूं । अभी सदन दो दिन के लिये उठने वाला है। जो विधान सभा से प्रस्ताव पारित हुआ है विधान परिषद भंग करने का वह आपने केंद्रीय सरकार को और लोक सभा को भेज दिया है या नहीं । लोगों में शंका काफी हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष

अभी नहीं भेजा गया । अभी तो मैं चीफ मिनिस्टर के पास भेजूंगा । ४ तारीख को लौटूंगा तब भेजूंगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मुख्य मंत्री जी के पास भेजेंगे तो मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के अधिकारों का हनन कर रहे हैं । आपको लोक सभा और केंद्रीय सरकार के पास भेजना है। मुख्य मंत्री इस सदन से ऊपर नहीं हैं । मुख्य मंत्री के पास भेजने के माने यह है कि जो शंका लोगों के मन में है वह ठीक है, दाल में कुछ काला मालूम होता है। आप सीधे केंद्रीय सरकार और लोक सभा को भेजिये ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)

क्या इस प्रदेश में दो दो अध्यक्ष हैं, यह मुनासिब नहीं लगता । आप जल्दी भेज दें । आज ही भेज दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई जरूरी नहीं हैं । आपको किस बात का डर है?

श्री मैनेजर सिंह—

डर यह है कि सदस्यों पर तो दबाव पड़ ही रहा है आप पर भी पड़ने लगेगा ।

श्री अध्यक्ष —

मेरे ऊपर दबाव नहीं पड़ सकता । आपका भी दबाव नहीं पड़ेगा । मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा ।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

*श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)

अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । आज सरकार की जो नीतियां सदन में प्रकट हो रही है और जो उसका कार्य करने का तरीका है, माननीय कमलापति जी चले गये, मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज प्रजातंत्र की जड़ों को मौजूदा सरकार नष्ट कर रही है जिसकी आशा हम कभी नहीं करते थे । जिला परिषदों को समाप्त किया गया । उसमें एक राजनैतिक उद्देश्य था जिसकी पूर्ति सरकार शनैः शनैः करना चाहती है। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा कर सारे प्रदेश को यह सरकार धोखे में रखना चाहती है और उसकी आड़ में जिला परिषदों का चुनाव नहीं कराना चाहती है। ऐसी मुझे और मेरे साथियों को आशंका है । आज हमारे वह साथी जो सरकार के साथ बैठे हैं वे सोचते होंगे कि प्रजातंत्र चलेगा, इस प्रदेश की हालत सुधरेगी लेकिन अगर आप सोचें और विशेषकर वे साथी जो आज सत्ता के साथ हैं, साधन सपन्न हैं तो वे देखेंगे कि जितनी प्रजातंत्र की हत्या इस सरकार द्वारा हो रही है उतनी किसी सरकार में नहीं हुई । आप देखें कि पंजायतों का रूप क्या है। वह बिलकुल मृत्यु शैय्या पर पहुंच चुकी हैं । पंचायतों के माध्यम से जो प्रदेश का विकास होना था, जो प्रजातंत्र का विकास होना था नई जो चेतना जागृत होनी थी मौजूदा मुख्य मंत्री जो आज कुर्सी पर हैं उनका कभी पंचायत में विश्वास नहीं रहा ।

आज वह धीरे धीरे पंचायती राज को..... ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण ४ तरीख कोजारी रखियेगा। अब हम उठते हैं और ४ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ४ मई, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१ मई, १९७० ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६० पर]

प्रश्न संख्या २ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न मान्यता प्राप्त प्राइमरी कक्षाओं की अध्यापिकाओं के वेतन एवं महंगाई भत्ते की दरें--

	वेतन	महंगाई भत्ता
१--प्रशिक्षित अध्यापिका ..	६० रु० निश्चित	४० रु०
२--अप्रशिक्षित अध्यापिका ..	५० रु० निश्चित	४० रु०

जिला परिषदों के प्राइमरी स्कूलों के प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन तथा महंगाई भत्ते की दरें :--

	वेतन क्रम	महंगाई भत्ता
१--प्रधान अध्यापक ..	७५-२-८३-द०रो०-३-९५	५५ रु० (तदर्थ वृद्धि मिलाकर)
१--सहायक अध्यापक	७०-१-७३-द०रो०-२-८५	५५ रु० (तदर्थ वृद्धि मिलाकर)

'नत्थी ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६१ पर]

चयन समिति द्वारा चुनाव के बाद कुछ कनिष्ठ व्यक्ति जो तृतीय एवं चतुर्थ बैच में प्रशिक्षित हुये थे उच्च वेतन मान रु० १६०–२८० में सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) के पद पर कार्य कर रहे हैं। इस समय प्रत्येक बैच में जो लोग उक्त पद पर कार्य कर रहे हैं। उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

बैच संख्या	उच्च वेतन मान में (१६०–२८०)	मूल पद के वेतन मान में (१२०–२२०)
१	४१	३
२	५८	५
३	४	२५
४	४	६

प्रथम एवं द्वितीय बैच में क्रमशः ५ एवं ११ (इनमें से ७ वी०वी० एस० सी० एण्ड ए० एच० के कोर्स में पढ़ रहे हैं) पशुधन पर्यवेक्षक और है जिन्हें भी उच्च वेतन मान नहीं मिलता है और उनमें से कुछ लोग वेतन मान अथवा इससे अधिक वेतनमान के अन्य पदों पर कार्य कर रहें हैं।

इसके अतिरिक्त इस समय १८ ऐसे सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) हैं जो बिना लाइवस्टाक सुपरवाइजर के प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये रु० १६०–२८० के वेतनमान मे उक्त पद पर कार्यरत हैं।

लाइवस्टाक सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण के बाद नियोजन विभाग में १९५७–१९६१ तक रु० ७५–१२० जो रु० १२०–२२० में परिवर्तित हो गया नियुक्ति क लिये भेजा गया, नियोजन विभाग में ये लोग रु० ७५–१२० के वेतन मान में नियुक्त किये गये। उक्त विभाग में चयन समिति के द्वारा चुनाव करके सक्षम एवं योग्यतम व्यक्तियों को रु० १२०–२५० वेतनमान में जो अब रु० १६०–२८० में बदल गया है, नियुक्त किया। इस प्रकार के लोग मुख्यतः बैच सं० १ व २ से चुने गये, केवल थोड़े से लोग तृतीय एवं चतुर्थ बैच के चुने गये।

इस प्रका का एक चयन पशु पालन विभाग में १९६८ में किया गया जिसमें कै वल १२ व्यक्ति चुने गये जो मुख्यतः प्रथम एवं द्वितीय बैच में प्रशिक्षित हुये थे।

उच्च वेतनमान में नियुक्ति चयन समिति के चुनाव द्वारा ही कि जाती हैं। चुन व के लिये अधिक सेवा वालों का ध्यान रखा गया और उसके बाद ही जूनियर लोगों को उनकी उपयोगिता एवं कार्यक्षमता के आधार पर पदोन्नति के लिये चुना गया।

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर

सूची

वर्ष १९६८-६९ में बेचे गये टेंडर फार्मों एवं

क्रम-संख्या	नाम जलाशय	टेंडर फार्म की दरें (रु० में)				बेचे गये फार्मों की संख्या		
		शिकार माही	मछली खरीद	रायल्टी	एक-मुश्त	शिकार माही	मछली खरीद	रायल्टी
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१—रिहन्द पूर्व		—	५०	—	—	—	१४	—
पश्चिम			५०					
२—शारदासागर		—	५०	—	—	—	४	—
३—माताटीला		—	२५	—	—	—	६	—
४—कमलासागर		५	२५	—	—	४	४	—
५—अर्जुन डैम		५	२०	—	—	५	७	—
			१	—	—	—	२	—
६—बरवार	..	५	२०	—	—	—	३	—
७—कीथम	..	—	५०	—	—	—	३	—
८—धनरौल	..	५	५	—	—	२	७	—
९—सिरसी	..	—	५	—	—	—	५	—
१०—जिरगो	..	५	५	—	—	२	१	—
			२	—	—	—	५	—
११—धौरा	..	—	५	—	—	—	८	—
१२—पहुज	..	५	५	—	—	६	७	—
१३—अपर खतूरी		—	२	—	—	—	२	—
१४—सुखड़ा	..	—	—	२	—	—	—	३
१५—मिर्जापुर के विभागीय जलाशय		—	२	—	—	—	१	—

'ग'

पीछे पृष्ठ ८६४ पर)

(अ)

उनसे प्राप्त आय का विवरण

टेंडर फार्मों की बिक्री से आय (रु० में)

एकमुश्त	योग	शिकार माही	मछली खरीद	रायल्टी	एक-मुश्त	योग	
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	१४	—	७००	—	—	७००	
—	४	—	२००	—	—	२००	
—	६	—	१५०	—	—	१५०	
—	८	२०	१००	—	—	१२०	
—	१४	२५	१४०	—	—	१६७	एक रु० प्रति फार्म की दर से जिला स्तर पर अल्प-कालीन अवधि के टेंडर फार्म बेचे गये । शिकार माही के टेंडर जिला स्तर पर मांगे गये थे ।
—	—	—	२				
—	३	—	६०	—	—	६०	
—	३	—	१५०	—	—	१५०	
—	९	१०	३५	—	—	४५	
—	५	—	२५	—	—	२५	
—	८	१०	५	—	—	२५	२ रु० प्रति फार्म की दर से टेंडर फार्म जिलास्तर पर बेचे गये ।
—	—	—	१०	—	—	—	
—	८	—	४०	—	—	४०	
—	१३	३०	३५	—	—	६५	
—	२	—	४	—	—	४	जिला स्तर पर बेचे गये ।
—	३	—	—	६	—	६	जिला स्तर पर मांगे गये ।
—	१	—	२	—	—	२	,, ,,

क्रम- संख्या	नाम जलाशय	टेंडर फार्म की दरें (रु० में)				बेचे गये फार्मों की संख्या			
		शिकार माही	मछली खरीद	रायल्टी	एक-मुश्त	शिकार माही	मछली खरीद	रायल्टी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
१६	गोविन्दसागर	—	—	५	—	—	—	९	
१७	नानकसागर	२	२	—	—	३	४	—	
१८	कोहड़गद्दी	—	—	५	—	—	—	५	
१९	तुमरिया ..	—	—	५	—	—	—	१४	
२०	बहौरा ..	—	—	५	—	—	—	२	
२१	बौर ..	—	—	५	—	—	—	७	
२२	पार्वती ..	—	—	५	—	—	—	४	
२३	मसाखंड ..	—	—	५	—	—	—	१	
२४	भैंसुरा ..	—	—	५	—	—	—	२	
२५	रंगवा ..	—	—	१०	—	—	—	६	
२६	क्योलारी ..	—	—	५	—	—	—	६	
२७	मझौलीसागर बजहा	—	—	५	५	—	—	३	
२८	अरगा ..	—	—	५	—	—	—	३	
२९	लतीफशाह ..	—	—	५	—	—	—	१०	
३०	कबरई ..	—	—	१०	—	—	—	११	
३१	रायपुरा ..	—	—	५	—	—	—	३	
३२	मझगवां ..	—	—	१०	—	—	—	८	
३३	बरखा ..	—	—	५	—	—	—	७	
३४	बाल्मीकी ..	—	—	५	—	—	—	—	
३५	पिल्ली ..	—	—	५	—	—	—	२	६
३६	डोंगिया ..	—	—	५	—	—	—	२	—
३७	चन्द्रप्रभा ..	—	—	५	—	—	—	—	—
३८	नौगढ़ ..	—	—	५	—	—	—	—	—
३९	नगवा ..	—	—	५	—	—	—	—	—
४०	अहरौरा ..	—	—	५	—	—	—	—	—
४१	मेजा ..	—	—	५	—	—	—	—	—
४२	कल्यानपुर	—	—	५	—	—	—	—	—
४३	रायपुरा ..	—	—	५	—	—	—	—	—
४४	दरियावगज	—	—	५	—	—	—	—	—
						२२	८३	११२	

टेंडर फार्मों की बिक्री से आय (रु० में)							
एक-मुश्त	योग	शिकार माही	मछली खरीद	रायल्टी	एक-मुश्त	योग	
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	९	—	—	४५	—	४५	
—	७	६	८	—	—	१४	क्षेत्रीय स्तर पर बेचे गये ।
—	५	—	—	२५	—	२५	
—	१४	—	—	७०	—	७०	
—	२	—	—	१०	—	१०	
—	७	—	—	३५	—	३५	
—	४	—	—	२०	—	२०	
—	१	—	—	५	—	५	
—	२	—	—	१०	—	१०	
—	६	—	—	६०	—	६०	
—	६	—	—	३०	—	३०	
८	११	—	—	१५	४०	५५	
—	३	—	—	१५	—	१५	
—	१०	—	—	५०	—	५०	
—	११	—	—	११०	—	११०	
—	३	—	—	१५	—	१५	
—	८	—	—	८०	—	८०	
—	७	—	—	३५	—	३५	
—	—	—	—	—	—	—	कोई टेंडर नहीं आया ।
—	६	—	—	३०	—	३०	
—	२	—	—	१०	—	१०	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	कोई टेंडर नहीं आया ।
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
८	२२५	१०१	१,६६६	६७६	४०	२,४८३	

नत्थी,घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६८ पर)

प्रेषक,

कल्यान सिंह, विधायक (अतरौली क्षेत्र)
जिला अलीगढ़,
एवं अन्य विधायकगण।

सेवा में,

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय:—उप-शिक्षा संचालक, द्वितीय मण्डल , आगरा के अर्धशासकीय पत्रांक एफ/१२२८-२९/११—१० (५६)/दिनांकित ८ अगस्त, १९६७ के सम्बन्ध में ज्ञापन।

महोदय,

उपशिक्षा संचालक, आगरा मण्डल, आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षकों को सम्बोधित उपर्युक्त अर्धशासकीय पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित नियम विरुद्ध निर्देशों से उत्पन्न असाधारण स्थिति के सम्बन्ध मे निम्नांकित तथ्य उचित एवं त्वरित कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है:-

विशेषतया उरोक्त पत्र के परिच्छेद २ की शब्दावली नियम विरुद्ध एवं आपत्तिजनक है, जो इस प्रकार है :-

> "In this connection it is pointed out that the burden of proof that the probationer has satisfactorily served rests with the probationer and the charges do not have to be proved against him for the termination of his services. If the report of the management and also that of the "Principal regarding a teacher's work and conduct are unsatisfactory, you should not withhold approval for the termination of services of a probationer".

उपरोक्त निर्देश स्पष्टतया शिक्षा संशोधन अधिनियम १९५८ की मूल भावना की हत्या करता है। अपने उक्त पत्र के द्वारा उप-शिक्षा संचालक , आगरा, ने यह लिखकर कि 'प्रोबेशनर' के सेवाओं की समाप्ति हेतु उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने तथा प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सामान्य न्याय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धान्त को कुचल कर रख दिया है। उन्होंने 'प्रोबेशनर' के सेवाओं को समाप्त करने से सम्बन्धित अप्रूवल के मामले में उक्त अधिनियम की धारा १६ जी— ३ (ए) की व्याख्याओं (प्रोविजन्स) के भावना का खुला उल्लंघन करते हुये जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रबन्धकों के अनुचित पक्ष में तथा अध्यापकों के हितों के प्रतिकूल एक पक्षीय एवं अवैध कार्यवाही करने के लिये अवांछनीय रूप से प्रेरित किया है। उप-शिक्षा संचालक महोदय का यह विचार कि अपना कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक सिद्ध करने का दायित्व 'प्रोबेशनर' पर है, उचित एवं तर्क संगत नहीं है। 'प्रोबेशनर' को अपना कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक सिद्ध करने की अपनी ओर से आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होती है जबकि प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक की आख्या उसक प्रतिकूल हो और अपनी निर्दोषता सिद्धि हेतु एवं लगायें गये आरोपों के सम्बन्ध में उसको अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करने का

समुचित अवसर प्रदान किया गया हो। यदि प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक की दृष्टि में किसी भी 'प्रोबेशनर' का कार्य एवं व्यवहार असन्तोषजनक है तो इस आधार पर उसकी सेवाओं को समाप्ति करने के निमित्त उसके कार्य एवं व्यवहार को असन्तोषजनक सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व प्रबन्धक का ठीक उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से इसी प्रकार के आरोपों के आधार पर किसी स्थाई अध्यापक की सेवायें समाप्त करते समय होता है। परन्तु दुर्भाग्यवश उप-शिक्षा संचालक, आगरा, द्वारा अपने चर्चित पत्र के परिच्छेद २ में अपने मण्डल के जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश दे देना है कि वह प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य की एक पक्षीय प्रतिकूल आख्या के आधार पर ही और वह भी सम्बन्धित अध्यापक को समुचित स्पष्टीकरण का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही 'प्रोबेशनर' की सेवाओं को समाप्त करने हेतु अपना अनुमोदन (अप्रूवल) दे दें, सर्वथा अनुचित नियम विरुद्ध एवं अवैधानिक है।

शिक्षा संशोधन अधिनियम, १९५८ की धारा १६ जी–३ (ए) में किसी भी अध्यापक की सेवा समाप्ति / पदावनति करने, यहां तक कि वार्षिक वृद्धि को रोकने के लिये भी जिला विद्यालय निरीक्षक की अनिवार्यता लिखित पूर्व अनुमति (प्रायर अप्रूवल) प्राप्त करने का अपरिहार्य (आब्लीगेटरी) प्राविधान है। किसी भी अध्यापक की सेवायें समाप्त करने हेतु पूर्व अनुमति लेने की प्रतिक्रिया इसी धारा १६ जी–३ (ए) के अन्तर्गत निर्मित उपनियम २५ से ४० तक में दी हुई है, जिसका पालन करने के लिये प्रबन्धक बाध्य है। शिक्षा संशोधन अधिनियम १९५८ में सन्दर्भित पूर्व अनुमति की अनिवार्यता प्रतिपादित करते हुये श्री के० एन० मालवीय, उपसचिव , उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (क) विभाग, लखनऊ ने डा० ए० आर० पचौरी, उप-शिक्षा संचालक (एस० एम०) १८ जौपलिंग रोड, लखनऊ को एक अर्धशासकीय पत्रांक ए–२८२९।(चौदह)/ १५६६/१९६०, दिनांकित १ जून, १९६० लिखकर स्थित को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है।

उप-शिक्षा संचालक, आगरा के उपरोक्त पत्र से यह स्पष्ट होता है कि वह 'प्रोबेशनर' की सेवायें समाप्त किये जाने को विधिविधान की दृष्टि से दण्ड (पनिशमेंट) नहीं मानते हैं। उनका यह विचार सही नहीं है। इस सन्दर्भ में श्री डी० एन० अग्रवाल द्वारा सम्पादित (एडीटेड) एवं राजनारायण लाल अग्रवाल एण्ड सन्स, इलाहाबाद, द्वारा प्रकाशित "इण्टर-मीडिएट एमेण्डमेन्ट ऐक्ट, १९५८" (संस्करण, १९६८) में उल्लिखित श्रीमती कटिंग, बी० बनाम चेयरमैन बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन (१९६६), (ए०एल० जे०–५८) का 'केस' इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डालता है जिसमें 'प्रोबेशनर' की सेवाओं को समाप्त करने को दण्ड दिये जाने की श्रेणी में गिना गया है और इस प्रकार दण्डित अध्यापक को स्पष्टीकरण का मौका दिये बिना सेवा मुक्त करना पूर्णतया अवैध होता है।

उपरोक्त वैधानिक नियमों के विश्लेषण से यह सुस्पष्ट है कि उप शिक्षा, संचालक, आगरा का उपरिचर्चित अर्धशासकीय पत्र शिक्षा संशोधन अधिनियम की धाराओं एवं प्राविधानों के सर्वथा विपरीत तथा स्वेच्छताचारिता का द्योतक है, अतः निन्दनीय एवं खेदजनक है। उक्त पत्र द्वारा निर्गत निर्देशों ने 'इण्टरमीडिएट एमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९५८' द्वारा अध्यापकों को प्रदत्त सेवा सुरक्षा की 'गारन्टी' की ही धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और उन्हें फिर से असहाय बनाकर निरंकुश प्रबन्धकों को स्वेच्छाचारिता एवं दया पर छोड़ दिया है।

अतः उपर्युक्त लिखित तथ्यों के प्रकाश में हम अत्यधिक आग्रहपूर्वक मांग करते हैं कि उप-शिक्षा संचालक, आगरा मण्डल, आगरा के उक्त अवैधानिक एवं निरंकुश स्वेच्छाचारिता को उनके अर्धशासकीय पत्र को अविलम्ब निरस्त करके उसे अप्रभावी बनाने की कृपा की जाय तथा संबंधित उप शिक्षा संचालक से इस अवैध निर्देश को प्रसारित करने के अनुचित कार्य के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा जाय तथा भविष्य में इस प्रकार के नियम विरुद्ध आदेश प्रसारित न करने का स्पष्ट निर्देश दिया जाय।

कृपया ज्ञापन प्राप्ति की सूचना देकर अनुग्रहीत करें। सादर धन्यवाद।

भवदीय:—

क्रमांक	विधायक का नाम	हस्ताक्षर	जिला
१	२	३	४
१--	कल्यान सिंह ..	कल्यान सिंह ..	अलीगढ़
२--	अनीसुर्रहमान ..	अनीसुर्रहमान ..	अलीगढ़
३—	महेन्द्र सिंह ..	महेन्द्र सिंह ..	अलीगढ़
४--	सतीश चन्द्र शर्मा ..	सतीश चन्द्र शर्मा ..	एटा
५--	राजेन्द्र कुमार शर्मा ..	राजेन्द्र कुमार शर्मा ..	रामपुर
६--	हिम्मत सिंह ..	हिम्मत सिंह ..	बुलन्दशहर
७—	नेतराम सिंह ..	नेतराम सिंह ..	एटा
८—	सियाराम ..	सियाराम ..	एटा
९—	मोहन लाल कपूर ..	मोहन लाल कपूर ..	मेरठ
१०—	प्रेम नारायण ..	प्रेम नारायण ..	झांसी
११—	मलिखान सिंह ..	मलिखान सिंह ..	मैनपुरी
१२—	चेतराम गंगवार ..	चेतराम गंगवार	
१३—	जगन्नाथ खन्ना ..	जगन्नाथ खन्ना	

दिनांक १-८-१९६९।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ८९४ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का आगे आये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने और तद्धीन किये गये कार्यों और की गई कार्यवाहियों को वैध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३९, १९५२ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) का अधिनियम, १९५२, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में,—

(१) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) "समर्थ अधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिये या ऐसे सरकारी भू-गृहादि अथवा ऐसे वर्ग के सरकारी भू-गृहादि के संबंध में, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अधीन समर्थ-अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया हो;"

(२) खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(खख) 'डिस्ट्रिक्ट जज' का तात्पर्य उस जिले के डिस्ट्रिक्ट जज से है, जिसमें सरकारी भू-गृहादि स्थित हो, और इसके अन्तर्गत ऐसा अपर डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज भी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपील निस्तारण के लिये डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा संक्रमित की जाय;"

(३) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ग) 'सरकारी भू-गृहादि' का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है, जो राज्य सरकार का हो, या उसके द्वारा अथवा उसकी तरफ से पट्टे पर लिया गया हो या अधिगृहीत किया गया हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा भू-गृहादि भी है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के प्रबन्ध में सौंपा गया हो, चाहे वह इस प्रकार सौंपे जाने के पूर्व बनाया गया हो अथवा स्थानीय प्राधिकारी को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् सरकारी भूमि पर सरकारी निधियों से बनाया गया हो ;"

(४) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(च) किसी सरकारी भू-गृहादि के सम्बन्ध में "किराया" का तात्पर्य भू-गृहादि के अधिकृत-अधिवास के लिये निश्चित अंतरालों पर देय प्रतिफल है, और इसके अन्तर्गत—

(१) भू-गृहादि में अधिवास करने के संबंध में बिजली, पानी या किसी अन्य व्यवस्था के लिये कोई परिव्यय,

(२) भू-गृहादि के संबंध में देय कोई कर (चाहे उसका कुछ भी नाम हो) भी सम्मिलित हैं, जहां ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार द्वारा देय हो;"

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात—

"(३) उपधारा (२) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति किसी सरकारी भू-गृहादि पर उस अधिकार के जिसके अधीन या जिस हैसियत से उसे भू-गृहादि पर अधिवास करने की अनुज्ञा दी गई थी, यथास्थिति, यथोचित रूप से समाप्त किये जाने या समाप्त हो जाने के पश्चात् अधिवास जारी रखें, और कोई पट्टेदार या अनुदानगृहीता पट्टा या अनुदान की, उसकी शर्तों के अनुसार, समाप्ति के पश्चात् अधिवास जारी रखें, तो वह 'अनधिकृत-अधिवास' में समझा जायगा, और कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में कोई धनराशि अदा की है, अधिकृत अधिवास में नहीं समझा जायगा।"

धारा ७ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"७—(१) यदि समर्थ अधिकारी की यह राय हो कि—

(क) किसी सरकारी भू-गृहादि का अधिवास करने के लिये पट्टेदार या प्रदिष्टी के रूप में अधिकृत व्यक्ति ने, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात्—

(१) राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, उस सम्पूर्ण भू-गृहादि या उसके किसी भाग को शिकमी किराये पर दे दिया है; या

(२) अभिव्यक्ति या अन्तर्निहित शर्तों में से किसी का, जिसके अधीन उसे ऐसे भू-गृहादि पर अधिवास करने का अधिकार प्राप्त है, अन्यथा उल्लंघन करके कोई कार्य किया है; या

(ख) किसी व्यक्ति का किसी सरकारी भू-गृहादि पर अनधिकृत अधिवास है, तो समर्थ अधिकारी नोटिस जो द्वारा जो नियत रीति से तामील किया जायगा समस्त संबंधित व्यक्तियों को, अर्थात् उन सभी व्यक्तियों को जिनके अधिवास में सरकारी भू-गृहादि हो, या हो सकता हो, अथवा जो उसमें हित रखने का दावा करते हों, ऐसे दिनांक तक, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय

और जो नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो, यह कारण बताने के लिये कह सकता है कि क्यों न उसे उससे बेदखल करने का आदेश दिया जाय ।

स्पष्टीकरण—किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्ध में सरकारी भू-गृहादि के संबंध में खण्ड (क) के उप-खड (१) में राज्य सरकार को किये गये अभिदेश उस स्थानीय प्राधिकरण को किये गये अभिदेश समझे जायेंगे ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण, यदि कोई हों और किसी ऐसे साक्ष्य पर जो वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात, समर्थ अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि नोटिस में उल्लिखित कोई भी परिस्थिति विद्यमान है या नोटिस जारी किये जाने के दिनांक को विद्यमान थी, तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, बेदखली का आदेश देते हुए यह निदेश दे सकता है कि सरकारी भू-गृहादि उन सभी व्यक्तियों द्वारा जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर अधिवास हो, खाली कर दिया जायगा, और आदेश की एक प्रतिलिपि सरकारी भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकवायेगा ।

(३) यदि कोई व्यक्ति, बेदखली के आदेश का, उपधारा (२) के अधीन उसके प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, अनुपालन करने से इनकार करे, या अनुपालन न करे तो समर्थ अधिकारी, अथवा समर्थ अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को सरकारी भू-गृहादि से बेदखल कर सकता है और उस पर दखल ले सकता है ।"

धारा ८ के स्थान पर नई धाराओं का प्रति० स्थापन

५—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जाय, अर्थात्—

"८—कोई व्यक्ति जो धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उक्त उपधारा के अधीन आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास लिखित अपील कर सकता है, जो समर्थ अधिकारी से रिपोर्ट मांगने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह ठीक समझे ।

अपील

८—क—इस अधिनियम के अधीन जांच करने या अपील का निस्तारण के प्रयोजन के लिये, समर्थ अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट जज को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित है, अर्थात् :—

अधिनियम के अधीन जांच के संबंध में अधिकार

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय ।"

धारा ९ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ९ के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि:—

(१) यदि सम्बद्ध भू-गृहादि छोटी दुकान (स्टाल), खुला हुआ छोटा खेमा (छतरी या कियास्कि) या इसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण हों; या (२) ऐसे प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जिनका आज्ञा में उल्लेख किया जायगा, सिवाय इस शर्त पर कि अपीलार्थी भू-गृहादि का उपयोग या अधिवास करने के लिये किराया या क्षतिपूर्ति की सभी बकाया धनराशि तथा ऐसे किराया या क्षतिपूर्ति का, जिसके स्थगन-आज्ञा के दौरान देय हो जाने की सम्भावना हो, भुगतान करने के लिये, पर्याप्त प्रतिभूति दे,

कोई भी ऐसी स्थगन-आज्ञा नहीं दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट जज, यदि अपील स्वीकार हो जाय, यह निदेश दे सकता है कि बेदखल किये गये व्यक्ति को भू-गृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय ।"

धारा १० का निकाला जाना

७—मूल अधिनियम की धारा १० निकाल दी जाय ।

धारा १३ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १३ में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८' के स्थान पर शब्द तथा अंक 'परिसीमा अधिनियम, १९६३' रख दिये जाय ।

धारा १४ के स्थान पर नई धारा का प्रति स्थापन

९—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"१४—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन समर्थ अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायगा ।"

नई धारा १४-क, १४ख, १४-ग और १४-घ का रखा जाना

१०—मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात् :—

अपराध, शास्ति तथा क्षिप्र बेदखली

"१४—क—(१) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी भू-गृहादि से बेदखल किया गया हो, उस भू-गृहादि पर इस प्रकार अधिवास करने के लिये बिना किसी अधिकार के फिर से अधिवास कर लें तो उस कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो

सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो एक हजार तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

(२) कोई न्यायालय जो उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराये, उस व्यक्ति को ऐसे सरकारी भू-गृहादि से जिसके संबंध में अपराध किया गया हो क्षिप्र बेदखल करने का भी आदेश दे सकता है और तदुपरान्त वह किसी ऐसी कार्यवाही पर जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जाय प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा ।

(३) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे स्थगित रखने का निदेश दे सकता है और ऐसे आदेश में परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है ।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

१४–ख––(१) यदि समर्थ अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किसी सरकारी भू-गृहादि पर अनधिकृत अधिवास है तो वह उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के, जिनका सरकारी भू-गृहादि पर अधिवास हो, नाम तथा अन्य ब्योरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें और प्रत्येक व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देने में जान बूझ कर चूक करें तो वह अर्थ-दण्ड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

दायादों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

१४–ग––(१) यदि किसी व्यक्ति की जिसके विरुद्ध बकाया किराये की वसूली के लिये या दायादों तथा विधिक प्रतिकर के अवधारण अथवा उसकी वसूली के लिये या उसे बेदखल करने के लिये कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की जानी हो अथवा की गई हो कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके दौरान की गई मृत्यु हो जाय तो कार्यवाही उस व्यक्ति के दायादों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकती है अथवा जारी रखी जा सकती है ।

(२) किसी व्यक्ति द्वारा बकाया किराये या क्षति-पूर्ति अथवा व्यय के मद्दे देय की धनराशि का भुगतान, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, उसके दायादों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा किन्तु उनका दायित्व उस सीमा तक होगा जहां तक मृतक की परिसम्पत्तियां उनके पास हों ।

अनधिकृत अधिवासियों द्वारा

१४–घ––(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के अधीन सरकारी भू-गृहादि से बेदखल कर दिया गया हो, तो समर्थ अधिकारी ऐसे व्यक्तियों पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, तदर्थ नोटिस तामील अथवा प्रकाशित होने

सरकारी भू-गृहादि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

के पश्चात्, ऐसे भू-गृहादि पर रह गई किसी सम्पत्ति को हटा सकता है या हटवा सकता है अथवा उसका निस्तारण ऐसी रीति से कर सकता है जो नियत की जाय ।

(२) यदि किसी ऐसी सम्पत्ति का निस्तारण विक्रय द्वारा किया जाय तो विक्रय से प्राप्त धनराशि का, उसमें से विक्रय-व्यय और बकाया किराए या क्षतिपूर्ति के मद्दे राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, काटने के पश्चात्, भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जिन्हें समर्थ अधिकारी उसे पाने का हकदार समझे अथवा यदि समर्थ अधिकारी यह निश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को शेष धनराशि दी जाय अथवा उसका किस प्रकार अभिभाजन किया जाय तो उसे किसी समक्ष न्यायालय का निर्णय होने तक के लिये जमा रखा जाएगा ।"

नई धारा १५-क का रखा जाना

११- मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्:—

"१५-क—निम्नलिखित किसी भी अनुतोष अर्थात्:—

कतिपय अनुतोष के लिये, वाद आदि पर रोक

(क) किसी सरकारी भू-गृहादि के अध्यासन की बाबत बकाया किराये की वसूली करने;

(ख) ऐसे भू-गृहादि के बेदखल करने;

(ग) ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग या अध्यासन की बाबत क्षतिपूर्ति का निर्धारण या उसकी वसूली करने, के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जायगी, यदि तत्सदृश अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हो ।"

नई धारा १६-क का रखा जाना

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"१६-क—डिस्ट्रिक्ट जज किसी ऐसी अपील को जो उसे इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत की गई हो अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत किसी अपर डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज संक्रमित कर सकता है और कोई भी ऐसी अपील वापस ले सकता है और या तो उसका निस्तारण कर सकता है, या उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत किसी अन्य अपर डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज को संक्रमित कर सकता है ।"

अपीलों को संक्रमित करने का डिस्ट्रिक्ट जज का अधिकार

धारा १७ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसक एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद

का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या संशोधन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १३, १९५९ की धारा २ का संशोधन

१४—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में,

(१) खण्ड (कक) में, शब्द "अपर न्यायाधीश" के पश्चात् शब्द "या सिविल जज" रख दिये जायं;

(२) खण्ड (घ) में, शब्द "उस क्षेत्र के लिये" के स्थान पर शब्द "ऐसे के लिये या ऐसी सार्वजनिक भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि वर्गों के संबंध में रख दिये जायें।"

(३) खण्ड (ङ) में—

(क) शब्द "राज्य सरकार की हो या उसके स्वामित्व में हो" के पश्चात् "और इसके अन्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी के प्रबन्ध में सौंपी गई भूमि शामिल है और राज्य सरकार द्वारा संधारित कोई सड़क या ऐसी सड़क से संलग्न भूमि में भी शामिल है" रख दिये जाएं।

(ख) उप खण्ड (१) में अंक तथा शब्द "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" के पश्चात् शब्द तथा अंक "या उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ या कुमायूं तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६०" रख दिये जायें।

(ग) उप खण्ड (२) में शब्द "गांव समाज" के स्थान पर शब्द "गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय अधिकारी" रख दिये जायें और अंक तथा शब्द "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" के पश्चात् शब्द तथा अंक "या उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ या कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०" रख दिये जायं।

धारा ३ और ४ का निरसन तथा परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित किया जाना

१५—मूल अधिनियम की धारा ३ और ४ एतद् द्वारा निरसित की जाती हैं और इस परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित की जाती है कि:—

(१) धारा ३ में, उप-धारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जाय, अर्थात्—

(१) यदि सार्वजनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किन्हीं व्यक्तियों के अनधिकृत अध्यासन में कोई सार्वजनिक भूमि है और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिये तो सार्वजनिक प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा, उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उसके तामील किये जाने के दिनांक से १० दिन से कम न होगी, ऐसे व्यक्तियों

से यह कारण बताने की लिये कह सकता है कि सार्वजनिक भूमि से उनकी बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय ।

(२) धारा ४ में—

(क) उप-धारा (१) में शब्द तथा अंक "परन्तु वह धारा ७ के अधीन व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को अभिदिष्ट आपत्ति हो" निकाल दिये जावें ;

(ख) उपधारा (३) में शब्द "ऐसे बल का प्रयोग कर सकते हैं," के स्थान पर शब्द "ऐसे बल का प्रयोग कर सकते हैं या करा सकते हैं" रख दिये जावें ।

धारा ७ का निकाला जाना

१६—मूल अधिनियम की धारा ७ निकाल दी जाय ।

धारा १० का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा १० में शब्द "इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को के पश्चात् शब्द "व अपील के निस्तारण के प्रयोजन के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को" बढ़ा दिये जायं, व खण्ड (ख) के अन्त में विराम के स्थान पर "कामा" व उसके बाद शब्द,'तथा व निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्:—

(ग) ऐसे अन्य अधिकार जो नियत किये जायं ।

धारा १०-क का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा १०—क में, शब्द "अपर जिला न्यायाधीश" के पश्चात् शब्द "या व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज)" रख दिये जायें और अन्त में शब्द "और कोई ऐसी अपील वापस भी ले सकता और या तो उसका निस्तारण कर सकता या प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत किसी अन्य अपर जिला न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश को संक्रमित कर सकता है ।" रख दिये जायें ।

नयी धारा १० ख का रक्खा जाना

१९—मूल अधिनियम की धारा १०—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्,—

"१०—ख—निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात्,—

कतिपय अनुतोषों के लिये वाद आदि पर रोक ।

(क) किसी सार्वजनिक भूमि के अध्यासन की बाबत बकाया लगान की वसूली करने;

(ख) ऐसी भूमि से बेदखल करने;

(ग) ऐसी भूमि के प्रयोग या अध्यासन की बाबत हानि पूर्ति की वसूली करने;

के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही , किसी दीवानी, या राजस्व न्यायालय में नहीं की जायगी, यदि तत्सदृश अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हो ।"

धारा १२ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा १२ के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात्:—

"और इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी अधिकारी के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायगा ।"

नई धारा १३ क १३-ख और १३-ग का रखा जाना

२१--मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात्:---

"१३-क (१)---यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी सार्वजनिक भूमि से बेदखल किया गया हो, उस भूमि पर इस प्रकार अध्यासन करने के लिये बिना किसी प्राधिकार के फिर से अध्यासन कर ले, तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता अथवा अर्थ दंड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

अपराध शास्ति तथा क्षिप्र बेदखली ।

(२) कोई न्यायालय जो उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराए, उस व्यक्ति को ऐसी सार्वजनिक भूमि से जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, क्षिप्र बेदखल करने का भी आदेश दे सकता है, और तदुपरान्त वह किसी ऐसी कार्यवाही पर जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जाय, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा ।

(३) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपधारा (२) के अधीन दिए गए आदेश को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित रखने का आदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश में परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है ।

१३-ख (१)---यदि सार्वजनिक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किसी सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अध्यासन है तो वह उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के, जिनका सार्वजनिक भूमि पर अध्यासन हो, नाम तथा अन्य ब्योरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें, और प्रत्येक व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा ।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार ।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देने में जानबूझ कर चूक करें तो वह अर्थ दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

१३-(ग) (१)---यदि किसी व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध बकाया की वसूली के लिये या हानिपूर्ति के निर्धारण अथवा उसकी वसूली के लिए या उसे वेदखल करनेके लिए कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की जानी हो अथवा की गई हो प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके दौरान मृत्यु हो जाय तो कार्यवाही उस व्यक्ति के दायादों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकती है अथवा जारी रक्खी जा सकती है ।

दायादों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व ।

(२) किसी व्यक्ति द्वारा बकाया किराया या हानि पूर्ति अथवा अन्य व्यय के मध्य देय धनराशि का भुगतान, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, उसके दायादों या विधिक प्रतिनिधियों क द्वारा किया जायगा, किन्तु उनका दायित्व उस सीमा तक होगा जहां तक मृतक की परिसम्पत्तियां उनके पास हो ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २३, १९५५ की धारा २ का संसोधन

२२—उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, १९५५, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात् :—

"(छ) किसी गृह के संबंध में "किराया" का तात्पर्य गृह के अधिकृत अध्यासन के लिए निश्चित अंतरालों पर देय प्रतिफल से है और इसके अन्तर्गत—

(१) गृह का अध्यासन करने के संबंध में बिजली, पानी या किसी अन्य व्यवस्था के लिये कोई परिव्यय;

(२) गृह के संबंध में देय कोई कर चाहे उसका कुछ भी नाम हो—

भी सम्मिलित हैं, जहां ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जैसी भी दशा हो देय हो।"

धारा २१ के स्थाम पर नई धारा का रखा जानां

२३—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात् :—

गृहादि से बेदखली

"२१—(१) यदि श्रम आयुक्त की यह राय हो कि—

(क) किसी गृह के अध्यासन के लिए अधिकृत व्यक्ति ने—

(१) ऐसे गृह के संबंध में किराए के भुगतान में श्रम आयुक्त द्वारा धारा १६ के अधीन किसी बढ़ोत्तरी की अनुज्ञा की संगणना करते हुए कम से कम दो माह की बकाया की हुई है ; या

(२) ऐसे सम्पूर्ण गृह या उसके किसी भाग को शिकमी पर उठाया है ; या

(३) किसी ऐसी अभिव्यक्त या अन्तर्निहित शर्त का जिसके अधीन वह उक्त गृह पर अध्यासन करने के लिये अधिकृत हो उल्लंघन करके अन्यथा कार्य किया है; या

(४) औद्योगिक श्रमिक नहीं रह गया है; या

(ख) कोई व्यक्ति किसी गृह का अनधिकृत अध्यासन किए है,

तो श्रम आयुक्त तत्सभय किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी नोटिस द्वारा जिसकी तामील—

(१) डाक द्वारा; या

(२) उक्त गृह के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य प्रमुख भाग पर उसकी एक प्रतिलिपि चिपकवाकर ; या

(३) ऐसी अन्य किसी रीत से, जो नियत की जाय, होगी, समस्त संबंधित व्यक्तियों को, अर्थात् उन सभी व्यक्तियों को जिन के अध्यासन में गृह हो या हो सकता हो, अथवा जो उसमें हित रखने का दावा करते हों, ऐसे दिनांक तक जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय और नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन से पहले का न हो, यह कारण बताने के लिए कह सकता है कि क्यों न उसे उससे बेदखल करने की आज्ञा दी जाय ।

(२) यदि नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए कारण, यदि कोई हों और किसी ऐसे समय पर, जो वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् और उस सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, श्रम आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि नोटिस में उल्लिखित कोई भी परिस्थिति विद्यमान है, या नोटिस जारी करने के दिनांक को विद्यमान थी, तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जाएँगे, बदखली की आज्ञा देत हुए यह निदश दे सकता है कि गृह उन सभी व्यक्तियों द्वारा जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर अध्यासन हो, खाली कर दिया जायगा, और आज्ञा की एक प्रतिलिपि गृह के बाहरी दरवाजे या उसके किसी प्रमुख भाग पर चिपकवायेगा ।

(३) यदि कोई व्यक्ति बेदखली की आज्ञा का उपधारा (२) के अधीन उसके प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अनुपालन करने से इन्कार करें या अनुपालन न करें तो श्रम आयुक्त उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को गृह से बेदखल कर सकता है और उस पर कब्जा ले सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(४) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के खण्ड (क) के उप खण्ड (१) या (३) के अधीन गृह खाली करने की आज्ञा दी गई हो, उपधारा (३) में अभिदिष्ट अवधि के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसकी श्रम आयुक्त अनुज्ञा दे, श्रम आयुक्त को बकाया किराया दे दे अथवा यथास्थिति श्रम आयुक्त के सन्तोषानुसार उन शर्तों के जिनका उसने उल्लंघन किया हो भंग करने का परिहार कर दे, तो श्रम आयुक्त ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाय उपधारा (१) के अधीन दी गई अपनी आज्ञा को निरस्त कर सकता है और तदुपरान्त वह व्यक्ति उस गृह पर उन्हीं शर्तों पर, जिनके अन्तर्गत वह आज्ञा दी जाने के ठीक पूर्व अध्यासीन था या ऐसी परिष्कृत शर्तों तथा निबन्धों पर, जिन्हें श्रम आयुक्त निर्धारित करें अध्यासीन रहेगा ।"

नई धारा २४-क से संख्या २४-ख तक का रखा जाना ।

२४—(१) मूल अधिनियम की धारा २४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात् :—

निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात् :—

"२४—(क) किसी गृह के अध्यासन की बाबत बकाया किराया की वसूली करने ;

कतिपय अनुतोष के लिए बाद आदि पर रोक ।

(ख) किसी गृह से बेदखल करने ;

(ग) किसी गृह के प्रयोग या अध्यासन की बाबत हर्जे का निर्धारण या उसकी वसूली करने ;

के लिये कोई बाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जायगी यदि तत्सदृश अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हो ।"

(२) पूर्वोक्त के अनुसार रखी गई धारा २४-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं रख दी जायें, अर्थात्—

दायादों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व की जा सकती है

"२४-ख—(१) यदि किसी व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध बकाया किराये की वसूली के लिए या हर्जे के निर्धारण अथवा उसकी वसूली के लिये या उसे बेदखल करने के लिये कोई कार्यवाही की जानी हो अथवा की गई हो, कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके दौरान मृत्यु हो जाय तो कार्यवाही उस व्यक्ति के दायादों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध अथवा जारी रक्खी जा सकती है ।

(२) किसी व्यक्ति द्वारा बकाया किराए या हर्जे अथवा व्यय के मद्दे किसी धनराशि का भुगतान उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके दायादों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायगा किन्तु उनका दायित्व उस सीमा तक होगा जहां तक मृतक की परिसम्पत्तियां उनके पास हों ।

अधिनियम के अधीन जांच के संबंध में अधिकार

२४-ग—इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये श्रम आयुक्त को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हो, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना ;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

२४-घ—(१) यदि श्रम आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किसी गृह पर अनधिकृत अध्यासन है तो वह उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों को जिनका गृह पर अध्यासन हो, नाम तथा अन्य ब्योरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करे और प्रत्येक व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो, सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देने में जान-बूझ कर चूक करे तो वह अर्थ दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

आदेशों का अंतिम होना

२४-ङ०—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन श्रम आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायेगा ।

अधिकृत अधिवासियों द्वारा गृह पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

२४-च—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा २१ के अधीन गृह से बेदखल कर दिया गया हो तो श्रम आयुक्त ऐसे व्यक्ति से और ऐसी रीति से जिसे नियत किया जाये, तदर्थ नोटिस तामील अथवा प्रकाशित होने के पश्चात ऐसे गृह पर रह गई किसी सम्पत्ति को हटा सकता है या हटवा सकता है अथवा उसका निस्तारण ऐसी रीति से कर सकता है जो नियत की जाय ।

(२) यदि किसी ऐसी सम्पत्ति का निस्तारण विक्रय द्वारा किया जाय तो बिक्रय से प्राप्त धनराशि का, उसमें से विक्रय-व्यय और बकाया किराये या हर्जे के मद्दे राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, काटने के पश्चात्, भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायेगा जिन्हें श्रम आयुक्त उसे पाने का हकदार समझे अथवा यदि श्रम आयुक्त यह निश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को शेष धनराशि दी जाय अथवा उसका किस प्रकार अभिभाजन किया जाय तो उसे किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय होने तक के लिये जमा रक्खा जायेगा ।"

धारा २७ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा २७ में उपधारा, (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें अर्थात्:—

"(१) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी गृह से बेदखल किया गया हो, उस गृह पर इस प्रकार अध्यासन करने के लिये बिना किसी प्राधिकार के फिर से अध्यासन कर ले, तो उसे कारावास का दंड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दंड दिए जायेंगे ।

(१-क) कोई न्यायालय जो उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराये, उस व्यक्ति को ऐसे गृह से जिसके संबंध में अपराध किया गया हो कि बेदखल करने का भी आदेश दे सकता है, और तदुपरान्त वह, किसी ऐसी कार्यवाही पर जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जाय, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार बेदखल किए जाने का भागी होगा ।

(१-ख)—कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्त न्यायालय द्वारा उपधारा (१-क) के अधीन दिये गये आदेश को ऐसी शर्तों पर यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे स्थगित रखने का निदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश में परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है ।"

धारा २८ का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(३) इस अधिनिमय के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथा-शीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उसके एक या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधन के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या संशोधन सम्बन्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का निरसित और परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित किया जाना

२७—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ का अध्याय ७ एतद् द्वारा निरसित किया जाता है और इस परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है कि उसके धारा ७१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात्:—

कतिपय अनुतोष के लिए वाद आदि पर रोक

"७१—क—निम्नलिखित किसी भी अनुतोष, अर्थात्:—

(क) परिषद् के किसी भू-गृहादि के अध्यासन की बाबत बकाया किराए की वसूली करने :—

(ख) ऐसे भू-गृहादि से बेदखल करने ;

(ग) ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग या अध्यासन की बाबत क्षतिमूल्य की वसूली करने, के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी दीवानी न्यायालय में नहीं की जाएगी, यदि तत्सदृश अनुतोष इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध हो ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ में नई धारा १२९-क का रक्खा जाना

२८—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ जिसे आगे इस में अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १२९ को पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

महापालिका के भू-

"१२९-क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनमिय, १९६५ के उपबंध किसी ऐसी भू-गृहादि के संबंध में जो महापालिका के हों, या उसमें निहित

गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १,१९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना ।

हों अथवा महापलिका द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम "परिषद् के भू गृहादि" के संबंध में लागू होते हों, और उसमें--

(क) परिषद्,

(ख) नियत प्राधिकारी ;

(ग) न्यायाधिकरण; और

(घ) उक्त अधिनियम के अधीन नियत बिषय के लिए किए गए अभिदेश क्रमश:

(क) महापालिका;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रथम श्रेणी या कोई मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का कोई सहायक कलेक्टर, भी है ;

(ग) धारा ३७१ के अधीन संगठित न्यायाधिकरण; और

(घ) इस अधिनिमय के अधीन विहित विषय--

के लिए किये अभिदेश समझे जायगें ।

धारा ३७२ का संशोधन

२९--मूल अधिनियम के धारा ३७२ की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुन: संख्याकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(२) न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ जैसा कि वह धारा १२९-क के अन्तर्गत महापालिका के भू-गृहादि पर लागू है, में अभिदिष्ट कृत्यों का भी सम्पादन करेगा ।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ में नई धारा १२०-क का रखा जाना

३०--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में धारा १२० के पश्चात निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :--

बोर्ड के भू-गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना

"१२०-क--उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनिमय, १९६५ के अध्याय ७ के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के संबंध में जो बोर्ड के हों या उसमें निहित हों अथवा बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिए गए हों, इस ऐक्ट के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उक्त अधिनियम में यथा-परिभाषित परिषद् के भू-गृहादि के संबंध में लागू होते हों, और उसमें--

(क) उक्त अधिनिमय में यथा परिभाषित परिषद्;

(ख) नियत प्राधिकारी;

(ग) न्यायाधिरकण; और

(घ) उक्त अधिनमिय के अधीन नियत विषय--

के लिए किए गए अभिदेश क्रमश:--

(क) इस ऐक्ट में यथा परिभाषित बोर्ड;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का कोई सहायक कलेक्टर भी है ;

(ग) उस जिले का जिसमें भू-गृहादि हों जिला न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत कोई अपर जिला न्यायाधीश जिसे वह निस्तारण के लिए इस अध्याय के अधीन कोई अपील संक्रमित करें, भी सम्मिलिति है; और

(घ) इस ऐक्ट के अधीन नियत विषय;

के लिए किए गए अभिदेश समझे जायेंगे"

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९१९ में नई धारा ६५-क का रक्खा जाना

३१—यू पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ६५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"६५-क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के संबंध में जो ट्रस्ट के हों या उसमें निहित हों अथवा ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर लिए गए हों इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथोपरिभाश्रित परिषद् के भू-गृहादि के संबंध में लागू होते हों, और उसमें—

ट्रस्ट के भू-गृहादि जके संबंधमें उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना।

(क) परिषद् ;

(ख) नियत प्राधिकारी ;

(ग) न्यायाधिकरण ; और

(घ) उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय—

के लिए किए गए अभिदेश क्रमश:

(क) ट्रस्ट ;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट या सहायक कलेक्टर भी है ;

(ग) धारा ५७ के अधीन संघटित ट्रिब्यूनल ; और

(घ) इस ऐक्ट के अधीन नियत विषय ,

के लिए किए गए अभिदेश समझे जाएगें।"

धारा ५७ के स्थान पर नई धारा का रक्खा जाना

३२—मूल अधिनियम की धारा ५७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"५७—भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन ट्रस्ट के लिए भूमि अर्जन करने के अभिदेश में न्यायालय के कृत्यों के सम्पादन के प्रयोजन के लिये और धारा ६७-ई के अधीन आसुधार कर से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिये और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ जैसा कि वह धारा ६५-क के अन्तर्गत ट्रस्ट के भू—गृहादि पर लागू है धारा ६५—ए में अभिदिष्ट कृत्यों का सम्पादन करने के लिए भी, धारा ५९ में की गई व्यवस्था के अनुसार ट्रिब्यूनल संघटित किया जायगा।"

बैधीकरण

३३—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री का या आदेश के होते हुए भी, अध्याय २, अध्याय ३ या अध्याय ४ में मूल अधिनियम के रूप में अभिदिष्ट किसी अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा बेदखल करने या किराये अथवा क्षति-

पूर्ति या व्ययों की वसूली करने के संबंध में किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई क्रिया, जिसके अन्तर्गत उसके लिए दिया गया कोई आदेश या की गई, कोई कार्यवाही भी है, धारा ११, धारा १९ अथवा यथास्थिति, धारा २४ की उपधारा (१) द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी, और वैध रूप से तथा सदैव से वैध रूप से किया गया या की गई समझी जायगी मानों उक्त संशोधन सदैव से प्रवृत्त थे।

डिक्रियों के संबंध में अपवाद

३४—धारा ११, धारा १९ या धारा २४ की उपधारा (१) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय द्वारा दिये गये किसी निर्णय या डिग्री की वैधता या निष्पादेयता पर प्रभाव पड़ता है।

विचाराधीन वादों तथा कार्यवाहियों का निस्तारण

३५—(१) धारा ११, धारा १९ और धारा २४ की उपधारा (१) में निहित किसी बात के होते हुए भी, अध्याय २, ३ व ४ में मूल अधिनियम के रूप में अभिदिष्ट अधिनियमों की, क्रमानुसार, धारा १५—क, १०—क व २४—क में उल्लिखित किसी भी अनुतोष के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय में संस्थित कोई वाद या अन्य कार्यवाही, यथास्थिति, समर्थ अधिकारी सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त, को संक्रमित हो जायेगी और तदुपरान्त समर्थ अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त उनका निस्तारण उक्त अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही के रूप में करेगा।

(२) किसी कार्यवाही में समर्थ अधिकारी सार्वजनिक प्राधिकारी या श्रम आयुक्त उस स्तर से, जहां से वह संक्रमित किया जाय, अग्रेतर कार्यवाही कर सकता है तथा इस प्रयोजन के लिये संक्रमण के पूर्व वाद या कार्यवाही के संबंध में जारी किये गये किसी सम्मन, प्रस्तुत किये गये लिखित बयान या प्रस्तुत साक्ष्य को उक्त अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन अपने द्वारा या समक्ष जारी किया गया नोटिस, संदर्शित वाद कारण या प्रस्तुत साक्ष्य मान सकेगा।

(३) (क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि-(किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ की धारा १० के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष या उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ की धारा ७ के अधीन सिविल जज के समक्ष विचाराधीन कोई अभिदेश समाप्त हो जायगा, और डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज अभिदेश को बिना उत्तर दिये वापस कर देगा, जिसके बाद समर्थ अधिकारी या सार्वजनिक प्रधिकारी स्वयं आपत्ति पर निर्णय देगा, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व की स्थिति में, प्रथम-उल्लिखित अधिनियम की धारा १० की उपधारा (५) के अधीन किसी वाद के या द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (५) केअधीन किसी अपील के विचाराधीन रहने या कायम रहने पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी ऐसे अभिदेश पर निर्णय दे दिया गया हो तो निर्णय खंड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम समझा जायगा और निर्णीत प्रश्न को, यथास्थिति समर्थ अधिकारी या, सार्वजनिक प्राधिकारी के समक्ष पुनः नहीं उठाया जायगा।

उद्देश्य और कारण

उच्च न्यायालय ने,१२ सितम्बर, १९६७ को निर्णीत, सिविल प्रकीर्ण रिट संख्या २९४८, १९६० में यह निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ की धारा २१ के संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होता है और वह निष्प्रभावी है क्योंकि इससे सरकारी गृहों के प्रदिष्टयों के बीच भेदभाव करने की अनुज्ञा मिलती है। बाद में २४ मई, १९६८ को निर्णीत सिविल प्रकीर्ण रिट संख्या ३७५६, १९६२ से सम्बद्ध सिविल प्रकीर्ण रिट संख्या ३७५५, १९६२ में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९, से संविधान के अनुच्छेद १४ का अतिक्रमण होता है और वह अधिकारातीत है, क्योंकि इससे सरकारी भूमि के विभिन्न अनधिकृत अध्यासियों के बीच भेद-भाव करने की अनुज्ञा मिलती है। इन दोनों मामलों में निर्णय का आधार यह था कि उपर्युक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य को इस बात का विकल्प था कि वह किसी प्रदिष्टी या अनधिकृत अध्यासी को या तो किसी दीवानी न्यायालय में नियमित वाद दायर करके या सरसरी प्रक्रिया का अनुसरण करके बेदखल कर सकती है और ऐसा स्वविवेक निरंकुश तथा दिशाविहीन होने के कारण उक्त विकल्प अवश्य ही भेद-भाव पूर्ण समझा जायेगा। इन्हीं आधारों पर उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ के तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के उपबन्ध भी आक्रमणीय है।

अतएव उपर्युक्त संवैधानिक आपत्तियों को दूर करने और, लोक हित में, सार्वजनिक भूमि और भू-गृहादि से अधिक्रमण और अनधिकृत अध्यासन को शीघ्र हटाने के और उसके संबंध में देय किराया तथा क्षतिपूर्ति की शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि सभी उपर्युक्त अधिनियमितियों में केवल सरसरी प्रक्रिया रखी जाये और बाद का वैकल्पिक उपचार जिसमें व्यय तथा बिलम्ब दोनों ही होता है, स्पष्ट रूप से वाधित कर दिया जाय। यह भी निर्णय किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ के उपबन्धों को, उपर्युक्त परिष्कारों के साथ, नगर महापालिकाओं, म्युनिसिपल बोर्डों और इम्प्रूमेंट ट्रस्टों के या उनमें निहित भू-गृहादि के संबंध में भी उनके अनधिकृत अध्यासियों की सरसरी तौर से बेदखली करने के उद्देश्य से लागू किया जाये। इस अवसर का उपभोग उपर्युक्त अधिनियमितियों के कार्यावन्यन में होने वाली कतिपय अन्य कठिनाइयों को दूर करने के पहले से की गई कतिपय कार्यवाहियों और पहिले से ही पारित आदेशों को वैधता प्रदान करने के लिये किया गया है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० ४९ एल० ए०—१९७०—८४५ (मैंग०)।